Seventeenth Lok Sabha
I Session (17/06/2019 to 06/08/2019)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 17 जून, 2019/27 ज्येष्ठ, 1941 (शक)

संख्या 1

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

2. मौन

सत्रहवीं लोक सभा की पहली बैठक के पुनीत अवसर पर थोड़ी देर के लिए मौन रखा गया।

3. *सामयिक* अध्यक्ष द्वारा उद्घोषणा

सामयिक अध्यक्ष ने निम्नलिखित उद्घोषणा की:—

''मैं सत्रहवीं लोक सभा के लिए निर्वाचित सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। मुझे सभी सदस्यों का स्वागत करने में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस सदन की उच्च परंपराओं को कायम रखने में अध्यक्षपीठ की सहायता करेंगे और इस प्रकार हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र की इमारत और जड़ों को सुदृढ़ करेंगे।

मैं आपके प्रयासों में पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।''

4. लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की सूची

महासचिव ने 2019 के आम चुनावों में 17वीं लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत एक सूची (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. सभापति तालिका

सामयिक अध्यक्ष ने यह उद्घोषणा की कि माननीय राष्ट्रपति ने सभापति तालिका में निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्देशित किया है:—

(1) श्री कोडिकुन्नील सुरेश

(2) श्री बृजभूषण शरण सिंह

(3) श्री भर्तृहरि महताब

6. *सामयिक* अध्यक्ष द्वारा उद्घोषणा

सामयिक अध्यक्ष ने निम्नलिखित उद्घोषणा की:—

''अब महासचिव द्वारा शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के प्रयोजनार्थ सदस्यों के नाम पुकारे जाएंगे,

- सदन के नेता, माननीय प्रधानमंत्री का नाम सर्वप्रथम पुकारा जाएगा,
- तत्पश्चात्, सभापति तालिका के सदस्यों के नाम पुकारे जाएंगे,
- तत्पश्चात्, कैबिनेट स्तर के मंत्री तथा राज्य मंत्री,
- तत्पश्चात्, अन्य सदस्यों के नाम वर्णमाला क्रमानुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पुकारे जाएंगे।

उन सदस्यों जो पहली बार पुकारे जाने पर शपथ नहीं ले पाते हैं अथवा प्रतिज्ञान नहीं कर पाते हैं, का नाम अंत में पुनः पुकारा जाएगा।

यदि किसी सदस्य का नाम सही नहीं पुकारा जाता है, तो कृपया इसे क्षमा कर दिया जाए।''

पूर्वाह्न 11.05 बजे

7. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

सामयिक अध्यक्ष डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार ने राष्ट्रपति के समक्ष पहले ही शपथ ग्रहण कर लेने के बाद सभा की बैठक प्रारंभ होने पर सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

तत्पश्चात्, निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:—

क्र॰सं॰	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
2.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	मावेलीक्करा (अजा)	केरल	शपथ	हिन्दी
3.	श्री भर्तृहरि महताब	कटक	ओडिशा	शपथ	उड़िया
4.	श्री बृजभूषण शरण	कैसरगंज	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
5.	श्री राजनाथ सिंह	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
6.	श्री अमित शाह	गांधीनगर	गुजरात	शपथ	हिन्दी
7.	श्री नितिन जयराम गडकरी	नागपुर	महाराष्ट्र	शपथ	हिन्दी
8.	श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा	बंगलौर उत्तर	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
9.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	मुरैना	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
10.	श्री रवि शंकर प्रसाद	पटना साहिब	बिहार	शपथ	हिन्दी
11.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	भटिंडा	पंजाब	प्रतिज्ञान	पंजाबी
12.	श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"	हरिद्वार	उत्तराखंड	शपथ	हिन्दी
13.	श्री अर्जुन मुंडा	खूंटी (अजजा)	झारखंड	शपथ	हिन्दी
14.	श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी	अमेठी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
15.	डॉ॰ हर्षवर्धन	चांदनी चौक	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	शपथ	संस्कृत
16.	श्री प्रह्लाद जोशी	धारवाड़	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
17.	डॉ॰ महेन्द्र नाथ पांडे	चंदौली	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
18.	श्री अरविंद गणपत सावंत	मुंबई दक्षिण	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
19.	श्री गिरिराज सिंह	बेगूसराय	बिहार	शपथ	हिन्दी
20.	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	जोधपुर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
21.	श्री संतोष कुमार गंगवार	बरेली	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
22.	श्री राव इंद्रजीत सिंह	गुड़गांव	हरियाणा	प्रतिज्ञान	हिन्दी
23.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	उत्तर गोवा	गोवा	शपथ	संस्कृत
24.	डॉ॰ जितेन्द्र सिंह	उधमपुर	जम्मू-कश्मीर	शपथ	डोगरी
25.	श्री किरेन रिजीजू	अरूणाचल पश्चिम	अरूणाचल प्रदेश	शपथ	हिन्दी
26.	श्री प्रह्लाद सिंह पटेल	दमोह	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी
27.	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	मंडला (अजजा)	मध्य प्रदेश	शपथ	हिन्दी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	श्री अश्विनी कुमार चौबे	बक्सर	बिहार	शपथ	संस्कृत
29.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	बीकानेर (अ॰जा॰)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
30.	श्री विजय कुमार सिंह	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
31.	श्री कृष्ण पाल	फरीदाबाद	हरियाणा	शपथ	हिन्दी
32.	श्री दानवे रावसाहेब दादाराव	जालना	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
33.	श्री जी॰ किशन रेड्डी	सिकंदराबाद	तेलंगाना	शपथ	तेलुगु
34.	साध्वी निरंजन ज्योति	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
35.	श्री बाबुल सुप्रियो	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	शपथ	अंग्रेजी
36.	श्री संजीव कुमार बालियान	मुजफ्फरपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
37.	श्री संजय शामराव धोत्रे	अकोला	महाराष्ट्र	शपथ	हिन्दी
38.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश	शपथ	हिन्दी
39.	श्री सुरेश चन्नबासप्पा अंगड़ी	बेलगाम	कर्नाटक	प्रतिज्ञान	अंग्रेजी
40.	श्री नित्यानंद राय	उजियारपुर	बिहार	शपथ	हिन्दी
41.	श्री रत्न लाल कटारिया	अम्बाला (अ॰जा॰)	हरियाणा	शपथ	हिन्दी
42.	श्रीमती रेणुका सिंह सरूता	सरगुजा (अ॰ज॰जा॰)	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
43.	श्री सोम प्रकाश	होशियारपुर (अ॰जा॰)	पंजाब	शपथ	पंजाबी
44.	श्री रामेश्वर तेली	डिब्रूगढ़	असम	शपथ	असमिया
45.	श्री प्रताप चन्द्र सारंगी	बालासोर	ओडिशा	शपथ	संस्कृत
46.	श्री कैलाश चौधरी	बाड़मेर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
47.	श्रीमती देबाश्री चौधरी	रायगंज	पश्चिम बंगाल	शपथ	बंगाली
48.	श्री आर॰के॰ सिंह	आरा	बिहार	शपथ	हिन्दी
49.	श्री कुलदीप राय शर्मा	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शपथ	हिंदी
50.	श्रीमती गोड्डेटी माधवी	अराकु (अ॰ज॰जा॰)	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
51.	श्री किंजरापु राम मोहन नायडू	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	शपथ	हिन्दी
52.	श्री बेल्लाना चन्द्र शेखर	विजियानगरम	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
53.	श्री एम॰वी॰वी॰ सत्यनारायण	विशाखापटनम	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
54.	डॉ॰ बीसेट्टी वेंकट सत्यावती	अनकापल्ली	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
55.	श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
56.	श्रीमती चिंता अनुराधा	अमलापुरम (अ॰जा॰)	आंध्र प्रदेश	शपथ	हिन्दी
57.	श्री मारगनी भरत	राजामुन्दरी	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58.	श्री कानुमुरू रघु राम कृष्ण राजू	नरसापुरम	आंध्र प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
59.	श्री कोटागिरी श्रीधर	इलुरू	आंध्र प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
60.	श्री बालाशोवरी वल्लभानेनी	मछलीपतनम	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
61.	श्री केसिनेनी श्रीनिवास (नानी)	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
62.	श्री जैदेव गल्ला	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
63.	श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू	नरसाराओपेट	आंध्र प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
64.	श्री नंदीगम सुरेश	बापतला (अ॰जा॰)	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
65.	श्री मागुण्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी	ओंगोले	आंध्र प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
66.	श्री पोचा ब्रहमानंद रेड्डी	नांदयाल	आंध्र प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
67.	श्री आयुष्मान डॉक्टर संजीव कुमार	कुरनूल	आंध्र प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
68.	श्री तालारी रंगैय्या	अनन्तपुर	आंध्र प्रदेश	प्रतिज्ञान	तेलुगु
69.	श्री कुरुवा गोरांतला	हिन्दुपुर	आंध्र प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
70.	श्री वाई॰एस॰ अविनाश रेड्डी	कडापा	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
71.	श्री अदाला प्रभाकर रेड्डी	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
72.	श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद रॉव	तिरुपति (अ॰जा॰)	आंध्र प्रदेश	प्रतिज्ञान	अंग्रेजी
73.	श्री पी॰वी॰ मिधुन रेड्डी	राजमपेट	आंध्र प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
74.	श्री एन॰ रेड्डप्पा	चितूर (अ॰जा॰)	आंध्र प्रदेश	शपथ	तेलुगु
75.	श्री तापिर गाव	अरुणाचल पूर्व	अरुणाचल प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
76.	श्री कृपानाथ मल्लाह	करीमगंज (अ॰जा॰)	असम	शपथ	बंगाली
77.	श्री राजदीप राय	सिल्चर	असम	शपथ	बंगाली
78.	श्री होरेन सिंह बे	स्वशासी जिला–असम (अ॰ज॰जा॰)	असम	शपथ	अंग्रेजी
79.	श्री नबा कुमार सरनीया	कोकराझार (अ॰ज॰जा॰)	असम	शपथ	असमिया
80.	श्री अब्दुल खालेक	बारपेटा	असम	शपथ	असमिया
81.	श्रीमती क्वीन ओझा	गौहाटी	असम	शपथ	असमिया
82.	श्री दिलीप साईकिया	मंगलदोई	असम	शपथ	संस्कृत
83.	श्री पल्लब लोचन दास	तेजपुर	असम	शपथ	हिंदी
84.	श्री प्रद्युत बोरदोलोई	नौगोंग	असम	शपथ	असमिया
85.	श्री गौरव गोगोई	कलियाबोर	असम	शपथ	असमिया
86.	श्री तपन कुमार गोगोई	जोरहाट	असम	शपथ	असमिया
87.	श्री प्रदान बरुआ	लखीमपुर	असम	शपथ	असमिया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
88.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	बाल्मीकि नगर	बिहार	शपथ	हिंदी
89.	डॉ॰ संजय जायसवाल	पश्चिम चम्पारण	बिहार	शपथ	हिंदी
90.	श्री राधा मोहन सिंह	पूर्वी चम्पारण	बिहार	शपथ	हिंदी
91.	श्रीमती रमा देवी	शिवहर	बिहार	शपथ	हिंदी
92.	श्री सुनील कुमार (पिंटू)	सीतामढ़ी	बिहार	शपथ	हिंदी
93.	श्री अशोक कुमार यादव	मधुबनी	बिहार	शपथ	मैथिली
94.	श्री रामप्रीत मंडल	झंझारपुर	बिहार	प्रतिज्ञान	मैथिली
95.	श्री दिलेश्वर कामैत	सुपौल	बिहार	शपथ	हिंदी
96.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	अररिया	बिहार	शपथ	हिंदी
97.	श्री मोहम्मद जावेद	किशनगंज	बिहार	शपथ	अंग्रेजी
98.	श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी	कटिहार	बिहार	शपथ	हिंदी
99.	श्री दिनेश चंद्र यादव	मधेपुरा	बिहार	शपथ	हिंदी
100.	श्री गोपाल जी ठाकुर	दरभंगा	बिहार	शपथ	मैथिली
101.	श्री अजय निषाद	मुजफ्फरपुर	बिहार	शपथ	हिन्दी
102.	श्रीमती वीणा देवी	वैशाली	बिहार	शपथ	हिन्दी
103.	डॉ॰ आलोक कुमार सुमन	गोपालगंज (अ॰जा॰)	बिहार	शपथ	हिन्दी
104.	श्रीमती कविता सिंह	सिवान	बिहार	शपथ	हिन्दी
105.	श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल'	महाराजगंज	बिहार	शपथ	हिन्दी
106.	श्री राजीव प्रताप रूड़ी	सारण	बिहार	शपथ	हिन्दी
107.	श्री रामचन्द्र पासवान	समस्तीपुर (अ॰जा॰)	बिहार	शपथ	हिन्दी
108.	श्री पशुपति कुमार पारस	हाजीपुर (अ॰जा॰)	बिहार	शपथ	हिन्दी
109.	श्री चौधरी महबूब अली कैसर	खगड़िया	बिहार	प्रतिज्ञान	अंग्रेजी
110.	श्री गिरिधारी यादव	बांका	बिहार	प्रतिज्ञान	हिन्दी
111.	श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* लल्लन सिंह	मुंगेर	बिहार	प्रतिज्ञान	हिन्दी

(लोक सभा अपराह्न 1.02 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.03 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.03 बजे

112.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	नालंदा	बिहार	प्रतिज्ञान	हिन्दी
113.	श्री राम कृपाल यादव	पाटलिपुत्र	बिहार	शपथ	हिन्दी
114.	श्री छेदी पासवान	सासाराम (अ॰जा॰)	बिहार	शपथ	हिन्दी
115.	श्री महाबली सिंह	करकट	बिहार	प्रतिज्ञान	हिन्दी
116.	श्री चंदेश्वर प्रसाद	जहानाबाद	बिहार	प्रतिज्ञान	हिन्दी
117.	श्री सुशील कुमार सिंह	औरंगाबाद	बिहार	शपथ	हिन्दी
118.	श्री विजय कुमार	गया (अ॰जा॰)	बिहार	शपथ	हिन्दी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
119.	श्री चंदन सिंह	नवादा	बिहार	शपथ	हिन्दी
120.	श्री चिराग कुमार पासवान	जमुई (अ॰जा॰)	बिहार	शपथ	हिन्दी
121.	श्रीमती गोमती साय	रायगढ़ (अ॰ज॰जा॰)	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
122.	श्री गुहाराम अजगल्ले	जांजगीर–चांपा (अ॰ज॰जा॰)	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
123.	श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत	कोरबा	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
124.	श्री अरूण साव	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
125.	श्री विजय बघेल	दुर्ग	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
126.	श्री सुनील कुमार सोनी	रायपुर	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
127.	श्री चुन्नीलाल साहू	महासमुंद	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
128.	श्री दीपक बैज	बस्तर (अ॰ज॰जा॰)	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
129.	श्री मोहन मांडवी	कांकेर (अ॰ज॰जा॰)	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
130.	श्री देलकर मोहनभाई सांझीभाई	दादरा और नागर हवेली (अ॰ज॰जा॰)	दादरा और नागर हवेली	शपथ	हिन्दी
131.	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	दमन और दीव	दमन और दीव	शपथ	हिन्दी
132.	श्री मनोज तिवारी	उत्तर पूर्व दिल्ली	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	शपथ	हिन्दी
133.	श्री गौतम गंभीर	पूर्वी दिल्ली	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	शपथ	अंग्रेजी
134.	श्रीमती मीनाक्षी लेखी	नई दिल्ली	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	शपथ	संस्कृत
135.	श्री हंस राज हंस	उत्तर पश्चिम दिल्ली (अ॰जा॰)	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	शपथ	हिन्दी
136.	श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा	पश्चिमी दिल्ली	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	शपथ	हिन्दी
137.	श्री कॉस्मे फ्रांसिस्को कोईटानो सर्दिन्हा	दक्षिण गोवा	गोवा	शपथ	अंग्रेजी
138.	श्री विनोद लखमशी चवाड़ा	कच्छ (अ॰जा॰)	गुजरात	शपथ	हिन्दी
139.	श्री परबतभाई सवाभाई पटेल	बनासकांठा	गुजरात	शपथ	संस्कृत
140.	श्री डाभी भरत सिंहजी शंकरजी	पाटण	गुजरात	शपथ	अंग्रेजी
141.	श्रीमती शारदाबेन अनिलभाई पटेल	महेसाणा	गुजरात	शपथ	गुजराती
142.	श्री राठौड़ दीपसिंह शंकरसिंह	साबरकांठा	गुजरात	शपथ	गुजराती
143.	श्री पटेल हसमुखभाई सोमभाई	अहमदाबाद पूर्व	गुजरात	शपथ	गुजराती

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
144.	डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी	अहमदाबाद पश्चिम (अ॰जा॰)	गुजरात	शपथ	हिन्दी
145.	डॉ॰ मुंजपरा महेन्द्रभाई	सुरेन्द्रनगर	गुजरात	शपथ	संस्कृत
146.	श्री कुंदरिया मोहनभाई कल्याणजीभाई	राजकोट	गुजरात	शपथ	गुजराती
147.	श्री रमेशभाई लवजीभाई धडुक	पोरबंदर	गुजरात	प्रतिज्ञान	गुजराती
148.	श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम	जामनगर	गुजरात	शपथ	गुजराती
149.	श्री चुड़ासमा राजेशभाई नारणभाई	जूनागढ़	गुजरात	शपथ	गुजराती
150.	डॉ॰ भारतीबेन धीरूभाई श्याल	भावनगर	गुजरात	शपथ	गुजराती
151.	श्री पटेल मितेश रमेशभाई (बकाभाई)	आनंद	गुजरात	शपथ	गुजराती
152.	श्री चौहान देवुसिंह	खेड़ा	गुजरात	शपथ	गुजराती
153.	श्री रतन सिंह मगन सिंह राठौड़	पंचमहल	गुजरात	शपथ	हिन्दी
154.	श्री काछड़िया नारणभाई भीखाभाई	अमरेली	गुजरात	शपथ	गुजराती
155.	श्री रमेश बिधूड़ी	दक्षिण दिल्ली	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	शपथ	संस्कृत
156.	श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर	दाहोद (अ॰ज॰जा॰)	गुजरात	शपथ	गुजराती
157.	श्री रंजनबेन भट्ट	वड़ोदरा	गुजरात	शपथ	गुजराती
158.	श्रीमती राठवा गीताबेन वजेसिंहभाई	छोटा उदायपुर (अ॰ज॰जा॰)	गुजरात	शपथ	गुजराती
159.	श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा	भरुच	गुजरात	शपथ	गुजराती
160.	श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा	बारदोली (अ॰ज॰जा॰)	गुजरात	शपथ	संस्कृत
161.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	सूरत	गुजरात	शपथ	हिन्दी
162.	श्री सी॰आर॰ पाटिल	नवसारी	गुजरात	शपथ	संस्कृत
163.	डॉ॰ के॰सी॰ पटेल	वलसाड (अ॰ज॰जा॰)	गुजरात	शपथ	हिन्दी
164.	श्री नायब सिंह	कुरूक्षेत्र	हरियाणा	शपथ	हिन्दी
165.	श्रीमती सुनीता दुग्गल	सिरसा (अ॰जा॰)	हरियाणा	शपथ	संस्कृत
166.	श्री बृजेन्द्र सिंह	हिसार	हरियाणा	शपथ	हिन्दी
167.	श्री संजय भाटिया	करनाल	हरियाणा	शपथ	हिन्दी
168.	श्री रमेश चंद्र कौशिक	सोनीपत	हरियाणा	शपथ	हिन्दी
169.	श्री अरविंद कुमार शर्मा	रोहतक	हरियाणा	शपथ	संस्कृत
170.	श्री धरमवीर सिंह	भिवानी-महेंद्रगढ़	हरियाणा	शपथ	हिन्दी
171.	श्री किशन कपूर	कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश	शपथ	हिन्दी
172.	श्री राम स्वरूप शर्मा	मंडी	हिमाचल प्रदेश	शपथ	हिन्दी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
173.	श्री सुरेश कुमार कश्यप	शिमला(अ॰जा॰)	हिमाचल प्रदेश	शपथ	हिन्दी
174.	मोहम्मद अकबर लोन	बारामूला	जम्मू–कश्मीर	शपथ	कश्मीरी
175.	श्री फारुख अब्दुल्ला	श्रीनगर	जम्मू–कश्मीर	शपथ	कश्मीरी
176.	श्री हसनैन मसूदी	अनंतनाग	जम्मू–कश्मीर	शपथ	कश्मीरी
177.	श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल	लद्दाख	जम्मू–कश्मीर	प्रतिज्ञान	अंग्रेजी
178.	श्री जुगल किशोर	जम्मू	जम्मू–कश्मीर	शपथ	डोगरी
179.	श्री विजय कुमार हांसदाक	राजमहल (अ॰ज॰जा॰)	झारखंड	शपथ	हिन्दी
180.	श्री सुनील सोरेन	दुमका (अ॰ज॰जा॰)	झारखंड	शपथ	हिन्दी
181.	श्री निशिकांत दुबे	गोड्डा	झारखंड	शपथ	संस्कृत
182.	श्री सुनील कुमार सिंह	चतरा	झारखंड	शपथ	संस्कृत
183.	सुश्री अन्नपूर्णा देवी	कोडरमा	झारखंड	प्रतिज्ञान	हिन्दी
184.	श्री चंद्रप्रकाश चौधरी	गिरीडीह	झारखंड	शपथ	हिन्दी
185.	श्री पशुपति नाथ सिंह	धनबाद	झारखंड	शपथ	हिन्दी
186.	श्री संजय सेठ	रांची	झारखंड	शपथ	संस्कृत
187.	श्री विद्युत बरण महतो	जमशेदपुर	झारखंड	शपथ	बांग्ला
188.	श्रीमती गीता कोरा	सिंहभूम (अ॰ज॰जा॰)	झारखंड	शपथ	हिन्दी
189.	श्री सुदर्शन भगत	लोहरदगा (अ॰ज॰जा॰)	झारखंड	शपथ	हिन्दी
190.	श्री विष्णु दयाल राम	पलामू (अ॰जा॰)	झारखंड	शपथ	हिन्दी
191.	श्री जयंत सिन्हा	हजारीबाग	झारखंड	शपथ	हिन्दी
192.	श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले	चिक्कोडी	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
193.	श्री पी॰सी॰ गद्दीगौदर	बागलकोट	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
194.	श्री रमेश जिगाजिनागि चन्द्रप्पा	बीजापुर (अ॰जा॰)	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
195.	डॉ॰ उमेश जी॰ जाधव	गुलबर्गा (अ॰जा॰)	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
196.	श्री राजा अमरेश्वर नाईक	नायचूर (अ॰ज॰जा॰)	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
197.	श्री भगवंत खुबा	बीदर	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
198.	श्री करादी सनगन्ना अमरप्पा	कोप्पल	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
199.	श्री वाई॰ देवेन्द्रप्पा	बेल्लारी (अ॰ज॰जा॰)	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
200.	श्री उदासी एस॰सी॰	हावेरी	कर्नाटक	प्रतिज्ञान	कन्नड़
201.	श्री अनंतकुमार हेगड़े	उत्तर कन्नड़	कर्नाटक	शपथ	संस्कृत
202.	श्री जी॰एम॰ सिद्देश्वरा	दावनगेरे	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
203.	श्री बी॰वाई॰ राघवेन्द्र	शिमोगा	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
204.	श्रीमती शोभा कारांदलाजे	उदुपी चिकमगलूर	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
205.	श्री नलीन कुमार कटील	दक्षिण कन्नड़	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
206.	श्री ए॰ नारायणस्वामी	चित्रदुर्ग (अ॰जा॰)	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
207.	श्री जी॰एस॰ बसवराज	तुमकुर	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
208.	श्रीमती सुमलता अम्बरीश	मांडया	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
209.	श्री प्रताप सिम्हा	मैसूर	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
210.	श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद	चामराजनगर (अ॰जा॰)	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
211.	श्री डी॰के॰ सुरेश	बंगलौर ग्रामीण	कर्नाटक	शपथ	कन्नड
212.	श्री पी॰सी॰ मोहन	बंगलौर केन्द्रीय	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
213.	श्री तेजस्वी सूर्या	बंगलौर दक्षिण	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
214.	श्री बी॰एन॰बचे गौड़ा	चिकबलपुर	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
215.	श्री एस. मुनिस्वामी	कोलार (अ॰जा॰)	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
216.	श्री राजमोहन उन्नीथन	कासरगोड	केरल	शपथ	मलयालम
217.	श्री के॰ सुधाकरन	कन्नूर	केरल	शपथ	अंग्रेजी
218.	श्री के॰ मुरलीधरन	वडकरा	केरल	शपथ	अंग्रेजी
219.	श्री राहुल गांधी	वयनाड	केरल	प्रतिज्ञान	अंग्रेजी
220.	श्री एम॰के॰ राघवन	कोझीकोड	केरल	शपथ	मलयालम
221.	श्री पी॰के॰ कुन्हालीकुट्टी	मलप्पुरम	केरल	शपथ	अंग्रेजी
222.	श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर	पोन्नानी	केरल	शपथ	अंग्रेजी
223.	श्री वी॰के॰ श्रीकंदन	पलक्काड	केरल	शपथ	मलयालम
224.	श्रीमती राम्या हिरदास	अलथूर (अ॰जा॰)	केरल	शपथ	अंग्रेजी
225.	श्री टी॰एन॰ प्रथापन	त्रिस्सूर	केरल	शपथ	अंग्रेजी
226.	श्री बैन्नी बेहनन	चालाकुडी	केरल	शपथ	अंग्रेजी
227.	श्री हिबी इडन	एर्नाकुलम	केरल	शपथ	अंग्रेजी
228.	एडवोकेट डीन कुरियाकोस	इडुक्की	केरल	शपथ	अंग्रेजी
229.	श्री थॉमस चाछीकादन	कोट्टायम	केरल	शपथ	अंग्रेजी
230.	एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफ	अलप्पुझा	केरल	प्रतिज्ञान	मलयालम
231.	श्री एंटो एन्टोनी	पथनमथीट्टा	केरल	शपथ	अंग्रेजी
232.	श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन	कोल्लम	केरल	प्रतिज्ञान	अंग्रेजी
233.	एडवोकेट अदूर प्रकाश	अट्टिंगल	केरल	शपथ	अंग्रेजी
234.	श्री मोहम्मद फैजल पी॰पी॰	लक्षद्वीप (अ॰ज॰जा॰)	लक्षद्वीप	शपथ	उर्दू

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
235.	श्रीमती संध्या राय	भिंड (अ॰जा॰)	मध्य प्रदेश	शपथ	हिंदी
236.	श्री विवेक नारायण शेजवलकर	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	शपथ	हिंदी
237.	श्री कृष्ण पाल सिंह ''डॉ॰ के॰पी॰ यादव''	गुना	मध्य प्रदेश	शपथ	हिंदी
238.	श्री राजबहादुर सिंह	सागर	मध्य प्रदेश	शपथ	हिंदी
239.	श्री विष्णु दत्त शर्मा	खजुराहो	मध्य प्रदेश	शपथ	हिंदी
240.	श्री गणेश सिंह	सतना	मध्य प्रदेश	शपथ	हिंदी
241.	श्री जनार्दन मिश्र	रीवा	मध्य प्रदेश	शपथ	हिंदी
242.	श्रीमती रीती पाठक	सीधी	मध्य प्रदेश	शपथ	हिंदी
243.	श्री राकेश सिंह	जबलपुर	मध्य प्रदेश	शपथ	हिंदी
244.	डॉ॰ ढाल सिंह बिसेन	बालाघाट	मध्य प्रदेश	शपथ	हिंदी
245.	श्री नकुल कमल नाथ	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	शपथ	हिंदी
246.	श्री उदय प्रताप सिंह	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	शपथ	हिंदी
247.	श्री रमाकान्त भार्गव	विदिशा	मध्य प्रदेश	शपथ	हिंदी
248.	साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर	भोपाल	मध्य प्रदेश	शपथ	संस्कृत
249.	श्री रोडमल नागर	राजगढ़	मध्य प्रदेश	शपथ	संस्कृत
250.	श्री महेंद्र सिंह सोलंकी	देवास (अ॰जा॰)	मध्य प्रदेश	शपथ	संस्कृत
251.	श्री अनिल फिरोजिया	उज्जैन (अ॰जा॰)	मध्य प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिंदी
252.	श्री सुधीर गुप्ता	मंदसौर	मध्य प्रदेश	शपथ	संस्कृत
253.	श्री गुमान सिंह दामोर	रतलाम (अ॰ज॰जा॰)	मध्य प्रदेश	शपथ	संस्कृत
254.	श्री छतरसिंह दरबार	धार (अ॰ज॰जा॰)	मध्य प्रदेश	शपथ	संस्कृत
255.	श्री शंकर लालवानी	इन्दौर	मध्य प्रदेश	शपथ	सिंधी
256.	श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल	खरगोन (अ॰ज॰जा॰)	मध्य प्रदेश	शपथ	संस्कृत
257.	श्री नन्द कुमार सिंह चौहान (नन्दू भैया)	खंडवा	मध्य प्रदेश	शपथ	हिंदी
258.	श्री दुर्गा दास (डी॰डी॰) उईके	बेतूल (अ॰ज॰जा॰)	मध्य प्रदेश	शपथ	संस्कृत
259.	डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत	नन्दुवार (अ॰ज॰जा॰)	महाराष्ट्र	शपथ	हिंदी
260.	डॉ॰ भामरे सुभाष रामराव	धुले	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
261.	श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल	जलगांव	महाराष्ट्र	शपथ	संस्कृत
262.	श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे	रावेर	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
263.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	बुलढाना	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
264.	श्रीमती नवनीत रवी राणा	अमरावती (अ॰जा॰)	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
265.	श्री रामदाव चंद्रभानजी तड़स	वर्धा	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
266.	श्री सुनील बाबूराव मेंधे	भंडारा–गोंदिया	महाराष्ट्र	शपथ	संस्कृत
267.	श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
268.	श्रीमती भावना पुंडलीकराव गवली	यवतमाल–वासिम	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
269.	श्री हेमंत पाटिल	हिंगोली	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
270.	श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर	नांदेड़	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
271.	श्री जाधव संजय बंधु हरिभाई	परभणी	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
272.	श्री इम्तियाज जलील सय्यद	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
273.	डॉ॰ भारती प्रवीण पवार	डिंडोरी (अजजा)	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
274.	श्री गोडसे हेमन्त तुकाराम	नासिक	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
275.	श्री राजेन्द्र धेडया गावित	पालघर (अजजा)	महाराष्ट्र	प्रतिज्ञान	मराठी
276.	श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल	भिवंडी	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
277.	डॉ॰ श्रीकान्त एकनाथ शिंदे	कल्याण	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
278.	श्री राजन बाबूराव विचारे	ठाणे	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
279.	श्री गोपाल शेट्टी	मुंबई उत्तर	महाराष्ट्र	शपथ	हिन्दी
280.	श्री गजानन कीर्तिकर	मुंबई उत्तर पश्चिम	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
281.	श्री मनोज कोटक	मुंबई उत्तर पूर्व	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
282.	श्रीमती पूनम महाजन	मुंबई उत्तर मध्य	महाराष्ट्र	शपथ	हिंदी
283.	श्री राहुल रमेश शेवाले	मुंबई दक्षिण मध्य	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
284.	श्री तटकरे सुनील दत्तात्रेय	रायगड	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
285.	श्री श्रीरंग अप्पा चन्दू बार्ने	मावल	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
286.	श्री गिरीश भालचंद्र बापट	पुणे	महाराष्ट्र	शपथ	संस्कृत
287.	श्रीमती सुप्रिया सुले	बारामती	महाराष्ट्र	प्रतिज्ञान	हिन्दी
288.	डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हे	शिरूर	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
289.	डॉ॰ सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील	अहमदनगर	महाराष्ट्र	शपथ	अंग्रेजी
290.	श्री सदाशिव किसान लोखंडे	शिरडी (अ॰जा॰)	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
291.	डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे	बीड	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
292.	श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर	उस्मानाबाद	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
293.	श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे	लातुर (अ॰जा॰)	महाराष्ट्र	शपथ	हिन्दी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
294.	श्री शा॰ब्रा॰डा॰ जय सिधेश्वर शिवचारी महास्वामीजी	शोलापुर (अ॰जा॰)	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
295.	श्री रंजीतसिन्हा हिंदुराव नाइक निम्बालकर	माधा	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
296.	श्री संजयकाका पाटील	सांगली	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
297.	श्रीमंत छ॰ उदयनराजे प्रतापसिंह महाराज भोंसले	सतारा	महाराष्ट्र	शपथ	अंग्रेजी
298.	श्री विनायक राउत	रत्नागिरी–सिंधुदुर्ग	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
299.	श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
300.	श्री धर्मशील संभाजीराव माणे	हातकणंगले	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
301.	डॉ॰ राजकुमार रंजन सिंह	आंतरिक मणिपुर	मणिपुर	शपथ	मणिपुरी
302.	श्री लोरहो एस॰ फोज़	बाह्य मणिपुर (अ॰ज॰जा॰)	मणिपुर	शपथ	अंग्रेजी
303.	श्री विन्सेंट एच॰ पाला	शिलांग (अ॰ज॰जा॰)	मेघालय	शपथ	अंग्रेजी
304.	सुश्री अगाथा के॰ संगमा	तुरा (अ॰ज॰जा॰)	मेघालय	शपथ	हिन्दी
305.	श्री सी॰ लालरोसांगा	मिजोरम (अ॰ज॰जा॰)	मिजोरम	शपथ	अंग्रेजी
306.	श्री टोखेहो येपथोमी	नागालैंड	नागालैंड	शपथ	अंग्रेजी
307.	श्री जुएल ओराम	सुन्दरगढ़ (अ॰ज॰जा॰)	ओडिशा	शपथ	उड़िया
308.	सुश्री चंद्राणी मुर्मु	क्योन्झर (अ॰ज॰जा॰)	ओडिशा	शपथ	संथाली
309.	श्रीमती मंजुलता मंडल	भाद्रक (अ॰जा॰)	ओडिशा	शपथ	उड़िया
310.	श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी	जाजपुर (अ॰जा॰)	ओडिशा	शपथ	उड़िया
311.	श्री महेश साहू	धेन्कानल	ओडिशा	शपथ	उड़िया
312.	श्री बसंत कुमार पांडा	कालाहाण्डी	ओडिशा	शपथ	उड़िया
313.	श्री रमेश चंद्र माझी	नबरंगपुर (अ॰ज॰जा॰)	ओडिशा	शपथ	उड़िया
314.	श्री अच्युतानंद सामंत	कंधामल	ओडिशा	शपथ	उड़िया
315.	श्रीमती राजाश्री मल्लिक	जगतसिंहपुर (अ॰जा॰)	ओडिशा	शपथ	उड़िया
316.	श्री पिनाकी मिश्रा	पुरी	ओडिशा	शपथ	उड़िया
317.	श्रीमती अपराजिता सारंगी	भुवनेश्वर	ओडिशा	शपथ	उड़िया
318.	श्रीमती प्रमीला विसोई	अस्का	ओडिशा	शपथ	उड़िया
319.	श्री चंद्र शेखर साहू	बरहामपुर	ओडिशा	शपथ	उड़िया
320.	श्री सप्तगिरी उलाका	कोरापुट (अ॰ज॰जा॰)	ओडिशा	शपथ	अंग्रेजी

सायं 6.12 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 18 *जून,* 2019 *को पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—560LS(S3)—17-06-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 18 जून, 2019/28 ज्येष्ठ, 1941 (शक)

संख्या 2

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *सामयिक अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की अथवा प्रतिज्ञान किया, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:—

क्र॰सं॰	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री संतोष पांडेय	राजनंदगांव	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
2.	श्री कृपाल बालाजी तुमाने	रामटेक (अ॰जा॰)	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
3.	श्री अशोक महादेवराव नेते	गड़चिरोली-चिमुर (अ॰ज॰जा॰)	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
4.	श्री सुरेश पुजारी	बारगढ़	ओडिशा	शपथ	उड़िया
5.	श्री नितेश गंगा देब	संबलपुर	ओडिशा	शपथ	अंग्रेजी
6.	श्री इंजी॰ बिश्वेश्वर टुडू	मयूरभंज (अ॰ज॰जा॰)	ओडिशा	शपथ	अंग्रेजी

*मूल हिन्दी में, विस्तृत विवरण के लिए, कृपया इस दिन का वाद-विवाद देखें।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	श्री वी॰ वैथिलिंगम	पुडुचेरी	पुडुचेरी	शपथ	तमिल
8.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	बोलनगीर	ओडिशा	शपथ	हिन्दी
9.	श्री सन्नी देओल	गुरदासपुर	पंजाब	शपथ	अंग्रेजी
10.	श्री गुरजीत सिंह औजला	अमृतसर	पंजाब	शपथ	पंजाबी
11.	श्री जसबीर सिंह गिल (डिम्पा)	खडूर साहिब	पंजाब	प्रतिज्ञान	पंजाबी
12.	श्री संतोख सिंह चौधरी	जालन्धर (अ॰जा॰)	पंजाब	शपथ	पंजाबी
13.	श्री मनीष तिवारी	आनन्दपुर साहिब	पंजाब	शपथ	पंजाबी
14.	श्री रवनीत सिंह बिट्टू	लुधियाना	पंजाब	शपथ	पंजाबी
15.	डॉ॰ अमर सिंह	फतेहगढ़ साहिब (अ॰जा॰)	पंजाब	शपथ	पंजाबी
16.	श्री मोहम्मद सादिक	फरीदकोट (अ॰जा॰)	पंजाब	शपथ	पंजाबी
17.	श्री सुखबीर सिंह बादल	फिरोजपुर	पंजाब	शपथ	पंजाबी
18.	श्री भगवंत मान	संगरूर	पंजाब	शपथ	पंजाबी
19.	श्रीमती परनीत कौर	पटियाला	पंजाब	शपथ	पंजाबी
20.	श्री बदरुद्दीन अजमल	धुब्री	असम	शपथ	अंग्रेजी
21.	श्री निहाल चन्द	गंगानगर (अ॰जा॰)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
22.	श्री राहुल कस्वां	चुरू	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
23.	श्री नरेन्द्र कुमार	झुन्झुनू	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
24.	श्री सुमेधानंद सरस्वती	सीकर	राजस्थान	शपथ	संस्कृत
25.	कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़	जयपुर ग्रामीण	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
26.	श्री रामचरण बोहरा	जयपुर	राजस्थान	शपथ	संस्कृत
27.	श्री बालक नाथ	अलवर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
28.	श्रीमती रंजीता कोली	भरतपुर (अ॰जा॰)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
29.	श्री मनोज राजोरिया	करौली-धौलपुर (अ॰जा॰)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
30.	श्रीमती जसकौर मीना	दौसा (अ॰ज॰जा॰)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
31.	श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया	टोंक-सवाईमाधोपुर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
32.	श्री भगीरथ चौधरी	अजमेर	राजस्थान	शपथ	संस्कृत
33.	श्री हनुमान बैनिवाल	नागौर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
34.	श्री पी॰पी॰ चौधरी	पाली	राजस्थान	प्रतिज्ञान	हिन्दी
35.	श्री देवजी पटेल	जालौर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
36.	श्री अर्जुन लाल मीणा	उदयपुर (अ॰ज॰जा॰)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37.	श्री कनकमल कटारा	बांसवाड़ा (अ॰ज॰जा॰)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
38.	श्री चंद्र प्रकाश जोशी	चित्तौड़गढ़	राजस्थान	शपथ	संस्कृत
39.	श्रीमती दिया कुमारी	राजसमन्द	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
40.	श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया	भीलवाड़ा	राजस्थान	शपथ	संस्कृत
41.	श्री ओम बिरला	कोटा	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
42.	श्री दुष्यंत सिंह	झालावाड़–बारां	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
43.	डॉ॰ शशि थरूर	तिरूवनन्तपुरम	केरल	शपथ	अंग्रेजी
44.	श्री इंद्रा हांग सुब्बा	सिक्किम	सिक्किम	शपथ	नेपाली
45.	डॉ॰ के॰ जयकुमार	तिरूवल्लुर (अ॰जा॰)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
46.	श्री कलानिधि वीरास्वामी	चेन्नई उत्तर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
47.	श्रीमती टी॰ सुमती (ए॰) तामिझची थंगापंडियन	चेन्नई दक्षिण	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
48.	श्री दयानिधि मारन	चेन्नई केंद्रीय	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
49.	श्री बालु टी॰आर॰	श्रीपेरूम्बुडुर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
50.	श्री सेल्वम जी॰	कांचीपुरम (अ॰जा॰)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
51.	श्री एस॰ जगतरक्षकन	अराक्कोनम	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
52.	डॉ॰ ए॰ चैल्ला कुमार	कृष्णागिरी	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
53.	श्री डीएनवी सेंथिल कुमार एस॰	धर्मापुरी	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
54.	श्री अन्नादुरई सी॰एन॰	तिरूवन्नामलाई	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
55.	श्री विष्णु प्रसाद एम॰के॰	अरानी	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
56.	श्री रविकुमार डी॰	विलुपुरम (अ॰जा॰)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
57.	श्री गौतम सिगामनी पौन	कल्लाकुरिची	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
58.	श्री पर्तिबन एस॰आर॰	सलेम	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
59.	श्री चिनराज ए॰के॰पी॰	नामाक्कल	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
60.	श्री गणेशमूर्ति ए॰	इरोड	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
61.	श्री सुब्बारायण के॰	तिरूपुर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
62.	श्री राजा ए॰	नीलगिरि (अ॰जा॰)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
63.	श्री नटराजन पी॰आर॰	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
64.	श्री शनमुगा सुंदरम के॰	पोल्लाची	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
65.	श्री वेलुसामी पी॰	डिण्डीगुल	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
66.	श्री जोतिमणि एस॰	करूर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
67.	श्री थिरूनवुक्करासर सु॰	तिरूचिरापल्ली	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
68.	डॉ॰ पारिवेन्धर टी॰आर॰	पेरम्बलुर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
69.	श्री टी॰आर॰वी॰एस॰ रमेश	कुडडालोर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
70.	श्री तिरूमावलवन थोल	चिदम्बरम (अ॰जा॰)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
71.	श्री रामालिंगम एस॰	मइलादुथुरई	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
72.	श्री सेल्वराज एम॰	नागापट्टिनम (अ॰जा॰)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
73.	श्री पलानीमणिक्कम एस॰एस॰	तंजावुर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
74.	श्री कार्ती पी॰ चिदम्बरम	शिवगंगा	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
75.	श्री वेंकटेशन एस॰	मदुरई	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
76.	श्री रविन्द्रनाथ कुमार पी॰	थेनी	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
77.	श्री मणिक्कम टैगोर बी॰	विरूधुनगर	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
78.	श्री के॰ नवसकनी	रामानाथपुरम	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
79.	श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि	थूथुक्कुडी	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
80.	श्री धनुष एम॰ कुमार	टेनकासी (अ॰जा॰)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
81.	श्री ज्ञानतिरावियम एस॰	तिरूनेलवेली	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
82.	श्री वसंत कुमार एच॰	कन्याकुमारी	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
83.	श्री सोयम बापू राव	आदिलाबाद (अ॰ज॰जा॰)	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
84.	श्री वैंकेटेश नेता बोरलाकुंता	पेड्डापल्ले (अ॰जा॰)	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
85.	श्री बंदी संजय कुमार	करीमनगर	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
86.	श्री अरविंद धर्मापुरी	निजामाबाद	तेलंगाना	शपथ	अंग्रेजी
87.	श्री बी॰बी॰ पाटिल	जहीराबाद	तेलंगाना	शपथ	हिन्दी
88.	श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी	मेडक	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
89.	श्री अनुमुला रेवन्त रेड्डी	मल्काजगिरी	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
90.	श्री असदुद्दीन ओवैसी	हैदराबाद	तेलंगाना	शपथ	उर्दू
91.	डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डी	चेवेल्ला	तेलंगाना	शपथ	अंग्रेजी
92.	श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी	महबूबनगर	तेलंगाना	शपथ	अंग्रेजी
93.	श्री पोथूगन्टी रमूलू	नगरकुरनूल (अ॰जा॰)	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
94.	श्री उत्तम कुमार रेड्डी नलमदा	नलगोंडा	तेलंगाना	शपथ	अंग्रेजी
95.	श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी	भोंगीर	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
96.	श्री दयाकर पसुनूरी	वारंगल (अ॰जा॰)	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
97.	श्रीमती कविता मलोथु	महाबूबाबाद (अ॰ज॰जा॰)	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
98.	श्री नामा नागेश्वर	खम्माम	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
99.	श्रीमती प्रतिमा भौमिक	त्रिपुरा पश्चिम	त्रिपुरा	प्रतिज्ञान	बंगाली
100.	श्री रेबती त्रिपुरा	त्रिपुरा पूर्व (अ॰ज॰जा॰)	त्रिपुरा	शपथ	हिन्दी
101.	श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड	शपथ	अंग्रेजी
102.	श्री मुलायम सिंह यादव	मैनपुरी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
103.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	मेरठ	उत्तर प्रदेश	शपथ	संस्कृत
104.	श्री जगदम्बिका पाल	डुमरियागंज	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी

(लोक सभा अपराह्न 1.20 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.20 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.20 बजे

105.	श्री तीरथ सिंह रावत	गढ़वाल	उत्तराखंड	शपथ	संस्कृत
106.	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा (अ॰जा॰)	उत्तराखंड	शपथ	हिन्दी
107.	श्री श्री अजय भट्ट	नैनीताल–उधम सिंह नगर	उत्तराखंड	शपथ	संस्कृत
108.	श्रीमती किरण खेर	चंडीगढ़	चंडीगढ़	शपथ	हिन्दी
109.	श्री हाजी फजलु रहमान	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
110.	श्री प्रदीप कुमार	कैराना	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
111.	श्री मलूक नागर	बिजनौर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
112.	श्री गिरीश चन्द्र	नगीना (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
113.	श्री डॉ॰ एस॰टी॰ हसन	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
114.	श्री मोहम्मद आजम खान	रामपुर	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	उर्दू
115.	डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्क	संभल	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	उर्दू
116.	डॉ॰ सत्यपाल सिंह	बागपत	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
117.	श्री भोला सिंह	बुलन्दशहर (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
118.	श्री सतीश कुमार गौतम	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
119.	श्री राजवीर दिलेर	हाथरस (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
120.	श्रीमती हेमामालिनी	मथुरा	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
121.	प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेल	आगरा (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
122.	श्री राजकुमार चाहर	फतेहपुर सीकरी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
123.	श्री चन्द्र सेन जादौन	फिरोजाबाद	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
124.	श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या)	एटा	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
125.	श्री कुंवर दानिश अली	अमरोहा	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
126.	डॉ॰ संघमित्रा मौर्या	बदायूं	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
127.	श्री धर्मेन्द्र कश्यप	आंवला	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
128.	श्री फिरोज वरूण गांधी	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
129.	श्री अरूण कुमार सागर	शाहजहांपुर (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
130.	श्री अजय कुमार	खीरी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
131.	श्रीमती रेखा वर्मा	धौरहरा	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
132.	डॉ॰ महेश शर्मा	गौतम बुद्ध नगर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
133.	श्री राजेश वर्मा	सीतापुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
134.	श्री जय प्रकाश	हरदोई (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
135.	श्री अशोक कुमार रावत	मिश्रिख (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
136.	डॉ॰ स्वामी साक्षीजी महाराज	उन्नाव	उत्तर प्रदेश	शपथ	संस्कृत
137.	श्री कौशल किशोर	मोहनलालगंज (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
138.	श्रीमती सोनिया गांधी	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
139.	श्रीमती मेनका संजय गांधी	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
140.	श्री संगम लाल गुप्ता	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
141.	श्री मुकेश राजपूत	फर्रुखाबाद	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
142.	डॉ॰ रामशंकर कठेरिया	इटावा(अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
143.	श्री सत्यदेव पचौरी	कानपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
144.	श्री सुब्रत पाठक	कन्नौज	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
145.	श्री देवेन्द्र सिंह भोले	अकबरपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
146.	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	जालौन (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
147.	श्री अनुराग शर्मा	झांसी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
148.	कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल	हमीरपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	संस्कृत
149.	श्री आर॰के॰ सिंह पटेल	बांदा	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
150.	श्री विनोद कुमार सोनकर	कौशाम्बी (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
151.	श्री केसरी देवी पटेल	फूलपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
152.	श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
153.	श्री उपेन्द्र सिंह रावत	बाराबंकी (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
154.	श्री लल्लू सिंह	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
155.	श्री रितेश पांडेय	अम्बेडकर नगर	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिंदी
156.	श्री अक्षयवर लाल	बहराइच (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
157.	श्री राम शिरोमणि	श्राबस्ती	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिंदी
158.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह उर्फ राजा भैया	गौंडा	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
159.	श्री हरीश चन्द्र *उर्फ* हरीश द्विवेदी	बस्ती	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
160.	श्री प्रवीन कुमार निषाद	संत कबीर नगर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
161.	श्री पंकज चौधरी	महारागंज	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
162.	श्री रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला *उर्फ* रवि किशन	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
163.	श्री विजय कुमार दूबे	कुशीनगर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
164.	श्री रमापति राम त्रिपाठी	देवरिया	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
165.	श्री कमलेश पासवान	बासगांव (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
166.	श्रीमती संगीता आजाद	लालगंज (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
167.	श्री अखिलेश यादव	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
168.	श्री रविन्दर	सलेमपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
169.	श्री वीरेन्द्र सिंह	बलिया	उत्तर प्रदेश	शपथ	संस्कृत
170.	श्री श्याम सिंह यादव	जौनपुर	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिंदी
171.	श्री भोलानाथ 'बी॰पी॰ सरोज'	मछलीशहर (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
172.	श्री अफजाल अंसारी	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिंदी
173.	श्री रमेश चन्द	भदोही	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
174.	श्रीमती अनुप्रिया पटेल	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिंदी
175.	श्री पकौड़ी लाल कोल	राबर्ट्सगंज (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
176.	श्री निसिथ प्रामाणिक	कूचबिहार (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
177.	श्री जॉन बर्ला	अलीपुरद्वारस (अ॰ज॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	हिंदी
178.	डा॰ जयंत कुमार राय	जलपाईगुड़ी (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
179.	श्री राजू बिष्ट	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल	शपथ	नेपाली
180.	डॉ॰ सुकान्त मजूमदार	बालूरघाट	पश्चिम बंगाल	शपथ	संस्कृत
181.	श्री खगेन मुर्मु	माल्दहा उत्तर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
182.	श्री खान अबु हसन (डालू) चौधरी	माल्दहा दक्षिण	पश्चिम बंगाल	शपथ	अंग्रेजी
183.	श्री खलीलुर रहमान	जंगीपुर	पश्चिम बंगाल	प्रतिज्ञान	बांग्ला
184.	श्री अधीर रंजन चौधरी	बहरामपुर	पश्चिम बंगाल	प्रतिज्ञान	बांग्ला
185.	श्री अबू ताहेर खान	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
186.	सुश्री महुआ मोइत्रा	कृष्णानगर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
187.	श्री जगन्नाथ सरकार	रणघाट (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
188.	श्री शान्तनु ठाकुर	बनगांव (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	अंग्रेजी
189.	श्री अर्जुन सिंह	बैरकपुर	पश्चिम बंगाल	शपथ	हिन्दी
190.	श्री सौगत राय	दमदम	पश्चिम बंगाल	प्रतिज्ञान	बांग्ला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
191.	डॉ॰ काकोली घोष दस्तीदार	बारासात	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
192.	श्रीमती प्रतिमा मण्डल	जयनगर (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
193.	श्री चौधरी मोहन जाटुआ	मथुरापुर (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
194.	श्री अभिषेक बनर्जी	डायमण्ड हार्बर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
195.	श्रीमती माला राय	कोलकाता दक्षिण	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
196.	श्री सुदीप बन्दोपाध्याय	कोलकाता उत्तर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
197.	श्री प्रसून बनर्जी	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
198.	श्रीमती साज़दा अहमद	उलुबेरिया	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
199.	श्री कल्याण बनर्जी	श्रीरामपुर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
200.	सुश्री लॉकेट चटर्जी	हुगली	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
201.	श्रीमती अपरूपा पोद्दार (अफरीन अली)	आरामबाग (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	हिन्दी
202.	श्री दिव्येन्दु अधिकारी	तामलुक	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
203.	श्री अधिकारी शिशिर	कांथी	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
204.	श्री अधिकारी दीपक (देव)	घाटल	पश्चिम बंगाल	शपथ	अंग्रेजी
205.	श्री कुनार हेमब्राम	झाड़ग्राम (अ॰ज॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	प्रतिज्ञान	संथाली
206.	श्री दिलीप घोष	मेदिनीपुर	पश्चिम बंगाल	शपथ	संस्कृत
207.	श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो	पुरूलिया	पश्चिम बंगाल	शपथ	हिन्दी
208.	डॉ॰ सुभाष सरकार	बंकुरा	पश्चिम बंगाल	शपथ	संस्कृत
209.	श्री खान सौमित्र	बिशनुपुर (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	हिन्दी
210.	श्री सुनील कुमार मण्डल	बर्धमान पूर्व (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	प्रतिज्ञान	बांग्ला
211.	श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया	(बर्धमान-दुर्गापुर)	पश्चिम बंगाल	शपथ	संस्कृत
212.	श्री असीत कुमार माल	बोलपुर (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
213.	श्रीमती शताब्दी राय	बीरभूम	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
214.	श्री अजल कुमार मंडल	भागलपुर	बिहार	शपथ	हिन्दी

अपराह्न 4.46 बजे

(लोक सभा बुधवार, 19 *जून,* 2019 *को पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव।

MGIPMRND—597LS(S3)—18-06-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 18 जून, 2019/28 ज्येष्ठ, 1941 (शक)

संख्या 2

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *सामयिक अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की अथवा प्रतिज्ञान किया, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:—

क्र॰सं॰	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री संतोष पांडेय	राजनंदगांव	छत्तीसगढ़	शपथ	हिन्दी
2.	श्री कृपाल बालाजी तुमाने	रामटेक (अ॰जा॰)	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
3.	श्री अशोक महादेवराव नेते	गड़चिरोली-चिमुर (अ॰ज॰जा॰)	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
4.	श्री सुरेश पुजारी	बारगढ़	ओडिशा	शपथ	उड़िया
5.	श्री नितेश गंगा देब	संबलपुर	ओडिशा	शपथ	अंग्रेजी
6.	श्री इंजी॰ बिश्वेश्वर टुडू	मयूरभंज (अ॰ज॰जा॰)	ओडिशा	शपथ	अंग्रेजी

*मूल हिन्दी में, विस्तृत विवरण के लिए, कृपया इस दिन का वाद-विवाद देखें।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	श्री वी॰ वैथिलिंगम	पुडुचेरी	पुडुचेरी	शपथ	तमिल
8.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	बोलनगीर	ओडिशा	शपथ	हिन्दी
9.	श्री सन्नी देओल	गुरदासपुर	पंजाब	शपथ	अंग्रेजी
10.	श्री गुरजीत सिंह औजला	अमृतसर	पंजाब	शपथ	पंजाबी
11.	श्री जसबीर सिंह गिल (डिम्पा)	खडूर साहिब	पंजाब	प्रतिज्ञान	पंजाबी
12.	श्री संतोख सिंह चौधरी	जालन्धर (अ॰जा॰)	पंजाब	शपथ	पंजाबी
13.	श्री मनीष तिवारी	आनन्दपुर साहिब	पंजाब	शपथ	पंजाबी
14.	श्री रवनीत सिंह बिट्टू	लुधियाना	पंजाब	शपथ	पंजाबी
15.	डॉ॰ अमर सिंह	फतेहगढ़ साहिब (अ॰जा॰)	पंजाब	शपथ	पंजाबी
16.	श्री मोहम्मद सादिक	फरीदकोट (अ॰जा॰)	पंजाब	शपथ	पंजाबी
17.	श्री सुखबीर सिंह बादल	फिरोजपुर	पंजाब	शपथ	पंजाबी
18.	श्री भगवंत मान	संगरूर	पंजाब	शपथ	पंजाबी
19.	श्रीमती परनीत कौर	पटियाला	पंजाब	शपथ	पंजाबी
20.	श्री बदरुद्दीन अजमल	धुब्री	असम	शपथ	अंग्रेजी
21.	श्री निहाल चन्द	गंगानगर (अ॰जा॰)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
22.	श्री राहुल कस्वां	चुरू	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
23.	श्री नरेन्द्र कुमार	झुन्झुनू	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
24.	श्री सुमेधानंद सरस्वती	सीकर	राजस्थान	शपथ	संस्कृत
25.	कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़	जयपुर ग्रामीण	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
26.	श्री रामचरण बोहरा	जयपुर	राजस्थान	शपथ	संस्कृत
27.	श्री बालक नाथ	अलवर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
28.	श्रीमती रंजीता कोली	भरतपुर (अ॰जा॰)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
29.	श्री मनोज राजोरिया	करौली–धौलपुर (अ॰जा॰)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
30.	श्रीमती जसकौर मीना	दौसा (अ॰ज॰जा॰)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
31.	श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया	टोंक–सवाईमाधोपुर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
32.	श्री भगीरथ चौधरी	अजमेर	राजस्थान	शपथ	संस्कृत
33.	श्री हनुमान बैनिवाल	नागौर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
34.	श्री पी॰पी॰ चौधरी	पाली	राजस्थान	प्रतिज्ञान	हिन्दी
35.	श्री देवजी पटेल	जालौर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
36.	श्री अर्जुन लाल मीणा	उदयपुर (अ॰ज॰जा॰)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37.	श्री कनकमल कटारा	बांसवाड़ा (अ॰ज॰जा॰)	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
38.	श्री चंद्र प्रकाश जोशी	चित्तौड़गढ़	राजस्थान	शपथ	संस्कृत
39.	श्रीमती दिया कुमारी	राजसमन्द	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
40.	श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया	भीलवाड़ा	राजस्थान	शपथ	संस्कृत
41.	श्री ओम बिरला	कोटा	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
42.	श्री दुष्यंत सिंह	झालावाड़–बारां	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
43.	डॉ॰ शशि थरूर	तिरूवनन्तपुरम	केरल	शपथ	अंग्रेजी
44.	श्री इंद्रा हांग सुब्बा	सिक्किम	सिक्किम	शपथ	नेपाली
45.	डॉ॰ के॰ जयकुमार	तिरूवल्लुर (अ॰जा॰)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
46.	श्री कलानिधि वीरास्वामी	चेन्नई उत्तर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
47.	श्रीमती टी॰ सुमती (ए॰) तामिझची थंगापंडियन	चेन्नई दक्षिण	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
48.	श्री दयानिधि मारन	चेन्नई केंद्रीय	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
49.	श्री बालु टी॰आर॰	श्रीपेरूम्बुडुर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
50.	श्री सेल्वम जी॰	कांचीपुरम (अ॰जा॰)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
51.	श्री एस॰ जगतरक्षकन	अराक्कोनम	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
52.	डॉ॰ ए॰ चैल्ला कुमार	कृष्णागिरी	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
53.	श्री डीएनवी सेंथिल कुमार एस॰	धर्मापुरी	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
54.	श्री अन्नादुरई सी॰एन॰	तिरूवन्नामलाई	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
55.	श्री विष्णु प्रसाद एम॰के॰	अरानी	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
56.	श्री रविकुमार डी॰	विलुपुरम (अ॰जा॰)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
57.	श्री गौतम सिगामनी पौन	कल्लाकुरिची	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
58.	श्री पर्तिबन एस॰आर॰	सलेम	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
59.	श्री चिनराज ए॰के॰पी॰	नामाक्कल	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
60.	श्री गणेशमूर्ति ए॰	इरोड	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
61.	श्री सुब्बारायण के॰	तिरूपुर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
62.	श्री राजा ए॰	नीलगिरि (अ॰जा॰)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
63.	श्री नटराजन पी॰आर॰	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
64.	श्री शनमुगा सुंदरम के॰	पोल्लाची	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
65.	श्री वेलुसामी पी॰	डिण्डीगुल	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
66.	श्री जोतिमणि एस॰	करूर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
67.	श्री थिरूनवुक्करासर सु॰	तिरूचिरापल्ली	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
68.	डॉ॰ पारिवेन्धर टी॰आर॰	पेरम्बलुर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
69.	श्री टी॰आर॰वी॰एस॰ रमेश	कुडडालोर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
70.	श्री तिरूमावलवन थोल	चिदम्बरम (अ॰जा॰)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
71.	श्री रामालिंगम एस॰	मइलादुथुरई	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
72.	श्री सेल्वराज एम॰	नागापट्टिनम (अ॰जा॰)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
73.	श्री पलानीमणिक्कम एस॰एस॰	तंजावुर	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
74.	श्री कार्ती पी॰ चिदम्बरम	शिवगंगा	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
75.	श्री वेंकटेशन एस॰	मदुरई	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
76.	श्री रविन्द्रनाथ कुमार पी॰	थेनी	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
77.	श्री मणिक्कम टैगोर बी॰	विरूधुनगर	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
78.	श्री के॰ नवसकनी	रामानाथपुरम	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
79.	श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि	थूथुक्कुडी	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
80.	श्री धनुष एम॰ कुमार	टेनकासी (अ॰जा॰)	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
81.	श्री ज्ञानतिरावियम एस॰	तिरूनेलवेली	तमिलनाडु	प्रतिज्ञान	तमिल
82.	श्री वसंत कुमार एच॰	कन्याकुमारी	तमिलनाडु	शपथ	तमिल
83.	श्री सोयम बापू राव	आदिलाबाद (अ॰ज॰जा॰)	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
84.	श्री वैंकेटेश नेता बोरलाकुंता	पेड्डापल्ले (अ॰जा॰)	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
85.	श्री बंदी संजय कुमार	करीमनगर	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
86.	श्री अरविंद धर्मापुरी	निजामाबाद	तेलंगाना	शपथ	अंग्रेजी
87.	श्री बी॰बी॰ पाटिल	जहीराबाद	तेलंगाना	शपथ	हिन्दी
88.	श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी	मेडक	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
89.	श्री अनुमुला रेवन्त रेड्डी	मल्काजगिरी	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
90.	श्री असदुद्दीन ओवैसी	हैदराबाद	तेलंगाना	शपथ	उर्दू
91.	डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डी	चेवेल्ला	तेलंगाना	शपथ	अंग्रेजी
92.	श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी	महबूबनगर	तेलंगाना	शपथ	अंग्रेजी
93.	श्री पोथूगन्टी रमूलू	नगरकुरनूल (अ॰जा॰)	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
94.	श्री उत्तम कुमार रेड्डी नलमदा	नलगोंडा	तेलंगाना	शपथ	अंग्रेजी
95.	श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी	भोंगीर	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
96.	श्री दयाकर पसुनूरी	वारंगल (अ॰जा॰)	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
97.	श्रीमती कविता मलोथु	महाबूबाबाद (अ॰ज॰जा॰)	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
98.	श्री नामा नागेश्वर	खम्माम	तेलंगाना	शपथ	तेलुगू
99.	श्रीमती प्रतिमा भौमिक	त्रिपुरा पश्चिम	त्रिपुरा	प्रतिज्ञान	बंगाली
100.	श्री रेबती त्रिपुरा	त्रिपुरा पूर्व (अ॰ज॰जा॰)	त्रिपुरा	शपथ	हिन्दी
101.	श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड	शपथ	अंग्रेजी
102.	श्री मुलायम सिंह यादव	मैनपुरी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
103.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	मेरठ	उत्तर प्रदेश	शपथ	संस्कृत
104.	श्री जगदम्बिका पाल	डुमरियागंज	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी

(लोक सभा अपराह्न 1.20 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.20 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.20 बजे

105.	श्री तीरथ सिंह रावत	गढ़वाल	उत्तराखंड	शपथ	संस्कृत
106.	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा (अ॰जा॰)	उत्तराखंड	शपथ	हिन्दी
107.	श्री श्री अजय भट्ट	नैनीताल–उधम सिंह नगर	उत्तराखंड	शपथ	संस्कृत
108.	श्रीमती किरण खेर	चंडीगढ़	चंडीगढ़	शपथ	हिन्दी
109.	श्री हाजी फजलु रहमान	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
110.	श्री प्रदीप कुमार	कैराना	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
111.	श्री मलूक नागर	बिजनौर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
112.	श्री गिरीश चन्द्र	नगीना (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
113.	श्री डॉ॰ एस॰टी॰ हसन	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
114.	श्री मोहम्मद आजम खान	रामपुर	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	उर्दू
115.	डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्क	संभल	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	उर्दू
116.	डॉ॰ सत्यपाल सिंह	बागपत	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
117.	श्री भोला सिंह	बुलन्दशहर (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
118.	श्री सतीश कुमार गौतम	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
119.	श्री राजवीर दिलेर	हाथरस (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
120.	श्रीमती हेमामालिनी	मथुरा	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
121.	प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेल	आगरा (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
122.	श्री राजकुमार चाहर	फतेहपुर सीकरी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
123.	श्री चन्द्र सेन जादौन	फिरोजाबाद	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
124.	श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या)	एटा	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
125.	श्री कुंवर दानिश अली	अमरोहा	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
126.	डॉ॰ संघमित्रा मौर्या	बदायूं	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
127.	श्री धर्मेन्द्र कश्यप	आंवला	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
128.	श्री फिरोज वरूण गांधी	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
129.	श्री अरूण कुमार सागर	शाहजहांपुर (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
130.	श्री अजय कुमार	खीरी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
131.	श्रीमती रेखा वर्मा	धौरहरा	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
132.	डॉ॰ महेश शर्मा	गौतम बुद्ध नगर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
133.	श्री राजेश वर्मा	सीतापुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
134.	श्री जय प्रकाश	हरदोई (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
135.	श्री अशोक कुमार रावत	मिश्रिख (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
136.	डॉ॰ स्वामी साक्षीजी महाराज	उन्नाव	उत्तर प्रदेश	शपथ	संस्कृत
137.	श्री कौशल किशोर	मोहनलालगंज (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
138.	श्रीमती सोनिया गांधी	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
139.	श्रीमती मेनका संजय गांधी	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
140.	श्री संगम लाल गुप्ता	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
141.	श्री मुकेश राजपूत	फर्रुखाबाद	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
142.	डॉ॰ रामशंकर कठेरिया	इटावा(अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
143.	श्री सत्यदेव पचौरी	कानपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
144.	श्री सुब्रत पाठक	कन्नौज	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
145.	श्री देवेन्द्र सिंह भोले	अकबरपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
146.	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	जालौन (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
147.	श्री अनुराग शर्मा	झांसी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
148.	कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल	हमीरपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	संस्कृत
149.	श्री आर॰के॰ सिंह पटेल	बांदा	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
150.	श्री विनोद कुमार सोनकर	कौशाम्बी (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
151.	श्री केसरी देवी पटेल	फूलपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
152.	श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
153.	श्री उपेन्द्र सिंह रावत	बाराबंकी (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
154.	श्री लल्लू सिंह	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
155.	श्री रितेश पांडेय	अम्बेडकर नगर	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिंदी
156.	श्री अक्षयवर लाल	बहराइच (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
157.	श्री राम शिरोमणि	श्राबस्ती	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिंदी
158.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह उर्फ राजा भैया	गौंडा	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
159.	श्री हरीश चन्द्र *उर्फ* हरीश द्विवेदी	बस्ती	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
160.	श्री प्रवीन कुमार निषाद	संत कबीर नगर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
161.	श्री पंकज चौधरी	महारागंज	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
162.	श्री रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला *उर्फ* रवि किशन	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
163.	श्री विजय कुमार दूबे	कुशीनगर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
164.	श्री रमापति राम त्रिपाठी	देवरिया	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
165.	श्री कमलेश पासवान	बासगांव (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
166.	श्रीमती संगीता आजाद	लालगंज (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
167.	श्री अखिलेश यादव	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
168.	श्री रविन्दर	सलेमपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
169.	श्री वीरेन्द्र सिंह	बलिया	उत्तर प्रदेश	शपथ	संस्कृत
170.	श्री श्याम सिंह यादव	जौनपुर	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिंदी
171.	श्री भोलानाथ 'बी॰पी॰ सरोज'	मछलीशहर (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
172.	श्री अफजाल अंसारी	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिंदी
173.	श्री रमेश चन्द	भदोही	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
174.	श्रीमती अनुप्रिया पटेल	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिंदी
175.	श्री पकौड़ी लाल कोल	राबर्ट्सगंज (अ॰जा॰)	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिंदी
176.	श्री निसिथ प्रामाणिक	कूचबिहार (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
177.	श्री जॉन बर्ला	अलीपुरद्वारस (अ॰ज॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	हिंदी
178.	डा॰ जयंत कुमार राय	जलपाईगुड़ी (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
179.	श्री राजू बिष्ट	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल	शपथ	नेपाली
180.	डॉ॰ सुकान्त मजूमदार	बालूरघाट	पश्चिम बंगाल	शपथ	संस्कृत
181.	श्री खगेन मुर्मु	माल्दहा उत्तर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
182.	श्री खान अबु हसन (डालू) चौधरी	माल्दहा दक्षिण	पश्चिम बंगाल	शपथ	अंग्रेजी
183.	श्री खलीलुर रहमान	जंगीपुर	पश्चिम बंगाल	प्रतिज्ञान	बांग्ला
184.	श्री अधीर रंजन चौधरी	बहरामपुर	पश्चिम बंगाल	प्रतिज्ञान	बांग्ला
185.	श्री अबू ताहेर खान	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
186.	सुश्री महुआ मोइत्रा	कृष्णानगर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
187.	श्री जगन्नाथ सरकार	रणघाट (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
188.	श्री शान्तनु ठाकुर	बनगांव (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	अंग्रेजी
189.	श्री अर्जुन सिंह	बैरकपुर	पश्चिम बंगाल	शपथ	हिन्दी
190.	श्री सौगत राय	दमदम	पश्चिम बंगाल	प्रतिज्ञान	बांग्ला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
191.	डॉ॰ काकोली घोष दस्तीदार	बारासात	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
192.	श्रीमती प्रतिमा मण्डल	जयनगर (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
193.	श्री चौधरी मोहन जाटुआ	मथुरापुर (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
194.	श्री अभिषेक बनर्जी	डायमण्ड हार्बर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
195.	श्रीमती माला राय	कोलकाता दक्षिण	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
196.	श्री सुदीप बन्दोपाध्याय	कोलकाता उत्तर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
197.	श्री प्रसून बनर्जी	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
198.	श्रीमती साज़दा अहमद	उलुबेरिया	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
199.	श्री कल्याण बनर्जी	श्रीरामपुर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
200.	सुश्री लॉकेट चटर्जी	हुगली	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
201.	श्रीमती अपरूपा पोद्दार (अफरीन अली)	आरामबाग (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	हिन्दी
202.	श्री दिव्येन्दु अधिकारी	तामलुक	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
203.	श्री अधिकारी शिशिर	कांथी	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
204.	श्री अधिकारी दीपक (देव)	घाटल	पश्चिम बंगाल	शपथ	अंग्रेजी
205.	श्री कुनार हेमब्राम	झाड़ग्राम (अ॰ज॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	प्रतिज्ञान	संथाली
206.	श्री दिलीप घोष	मेदिनीपुर	पश्चिम बंगाल	शपथ	संस्कृत
207.	श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो	पुरूलिया	पश्चिम बंगाल	शपथ	हिन्दी
208.	डॉ॰ सुभाष सरकार	बंकुरा	पश्चिम बंगाल	शपथ	संस्कृत
209.	श्री खान सौमित्र	बिशनुपुर (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	हिन्दी
210.	श्री सुनील कुमार मण्डल	बर्धमान पूर्व (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	प्रतिज्ञान	बांग्ला
211.	श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया	(बर्धमान-दुर्गापुर)	पश्चिम बंगाल	शपथ	संस्कृत
212.	श्री असीत कुमार माल	बोलपुर (अ॰जा॰)	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
213.	श्रीमती शताब्दी राय	बीरभूम	पश्चिम बंगाल	शपथ	बांग्ला
214.	श्री अजल कुमार मंडल	भागलपुर	बिहार	शपथ	हिन्दी

अपराह्न 4.46 बजे

(लोक सभा बुधवार, 19 *जून,* 2019 *को पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव।

MGIPMRND—597LS(S3)—18-06-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 20 जून, 2019/30 ज्येष्ठ, 1941 (शक)

संख्या 4

अपराह्न 12.45 बजे

1. राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 2019 को दिए गए अभिभाषण के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

अपराह्न 12.46 बजे

2. *अध्यक्ष द्वारा उद्घोषणा

अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संशोधनों की सूचनाओं को सभा पटल पर रखे जाने के संबंध में उद्घोषणा की।

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—

(1) राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 4)।

---

* मूल हिंदी में, विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(2) राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 5)।

(3) राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 6)।

(4) राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 7)।

(5) राष्ट्रपति द्वारा 1 मार्च, 2019 को प्रख्यापित जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 8)।

(6) राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 9)।

(7) राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 10)।

(8) राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 11)।

(9) राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 12)।

(10) राष्ट्रपति द्वारा 7 मार्च, 2019 को प्रख्यापित केन्द्रीय शिक्षा संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 13)।

अपराह्न 12.46 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 21 जून, 2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—663LS(S3)—20-06-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 21 जून, 2019/31 ज्येष्ठ, 1941 (शक)

संख्या 5

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1, 2 और 4—7 के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्य, जिनके नाम तारांकित प्रश्न संख्या 3 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 8—20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1-19, 21-65, 67-113 और 115-191 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। श्री ओम बिरला की माननीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के कारण अतारांकित प्रश्न संख्या 20, 66 तथा 114 विलोपित किए गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर का उल्लेख किया।

4. विधेयकों पर अनुमति

महासचिव ने सोलहवीं लोक सभा के सत्रहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा 4 फरवरी, 2019 को सभा को सूचित किए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयक सभा पटल पर रखे:

1. विनियोग विधेयक, 2019;

2. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019;

3. स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2019; और

4. वित्त विधेयक, 2019

अपराह्न 12.05 बजे

5. सभापति तालिका

अध्यक्ष ने घोषणा की कि उन्होंने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 9 के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है:—

(1) श्रीमती रमा देवी

(2) डॉ॰ किरीट पी॰ सोलंकी

(3) श्री राजेन्द्र अग्रवाल

(4) श्रीमती मीनाक्षी लेखी

6. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लिए चार सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया —

''कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सोमवार, 24 जून, 2019 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

8. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019

श्री रवि शंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 पुर:स्थापित करने के लिए सदन की अनुमति मांगी।

डॉ॰ शशि थरूर, श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन और श्री असादुद्दीन ओवैसी ने विधेयक पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

विधि और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण प्रश्नों के उत्तर दिए।

प्रस्ताव पर, सभा में मत विभाजन हुआ: पक्ष में 185; विपक्ष में 74; भाग नहीं लिया: 6 तद्नुसार, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

9. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 4) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 1. 24 बजे

10. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (सशोधन) विधेयक, 2019

11. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

होम्योपैथी केन्दीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 11) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

*अपराह्न 2.30 बजे

12. सदस्य द्वारा शपथ

कर्नाटक के हसन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य श्री प्रज्वल रेवन्ना ने कन्नड में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

(लोक सभा अपराह्न 2.41 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 3.43 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 3.43 बजे

13. **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित**

1. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का सबरीमाला श्रीधर्म संस्था मंदिर (विशेष उपबंध) विधेयक, 2019
2. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (संशोधन) विधेयक, 2019 *(धारा 31 का संशोधन)*
3. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक 2019 *(धारा 3 का संशोधन, इत्यादि)*
4. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2019 *(धारा 1 का संशोधन, इत्यादि)*
5. श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य का कन्या शिशु-हत्या निवारण विधेयक, 2019
6. श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य का वृद्धावस्था पेंशन और पुनर्वास विधेयक, 2019
7. श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य का रैगिंग का प्रतिषेध और उन्मूलन विधेयक, 2019
8. श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद सदस्य का कृषि कर्मकार (रोजगार, सेवा शर्तें और कल्याण) विधेयक, 2019
9. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य का अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019
10. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(आठवीं अनुसूची का संशोधन)*
11. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य का पटना उच्च न्यायालय (महाराजगंज में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2019

*अपराह्न 1.25 बजे से अपराह्न 2.41 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

12. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य का गरीब और निराश्रित कृषि कर्मकार (कल्याण) विधेयक, 2019

13. श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का गौ संरक्षण विधेयक, 2019

14. श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 *(धारा 2 का संशोधन, इत्यादि)*

15. श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का झारखण्ड और अन्य राज्यों में जनजातीय बालक और स्तनपान कराने वाली महिलाएं (भूख, कुपोषण मिटाना और भुखमरी से होने वाली मृत्यु का निवारण) विधेयक, 2019

16. श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(नये अनुच्छेद 370क का अंत:स्थापन)*

17. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 *(धारा 304क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)*

18. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019 *(अनुसूची का संशोधन)*

19. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2019 *(धारा 12 का संशोधन, इत्यादि)*

20. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का विद्यालयों में खेलों के माध्यम से बालकों की अनिवार्य शारीरिक स्वस्थता और खेल संबंधी अवसंरचना का विकास विधेयक, 2019

21. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का छुट्टा गोवंश (संरक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 2019

22. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन और संरक्षण विधेयक, 2019

23. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का बुंदेलखंड रेजीमेंट विधेयक, 2019

24. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

25. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य का बृहत् परियोजनाएं (समय पर पूर्ण करना) विधेयक, 2019

26. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य का जनसंख्या (स्थिरीकरण और योजना) विधेयक, 2019

27. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य का प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति (पुनर्वास और वित्तीय सहायता) संशोधन विधेयक, 2019

28. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य का नदी (संरक्षण और प्रदूषण को दूर करना) विधेयक, 2019

29. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य का आधिकारिक सरकारी बैठक और समारोह (मांसाहारी भोजन परोसने का प्रतिषेध) विधेयक, 2019

30. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य का संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2019 *(अनुसूची का संशोधन)*

अपराह्न 4.05 बजे

14. गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प — विचाराधीन

सभापति ने निम्नलिखित घोषणा की —

''माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट की समस्या से निपटने हेतु केन-बेतवा नदी सम्पर्क परियोजना से नहरों का संजाल निर्मित करने और छुट्टा गोवंश से संबंधित उनके गैर सरकारी सदस्य के संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति दूं, इस संकल्प पर चर्चा के लिए हेतु सभा द्वारा समय आवंटित किया जाना होता है। यदि सभा सहमत हो, तो संकल्प पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय आवंटित किया जा सकता है।''

सभा सहमत हुई।

तत्पश्चात्, श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''यह सभा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और पशुओं के चारे की अनुपलब्धता के कारण, क्षेत्र के लोग अपनी गायों को खुले में चरने के लिए छोड़ने पर विवश हैं, जो आम तौर पर 'अन्न प्रथा' के नाम से जानी जाती है, और जो खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, सरकार से क्षेत्र में जल संकट की समस्या और अन्न प्रथा की परम्परा को दूर करने के लिए बांधों और तालाबों के अंतर्संयोजन तथा पुनर्भरण करने के लिए प्रस्तावित केन-बेतवा नदी सम्पर्क परियोजना से नहरों का संजाल निर्मित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह करती है।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निशिकांत दुबे
2. श्री निहाल चंद
3. श्री मुकेश राजपूत
4. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नही हुई।

सायं 6.00 बजे

(*लोक सभा सोमवार,* 24 *जून,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—710LS(S3)—21-06-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 24 जून, 2019/3 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 6

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21—29 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 30—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 192—212, 214—281, 283—355 और 357—421 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। श्री ओम बिरला की माननीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के कारण अतारांकित प्रश्न संख्या 213, 282 तथा 356 विलोपित किए गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) दत्तोपंत थेंगड़ी नेशनल बोर्ड फार वर्कर्स एजूकेशन एंड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती-सेंट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एजूकेशन), नागपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दत्तोपंत थेंगड़ी नेशनल बोर्ड फार वर्कर्स एजूकेशन एंड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती-सेंट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एजूकेशन), नागपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री; कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 124 (अ) जो 16 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना है, ताकि उक्त प्रथम अनुसूची के अध्याय 98 में एक नए टैरिफ मद 9806 00 00 का सृजन करके पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य से उद्भूत अथवा भारत को निर्यातित अथवा वहां से आयातित समस्त वस्तुओं पर मूलभूत सीमा शुल्क को बढ़ाकर 200 प्रतिशत किया जा सके और पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य से आयातित समस्त वस्तुओं को इस टैरिफ मद के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 424(अ) जो 15 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्र सरकार की आपात कालीन शक्तियों के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके मसूर की दाल, बोरिक एसिड तथा लेवोरेटरी रीजेंट्स पर टैरिफ दर में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 97(अ) जो 7 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्दिष्ट प्राधिकरण की छानबीन के अंतिम परिणाम के अनुसरण में ब्राजील, इंडोनेशिया और थाइलैंड से उद्भूत अथवा निर्यातित ''नॉन प्लास्टीसाइज्ड इंडस्ट्रियल ग्रेड नाइट्रोसेल्यूलोज'', जो कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल में भिगोया गया हो और जिसका नाइट्रोजन कंटेट 10.7% से 12.2% की रेंज में हो के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 103(अ) जो 12 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 11 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना सं॰ 61/2015–सी.शु. (एडीडी) में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 104(अ) जो 12 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना सं॰ 52/2017–सी.शु. (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 105(अ) जो 12 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चीन जनतांत्रिक गणराज्य से उद्भूत ''हाई टेनेसिटी पॉलीस्टर यार्न (एचटीपीवाई)'' के आयात पर एक निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है। संशोधन का आशय ड्यूटी टेबल के मद सं॰ 1–2 में संशोधन करना है, ताकि निर्यातक ''हायोसुंग कॉर्पोरेशन'' का नाम बदलकर ''हायसोसुंग एडवांस मैटिरियल्स कार्पोरेशन (एचएएमसी)'' तथा निर्यातक ''झेझियांग इंडस्ट्रियल फाइबर कंपनी लिमिटेड'' का नाम बदलकर ''झेझियांग गुजियांगदाओं पॉलिस्टर डोप डाइड यार्न कंपनी लिमिटेड'' किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 106(अ) जो 12 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मई, 2013 की अधिसूचना सं. 11/2013–सी.शु. (एडीडी) का निरसन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 156(अ) जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए मलेशिया से उद्भूत अथवा निर्यातित ''टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड कांच, जिसमें न्यूनतम 90.5 प्रतिशत ट्रांसमिशन हो और जिसकी मोटाई 4.2 एमएम (0.2 एमएम की सहनशीलता शामिल करते हुए) से अनधिक हो और जहां कम से कम एक आयाम 1500 एमएम से अधिक हो, चाहे कोटेड हो अथवा अनकोटेड हो'' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 219(अ) जो 14 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा सूत्रपात न्यू शिपर रिव्यू के सहयोग से मैसर्स सिंगापुर सेस्पा पीटीई लिमिटेड (निर्यायक/व्यापारी)

सिंगापुर में माध्यम से मैसर्स पीटी. एनर्जी सेजाहेत्रा मास (प्रोडयूसर) इंडोनेशिया द्वारा निर्यातित तथा भारत में आयातित 'सैचुरेटेड फैटी अल्कोहल' हेतु प्रायोगिक मूल्यांकन का निर्धारण करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 237(अ) जो 25 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा की गई सनसैट रिव्यू फाइनल फाइंडिंग्स इंवेस्टिगेशन के अनुसरण में यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्‌भूत अथवा निर्यातित 'एसीटोन' पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 272(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा की गई अंतिम निष्कर्ष जांच के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, सउदी अरब, दक्षिण कोरिया तथा थाईलैंड से आयातित 'एथीलिन विनायल ऐसीटेट (ईवीए) शीट फॉर सोलर माड्यूल' पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 295(अ) जो 9 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया जनवादी गणराज्य तथा थाईलैंड से उद्‌भूत अथवा निर्यातित ''कास्ट एलुमिनियम एलोय व्हील्स अथवा एलोय रोड़ व्हील्स (एआरडब्ल्यू) जो कि मोटर वाहनों में प्रयुक्त किए जाते हैं, चाहे वे अपनी एक्सेसरीज से संबंधित हो या नहीं और जिनका आकार डायामीटर में, 12 इंच से 24 इंच तक हो'' के आयात संबंधी सनसैट रिव्यू (एसएसआर) जांच से संबंधित थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 296(अ) जो 9 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चीन जनवादी गणराज्य कोरिया जनवादी गणराज्य तथा थाईलैंड से उद्‌भूत अथवा निर्यातित ''कास्ट एलुमिनियम एलोय व्हील्स अथवा एलोय रोड़ व्हील्स (एआरडब्ल्यू) जो कि मोटर वाहनों में प्रयुक्त किए जाते हैं, चाहे वे अपनी एक्सेसरीज से संबंधित हो या नहीं और जिनका आकार डायामीटर्स में, 12 इंच से 24 इंच तक हो'' के आयात संबंधी सनसैट रिव्यू (एसएसआर) अन्वेषण से संबंधित थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 299(अ) जो 10 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा निर्यातित 'डकटाईल आयरन पाईप्स' के आयात पर 9 मई, 2019 तक निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 309(अ) जो 16 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं॰ 39/2018-सी॰शु॰ (एडीडी) का निरसन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 346(अ) जो 3 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा की गई अंतिम जांच अन्वेषण के अनुसरण में इंडोनेशिया से उद्भूत अथवा निर्यातित 'सैकरिन' के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 352(अ) जो 9 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा निर्यातित 'डकटाईल आयरन पाइप्स' के आयात पर 23 जून, 2019 तक निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 415(अ) जो 10 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्पेशल सिविल एप्लीकेशन सं॰ 5278/2019 के मामले में 09.05.2019 को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा निर्यातित 'पैरासिटामोल' के आयात पर 28 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं॰ 26/2013-सी॰शु॰ (एडीडी) तथा 20 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 39/2018-सी॰शु॰ (एडीडी) द्वारा विस्तारित प्रतिपाटन शुल्क की उगाही को 24.06.2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 416(अ) जो 11 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से उदभूत अथवा निर्यातित 'पॉली विनाइल क्लोराइड (रेसिन) ससपेंशन ग्रेड'

के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क की उगाही को विनिर्दिष्ट दरों पर 12 अगस्त, 2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 425(अ) जो 15 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 155(अ) जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट 29 मदों, यदि उनका आयात यूनाइटेड स्टेट्स से किया गया है, पर बढ़ाए गए सीमा शुल्क के क्रियान्वयन की तारीख को 2 मार्च, 2019 से बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2019 किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 220(अ) जो 15 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 13.12.2019 की अधिसूचना संख्या 152/2009-सी॰शु॰ में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 245(अ) जो 28 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 29.7.2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सी॰शु॰ में आगे संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 247(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट 29 मदों, यदि उनका आयात यूनाइटेड स्टेट्स से किया गया है, पर बढ़ाए गए सीमा शुल्क के क्रियान्वयन की तारीख को 1 अप्रैल, 2019 से बढ़ाकर 2 मई, 2019 किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 302(अ) जो 11 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23.7.1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी॰शु॰ में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 334(अ) जो 26 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30.6.2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी॰शु॰ में आगे संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 344(अ) जो 1 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट 29 मदों, यदि उनका आयात यूनाइटेड स्टेट्स से किया गया है पर बढ़ाए गए सीमा शुल्क के क्रियान्वयन की तारीख को 2 मई, 2019 से बढ़ाकर 16 मई, 2019 किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 361(अ) जो 14 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट 29 मदों, यदि उनका आयात यूनाइटेड स्टेट्स से किया गया है, पर बढ़ाए गए सीमा शुल्क के क्रियान्वयन की तारीख को 16 मई, 2019 से बढ़ाकर 16 जून, 2019 किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 62(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 को क्रियान्वित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2019 जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 63(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 64(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 19 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 2/2017-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 65(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 8/2017-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 66(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 15 नवंबर, 2017 की अधिसूचना सं॰ 65/2017-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 70(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीएसटी अधिनियमों में संशोधनों (अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा आपूर्ति पर आरसीएम संबंधी) को लागू करने के उद्देश्य से दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 08/2017-केन्द्रीय कर (दर) का निरसन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 79(अ) जो 31 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अक्तूबर, 2018 के माह हेतु नियत जीएसटीआर-7 प्रारूप को जमा करने की देय तिथि को 28.2.2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 101(अ) जो 8 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जनवरी, 2019 के माह हेतु नियत जीएसटीआर-7 प्रारूप को जमा करने की देय तिथि को 28.2.2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 136(अ) जो 20 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जम्मू और कश्मीर राज्य में मुख्य व्यवसाय स्थल वाले पंजीकृत व्यक्तियों हेतु जनवरी, 2019 के माह हेतु नियत जीएसटीआर-3बी प्रारूप को जमा करने की देय तिथि को 28.2.2019 तक बढ़ाना है तथा अन्य राज्यों हेतु 22 फरवरी, 2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 193(अ) जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल, मई और जून, 2019 के महीनों के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक के कुल व्यवसाय वाले आयकर दाताओं हेतु नियत जीएसटीआर-1 प्रारूप को जमा करने की देय तिथियों का निर्धारण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 194(अ) जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल, मई और जून, 2019 के महीनों के लिए 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के कुल व्यवसाय वाले आयकर दाताओं हेतु नियत जीएसटीआर-1 प्रारूप को जमा करने की देय तिथियों का निर्धारण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 195(अ) जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल, मई और जून, 2019 के महीनों के लिए नियत जीएसटीआर-3बी प्रारूप को जमा करने की देय तिथियों का निर्धारण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 196(अ) जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 के अंतर्गत कंपोजीशन स्कीम का लाभ उठाने हेतु कुल कारोबार की उच्च सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 242(अ) जो 28 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की समयावधि हेतु नियत प्रारूप जीएसटी आईटीसी-04 को जमा करने की देय तिथि को 30 जून, 2019 तक बढ़ाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 249(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 300(अ) जो 10 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2019 के माह हेतु 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के कुल व्यवसाय वाले आयकर दाताओं हेतु नियत प्रारूप जीएसटीआर-1 को जमा करने की देय तिथि को 11.04.2019 से बढ़ाकर 13.04.2019 करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 301(अ) जो 10 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2019 के माह हेतु नियत प्रारूप जीएसटीआर-7 को जमा करने की देय तिथि को 10.04.2019 से बढ़ाकर 12.04.2019 करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 320(अ) जो 22 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2019 के माह हेतु नियत प्रारूप जीएसटीआर-3बी में विवरण जमा करने की देय तिथि में तीन दिन (यथा 20.04.2019 से 23.04.2019) की वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) केंद्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 23 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 321(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 322(अ) जो 23 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं॰ 02/2019-केन्द्रीय कर (दर) का लाभ उठाने वाले आयकर दाताओं हेतु तिमाही कर भुगतान और वार्षिक विवरणियों के भरे जाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 323(अ) जो 23 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 21 जून, 2019 से प्रभावी सीजीएसटी नियम के नियम 138(अ) के प्रावधानों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 358(अ) जो 11 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ओडिशा राज्य के कतिपय जिलों के पंजीकृत व्यक्तियों, के करदाताओं जिनका कुल कारोबार अप्रैल, 2019 के माह हेतु 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, हेतु नियत प्ररूप जीएसटीआर-1 को जमा करने की देय तिथि को 10.06.2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा॰का॰नि॰ 359(अ) जो 11 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ओडिशा राज्य के कतिपय जिलों के पंजीकृत व्यक्तियों के मामले में अप्रैल, 2019 के माह हेतु नियत प्ररूप जीएसटीआर-3बी को जमा करने की देय तिथि को 20.06.2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) केंद्रीय माल और सेवा कर (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019 जो 1 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 635(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) केंद्रीय माल और सेवा कर (कठिनाइयों का दूसरा निवारण) आदेश, 2019 जो 1 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 634(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) केंद्रीय माल और सेवा कर (कठिनाइयों का पांचवां निवारण) आदेश, 2019 जो 23 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1626(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) सा॰का॰नि॰ 189(अ) जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बीते वर्ष में 50 लाख रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले सेवा आपूर्तिकर्ताओं के लिए 6 प्रतिशत कर की दर युक्त कंपोजीशन स्कीम प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा॰का॰नि॰ 190(अ) जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस व्यक्ति, जो वस्तुओं की एकाधिकार आपूर्ति में संलग्न हो और जिसका वित्त वर्ष में कुल कारोबार 40 लाख रुपए से अधिक न हो, को पंजीकरण से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा॰का॰नि॰ 1218(अ) जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 07.03.2019 की अधिसूचना सं॰ 2/2019–केंद्रीय कर (दर) के अंतर्गत कर भुगतान कर रहे किसी पंजीकृत व्यक्ति को कर पावती के स्थान पर आपूर्ति का बिल जारी करने के लिए समर्थ बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा॰का॰नि॰ 250(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं॰ 11/2017 – केंद्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि सस्ते फ्लैटों और महंगे फ्लैटों के संबंध में भवन निर्माण सेवाओं की आपूर्ति, जिस पर माल और सेवा कर परिषद् द्वारा 19 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में सिफारिश की गई थी, पर लागू सीजीएसटी दरों में बदलाव किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा॰का॰नि॰ 251(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं॰ 12/2017–केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि विकास अधिकार, एफएसआई, (जिसमें अतिरिक्त एफएसआई शामिल है), भूमि के दीर्घावधि पट्टे (प्रीमियम, सलामी, विकास शुल्क इत्यादि के रूप में अग्रिम भुगतान के विरुद्ध) के अंतरण द्वारा सेवा आपूर्ति को छूट प्रदान की जा सके, जैसा कि माल और सेवा कर परिषद द्वारा

19 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में सिफारिश की गई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा॰का॰नि॰ 252(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं॰ 13/2017–केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि विकास अधिकार, एफएसआई भूमि के दीर्घावधि पट्टे (प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास शुल्क अथवा अन्य किसी नाम से जाने जाने वाले अग्रिम भुगतान के रूप में विचार किए जाने विरुद्ध) के रिवर्स चार्ज मकैनिज्म के अंतर्गत अंतरण के द्वारा सेवाएं विनिर्दिष्ट की जा सके, जैसा कि माल और सेवा कर परिषद् द्वारा 19 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में सिफारिश की गई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा॰का॰नि॰ 253(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विकास अधिकार एफएसआई तथा दीर्घावधि पट्टे के अंतरण की आपूर्ति पर कर भुगतान की देनदारी की नियत तिथि को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत रियल स्टेट परियोजना हेतु कंप्लीशन सर्टिफिकेट के जारी किए जाने की तिथि तक आगे बढ़ाना है जैसा कि केन्द्रीय माल और सेवा कर परिषद् द्वारा 19 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में सिफारिश की गई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा॰का॰नि॰ 254(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मकैनिज्म के अंतर्गत करारोपण योग्य माल और सेवाओं की आपूर्ति, जब आपूर्ति रियल स्टेट परियोजना के प्रमोटर द्वारा किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त की गई हो, को अधिसूचित करना है, जैसा कि माल और सेवा कर परिषद् द्वारा 19 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में सिफारिश की गई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा॰का॰नि॰ 255(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं॰ 1/2017–केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है, ताकि कतिपय माल (सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आने वाले पूंजीगत वस्तुएं और सीमेंट को छोड़कर कोई भी अन्य माल) की आपूर्ति पर

18 प्रतिशत की दर से सीजीएसटी लगाया जा सके, जैसा कि माल और सेवा कर परिषद् द्वारा 19 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में सिफारिश की गई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा०का०नि० 1492(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कठिनाइयां दूर करना है, ताकि परिसर, भवन, सिविल स्ट्रक्चर अथवा तत्संबंधी किसी हिस्से के निर्माण क्षेत्र के आधार पर सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में सेवाओं को छूट प्रदान की जा सके और करारोपण योग्य सेवाओं हेतु एट्रीब्यूटेबल क्रेडिट तय किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) सा०का०नि० 268(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं० 02/2019-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है, ताकि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कंपोजीशन लेवी पर लागू होने योग्य नियमों को उन व्यक्तियों पर लागू किया जा सके, जो कि अधिसूचना सं० 2/2019-केन्द्रीय कर (दर) के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प चुनते हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) सा०का०नि० 354(अ) जो 10 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं० 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है, ताकि प्रमोटर्स/बिल्डर्स द्वारा 12 प्रतिशत और 8 प्रतिशत (आईटीसी के साथ) की पुरानी प्रभावी जीटीएसटी दरों पर फ्लैट्स के निर्माण पर कर भुगतान के विकल्प के प्रयोग की अंतिम तिथि को 10 मई, 2019 से 20 मई, 2019 तक 10 दिनों के लिए बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा०का०नि० 67(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आईजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2019 को क्रियान्वित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 68(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14.09.2017 की अधिसूचना सं॰ 7/2017-एकीकृत कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 69(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 13.10.2017 की अधिसूचना सं॰ 10/2017-एकीकृत कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 86(अ) जो 4 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नेपाल अथवा भूटान में स्थित आपूर्ति स्थल वाली सेवाओं की आपूर्ति, भारतीय रुपए के भुगतान के विरुद्ध आईजीएसटी से छूट प्रदान करने संबंधी 28.06.2017 की अधिसूचना सं॰ 09/2017-एकीकृत कर (दर) के क्रम सं॰ 10घ को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 256(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2019 की अधिसूचना सं॰ 8/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 257(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2019 की अधिसूचना सं॰ 9/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 258(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2019 की अधिसूचना सं॰ 10/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 259(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस तिथि को, जिस तिथि पर विकास अधिकारों, एफएसआई तथा दीर्घावधि पट्टे के हस्तांतरण की आपूर्ति पर देय कर की देनदारी हो, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत रियल स्टेट परियोजना के

लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट के जारी किए जाने की तिथि तक आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 260(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मकैनिज्म (आरसीएम) के तहत करारोपण योग्य वस्तुओं और सेवाओं, जो एक रियल स्टेट परियोजना के प्रमोटर द्वारा एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त की गई हो, को अधिसूचित करना है, जैसा कि माल और सेवा कर परिषद द्वारा 19 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में सिफारिश की गई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 261(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2019 की अधिसूचना सं॰ 1/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 355(अ) जो 10 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 10 मई, 2019 की अधिसूचना सं॰ 8/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 71(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 8/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019 जो 01.02.2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰636(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 191(अ) जो 07.03.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पूर्ववर्ती वर्ष में 50 लाख रुपये तक वार्षिक टर्नओवर रखने वाले सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के लिए कर की 6 प्रतिशत

दर के साथ एक कंपोजिशन स्कीम उपलब्ध कराना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 192(अ) जो 07.03.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल की विनिर्दिष्ट आपूर्ति में लगे किसी ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण छूट प्रदान करना है जिसका वित्तीय वर्ष में संचयी टर्नओवर 40 लाख रुपये से अनधिक है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 1219(अ) जो 08.03.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 02/2019–संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 07.03.2019 के अंतर्गत कर का संदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कर बीजक के स्थान पर आपूर्ति का बिल जारी करने के लिए समर्थ बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 262(अ) जो 29.03.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2019 की अधिसूचना संख्या 11/2017–संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 263(अ) जो 29.03.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2019 की अधिसूचना संख्या 12/2017–संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 264(अ) जो 29.03.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2019 की अधिसूचना संख्या 13/2017–संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 265(अ) जो 29.03.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस तारीख, जिस दिन विकास अधिकारों, एफएसआई और दीर्घकालिक पट्टे के अंतरण की आपूर्ति पर कर संदाय करने की देयता उत्पन्न होगी, को संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 के खण्ड (सत्ताइस) के साथ पठित सीजीएसटी

अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत परिषद् की 19.03.2019 को हुई 34वीं बैठक के अनुसार भू-संपदा परियोजना के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख तक अंतरित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 266(अ) जो 29.03.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूटीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के अंतर्गत रिजर्व प्रभार तंत्र (आरसीएम) के अधीन कर लगाये जाने वाले ऐसे माल और सेवाओं की आपूर्ति को अधिसूचित करना है, जब उन्हें माल और सेवा कर परिषद् की 19.03.2019 को हुई 34वीं बैठक में यथानुसंशित किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत आपूर्तिकर्ता से भू-संपदा परियोजना के प्रवर्तक द्वारा प्राप्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 267(अ) जो 29.03.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2019 की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 1493(अ) जो 29.03.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 26 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए कठिनाइयों का निराकरण करना है ताकि परिसर, भवन, सिसिल संरचना अथवा उसके भाग के निर्माण के क्षेत्र के आधार पर सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची-दो के पैरा 5 के खण्ड (ख) द्वारा शामिल की गई सेवाओं की आपूर्ति के मामले में करयोग्य और छूट प्राप्त आपूर्तियों के लिए देय क्रेडिट का निर्धारण किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 269(अ) जो 29.03.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 07.03.2019 की अधिसूचना संख्या 02/2019-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 356(अ) जो 10.05.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2019 की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वॉलेन्टरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स), कोलकाता के 31.12.2018 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वॉलेन्टरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स), कोलकाता की 31.12.2018 को समाप्त हुई तिमाही का परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वॉलेन्टरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स), कोलकाता के 31.03.2019 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वॉलेन्टरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स), कोलकाता 31.03.2019 को समाप्त हुई तिमाही का परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) वित्त अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016 जो 31.05.2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 564(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ''बीमा सलाहकार समिति के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि का विस्तार''

(25.05.2019 से प्रभावी, कार्यकाल की अवधि को 24.07.2019 तक बढ़ाना) के बारे में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰आईआरडीएआई/आईएसी/4/155/2019 जो 20.05.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकिक) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 20.05.2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰आईआरडीएआई/रेग/5/156/2019 में प्रकाशित हुए थे।

(10) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) विनियम, 2019 जो 01 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआर/पीपीजी/पीए/19-20/122 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17(क) की उपधारा (5) के अंतर्गत सामान्य बीमा (कर्मचारी) पेंशन संशोधन स्कीम, 2019 जो 23 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1627(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (शिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 02 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ एस-11011/ 17/2017-इन्स॰ I में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-एक अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2019 जो 3 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 402(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2019 जो 3 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 403(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार कर्मचारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2019 जो 3 जून, 2019

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 404(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम, 2019 जो 23 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 324(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/आरआई/3/154/2019 जो 08 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के साथ पुनर्बीमित प्रत्येक सामान्य बीमा पॉलिसी पर बीमित राशि के अनिवार्य अध्यर्पण पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना तथा उसके दिनांक 04.04.2019 के निबंधन और शर्तों को अधिसूचित किया गया है तथा जो 08.04.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 67 की उपधारा (2) के अंतर्गत मसौदा अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 17/61/2016-सीएल-5 जिसमें निदेश दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 460 के उपबंध राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सीमित दायित्व भागीदारी पर लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) भारत में आवासन की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी राष्ट्रीय आवासन बैंक, 2018 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री धोत्रे संजय शामराव ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय पुदुचेरी के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केन्द्रीय दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

महासचिव ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के 'देश में और देश के बारह बेहिसाब आय/धन की स्थिति—एक आलोचनात्मक विश्लेषण (एक प्राथमिक प्रतिवेदन)' विषय संबंधी 73वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

महासचिव ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 'संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं और पदों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नियोजन में क्रीमी लेयर का सुव्यस्थीकरण' संबंधी 21वां प्रतिवेदन$ (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

---

*प्रतिवेदन को 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 71क के अंतर्गत 28 मार्च, 2019 को माननीय अध्यक्ष (16वीं लोक सभा) को तब प्रस्तुत किया गया जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और अध्यक्ष ने 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया था।

$प्रतिवेदन को 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 71क के अंतर्गत 9 मार्च, 2019 को माननीय अध्यक्ष (16वीं लोक सभा) को तब प्रस्तुत किया गया जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और अध्यक्ष ने 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया था।

6. समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रह्लाद जोशी के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रह्लाद जोशी के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रह्लाद जोशी के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से सात सदस्यों को मनोनीत करने पर सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार मनोनीत सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रह्लाद जोशी के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रह्लाद जोशी के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से सात सदस्यों को मनोनीत करने पर सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार मनोनीत सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छह) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रह्लाद जोशी के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रह्लाद जोशी के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से दस सदस्यों को मनोनीत करने पर सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार मनोनीत सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रहलाद जोशी के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''(1) (क) कि दोनों सभाओं को एक समिति, जिसे अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति कहा जाएगा, गठित की जाए, जिसमें तीस सदस्य, लोक सभा से बीस और राज्य सभा से दस सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अनुसार निर्वाचित होंगे;

(ख) कि कोई मंत्री समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्ह नहीं होगा और कि कोई सदस्य समिति में अपने निर्वाचन के पश्चात् मंत्री नियुक्त हो जाए, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा;

(ग) कि समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा;

(2) कि समिति के कृत्य इस प्रकार होंगे:—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 338ख के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदनों पर विचार करना और संघ सरकार, जिसमें संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल हैं, के क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले मामलों के बारे में संघ सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों को दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना;

(दो) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की-गई-कार्यवाही को दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना;

(तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग का विधिवत् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये संविधान के उपबंधों को दृष्टि में रखते हुए संघ सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं तथा पदों में (जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, संविहित और अर्द्ध-सरकारी निकायों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में नियुक्तियां भी शामिल हैं) संघ सरकार द्वारा किये गये उपायों की जांच करना;

(चार) संघ राज्यक्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना;

(पांच) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित उन सभी मामलों, जो संघ सरकार, जिसमें संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल हैं, के क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं, पर सामान्य रूप से विचार करना और दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना; और

(छह) ऐसे अन्य मामलों की जांच करना जो समिति उचित समझे या जो सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जाएं।

(3) कि समिति के सदस्य समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदधारण करेंगे जिसे तत्पश्चात् उपर्युक्त पैरा (1) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार एक वर्ष के लिए पुनर्गठित किया जाएगा;

(4) कि समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति दस होगी;

(5) कि अन्य सभी मामलों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा की प्रक्रिया के नियम ऐसी भिन्नताओं और आशोधनों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे; और

(6) कि यह सभा राज्य सभा को यह सिफारिश करे कि राज्य सभा समिति में शामिल हो और इस सभा को यथा उपरोक्त समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से चुने गए सदस्यों के नाम सूचित करे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.12 बजे

8. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

9. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 8) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.14 बजे

10. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

विधि और न्याय मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

तदोपरांत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

11. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 9) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

12. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019

13. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 12) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.23 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री रामदास तडस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पानी की कमी और नदियों को आपस में जोड़े जाने के बारे में।

(2) श्री भगीरथ चौधरी द्वारा राजस्थान के मेड़ता और पुष्कर के बीच रेल संपर्क सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने के बारे में।

(4) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आदित्यपुर में आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया का संस्थान खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा जम्मू-कश्मीर के बाल्मीकि समुदाय के लोगों को विधिमान्य नागरिक अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ निशिकांत दुबे द्वारा खेतौरी, घटवाल-घटवार और अन्य को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने के बारे में।

(7) श्री एल॰एस॰ तेजस्वी सूर्या द्वारा बंगलूरू में अन्तर्नगरीय आवागमन के लिए अवसंरचना में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 और 86 पर स्थित समपारों पर रेल ऊपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भू-जल स्तर और हरित क्षेत्र में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ (प्रो॰) किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा रेलवे में आरक्षित श्रेणियों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने के बारे में।

(11) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक मंत्रालय बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना में रामायण टूरिस्ट सर्किट बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा देश में दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री (एडवोकेट) अदूर प्रकाश द्वारा केरल में कजाकुट्टम-कादम्बकुट्टकोनम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 का चौड़ीकरण एवं अट्टिंगल बाईपास के निर्माण के बारे में।

(17) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा सबरीमाला मामले में माननीय उच्च्तम न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित किए जाने के बारे में।

(19) प्रो॰ सौगत राय द्वारा पश्चिम बंगाल में हिंसा के बारे में।

(20) श्री ए॰ गणेशमूर्ति द्वारा विद्युत पारेषण परियोजनाओं के सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में।

(21) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के बख्तियारपुर-राजगीर रेल खंड पर पुराने रेल पुलों के नवीकरण की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा महाराष्ट्र में पानी की कमी से निपटने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा देश में एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम के उन्मूलन के बारे में।

(24) श्री एम॰ सेल्वराज द्वारा तमिलनाडु के नागापट्टिनम संसदीय निर्साचन क्षेत्र से संबंधित रेलवे के विभिन्न मुद्दों के बारे में।

(25) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा कोल्लम-पुनालुर-सेनकोट्टा रेल लाइन के विद्युतीकरण के बारे में।

अपराह्न 12.23 बजे

15. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

आबंटित समय : 10 घंटे
लिया गया समय : 7 घंटे 37 मिनट
शेष समय : 2 घंटे 23 मिनट

श्री प्रताप चंद्र सारंगी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:–

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 20 जून, 2019 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।''

डॉ॰ हीना गावित ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

तदोपरान्त, अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों से संबंधित एक *घोषणा की।

197(1-87, 89-98, 103-132, 252-302, 319-337) संशोधन पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री टी॰आर॰ बालू
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री पी॰वी॰ मिधुन रेड्डी
5. श्री विनायक राउत

---

*मूल हिंदी में विवरण के लिए कृपया आज का वाद-विवाद देखें।

6 श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह

7 श्री पिनाकी मिश्रा

8. कुंवर दानिश अली

9. श्री नामा नागेश्वर राव

10. डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हे

11. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी

12. श्री पी॰के॰ कुनहलिकुट्टी

13. श्री गणेश सिंह

14. एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफ

15. श्री राम कृपाल यादव

16. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार

17. श्री धर्मवीर सिंह

18. श्री मोहम्मद आजम खां

19. श्री एम॰ सेल्वराज

20. श्री असादुद्दीन ओवैसी

21. श्री येपथोमी तोखेहो

22. श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी

23. श्री बालूभाऊ *उर्फ* सुरेश नारायण धानोरकर

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.00 बजे

(*लोक सभा मंगलवार,* 25 *जून,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—781LS(S3)—24-06-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 25 जून, 2019/4 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 7

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपने स्थान ग्रहण किया:—

क्रम सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1.	श्रीमती नुसरत जहां रूही	बसीरहाट	पश्चिम बंगाल	शपथ	बंगाली
2.	सुश्री मिमी चक्रबर्ती	जादवपुर	पश्चिम बंगाल	शपथ	बंगाली

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41—48 के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्य, जिनके नाम तारांकित प्रश्न संख्या 47 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 47 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 49—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 422—444, 446—533, 535—628 और 630—651 के उत्तर

सभा पटल पर रखे गए। श्री ओम बिरला की माननीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के कारण अतारांकित प्रश्न संख्या 445, 534 तथा 629 विलोपित किए गए।

पूर्वाह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ किशन रेड्डी) ने गृह मंत्री (श्री अमित शाह) के स्थान पर विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2019, जो दिनांक 07 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा॰का॰नि॰ 199(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दानवे रावसाहेब दादाराव ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 8 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1226(अ), जिसके द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, कि एक प्रति सभा पटल पर रखी।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पुरषोत्तम रुपाला) ने कृषि और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) के स्थान पर निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राजघाट समाधि समिति में दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री हरदीप सिंह पुरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए राजघाट समाधि

समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

1. श्रीमती रक्षा निखिल खडसे द्वारा डीएसटी इन्सपायर संकाय की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री अजय कुमार द्वारा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में रिक्त पदों (राजभाषा) को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में पानी की कमी के बारे में।

5. डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे द्वारा महाराष्ट्र के लातुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेय जल मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री अजय निषाद द्वारा बिहार में मुज्जफ्फरपुर जिला और उसके आस-पास के क्षेत्रों में जापानी इन्सेफ्लाइटिस बीमारी से निपटने के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा दिल्ली में वायु प्रदूषण के बारे में।

9. श्री राम कृपाल यादव द्वारा बिहार के पाटिलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पानी की कमी से निपटने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर रेल सेवा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री नितेश गंगादेव द्वारा संबलपुर में ओडिशा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री गोपाल शेट्टी द्वारा प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1978 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. डॉ॰ सुभाष सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के बांकुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांध के निर्माण के बारे में।

14. श्री रविन्द्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक सरकारी महिला महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री उपेन्द्र सिंह रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू-कश्मीर में जोड़या-पुलांवा सड़क का चौड़ीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री सु॰ थिरूनवुक्करासर द्वारा तमिलनाडु के त्रिचि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा केरल में पम्पा नदी संरक्षण योजना के कार्यान्वयन के बारे में।

20. श्री मणिक्कम टैगोर द्वारा तमिलनाडु के मदुरै विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्रीमती साजदा अहमद द्वारा पश्चिम बंगाल में बाऊरिया रेलवे स्टेशन के पास भूमिगत पार पथ की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल में बोलोन्दी हॉल्ट रेलवे स्टेशन के निर्माण के बारे में।

23. श्री गजानन सी॰ कीर्तिकर द्वारा केन्द्रीय मत्स्यकी शिक्षा संस्थान, मुंबई के 133 संविदागत कामगारों की सेवा को नियमित किए किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री गिरिधारी यादव द्वारा बिहार के बांका जिले में पेयजल मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्री के॰ नवसकनी द्वारा तमिलनाडु के रामेश्वरम में पयर्टन अवसंरचना विकसित नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री नाबाकुमार सरनीया द्वारा असम के कतिपय समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.04 बजे

7. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—स्वीकृत

लिया गया समय: 13 घंटे 47 मिनट

श्री प्रताप चन्द्र सारंगी द्वारा 24 जून, 2019 को पेश और डॉ॰ हिना गावीत द्वारा समर्थन किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे और विचार अर्थात्:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 20 जून, 2019 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।''

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:—

1. श्री दयानिधि मारन
2. श्रीमती हेमामालिनी
*3. श्री दिलीप साईकिया
*4. श्री भर्तृहरि महताब
*5. श्रीमती सुप्रिया सुले
*6. सुश्री संगीता आजाद
*7. श्री विष्णु दयाल राम

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*8. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

*9. श्री के॰ नवसकनी

*10. श्री पी॰सी॰ गद्दीगौदर

*11. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल

*12. श्री निशिकांत दुबे

*13. श्री डी॰के॰ सुरेश

*14. श्री मितेश रमेशभाई पटेल (बकाभाई)

*15. श्रीमती रंजनबेन भट्ट

*16. श्री रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन

*17. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर

*18. श्री कौशलेन्द्र कुमार

19. श्री जयदेव गल्ला

*20. श्री संगम लाल गुप्ता

*21. श्री नारणभाई बी॰ काछड़िया

22. श्री पी॰सी॰ मोहन

*23. श्री विद्युत बरन महतो

*24. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

*25. श्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी'

26. श्री चिराग कुमार पासवान

*27. श्री नलीन कुमार कटील

*28. श्री अशोक महादेवराव नेते

29. श्रीमती महुआ मोइत्रा

*30. श्रीमती रेखा वर्मा

*31. श्री पी॰पी॰ चौधरी

32. श्री दिलीप घोष

*33. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील

*34. श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आफरीन अली)

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

35. श्री मागुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी

*36. श्रीमती लॉकेट चटर्जी

37. श्री तेजस्वी सूर्या

*38. श्री शारदाबेन अनिलभाई पटेल

*39. डॉ॰ डी॰ रविकुमार

*40. श्री ए॰ गणेशमूर्ति

41. श्री हनुमान बैनिवाल

*42. श्री ए॰के॰पी॰ चिनराज

*43. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे

*44. श्री मनोज राजोरिया

45. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम

46. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव

*47. श्री जगदम्बिका पाल

48. श्री थॉमस चाछीकादन

49. श्री राजदीप राय

*50. डॉ॰ भारतीबेन धीरूभाई श्याल

*51. डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा

52. श्रीमती अनुप्रिया पटेल

53. श्रीमती परनीत कौर

*54. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया

*55. श्री देवुसिंह चौहान

56. श्री हसनैन मसूदी

*57. श्रीमती रीती पाठक

*58. श्रीमती रमा देवी

59. प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेल

*60. श्री कमलेश पासवान

*61. श्री रमेशभाई लवजीभाई धडुक

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

62. श्री रितेश पाण्डेय
63. सुश्री आगाथा के॰ संगमा
*64. कुमारी शोभा कारान्दलाजे
65. विजय कुमार हांसदाक
*66. श्री संजय सेठ
67. श्री तापिर गाव
*68. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे
69. मो॰ बदरुद्दीन अजमल
70. श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर
*71. श्री शंकर लालवानी
72. श्री थोल तिरुमावलवन
73. श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल
*74. श्री जुगल किशोर
75. श्री लोरहो एस॰ फोज
*76. श्री विनोद लखमशी चवाड़ा
*77. श्रीमती क्वीन ओझा
*78. श्री जनार्दन मिश्र
79. श्री भगवंत मान
*80. श्री रघु राम कृष्णराजू कानुमुरू
81. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
82. श्री नवनीत रवि राणा
*83. श्री वल्लभानेनी बालाशोवरी
84. श्री अरविंद धर्मापुरी
85. श्री प्रज्वल रेवन्ना
*86. श्री भगीरथ चौधरी
87. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
*88. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

89. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

*90. श्री एस॰ मुनिस्वामी

91. श्री जयंत सिन्हा

*92. श्रीमती सुनीता दुग्गल

*93. श्री तालारी रंगैय्या

*94. डॉ॰ भारती प्रवीण पवार

*95. श्री एच॰ वसंतकुमार

श्री नरेन्द्र मोदी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#8. सभापति तालिका

अध्यक्ष ने घोषणा की कि उन्होंने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 9 के अधीन श्री सुरेश कोडिकुन्निल को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है।

सांय 6.14 बजे

(लोक सभा बुधवार, 26 *जून,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।
#अपराह्न 12.41 बजे।

MGIPMRND—882LS(S3)—25-06-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 26 जून, 2019/5 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 8

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61—64 के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्य, जिनके नाम तारांकित प्रश्न संख्या 64 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 64 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 65—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 652—881 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अंगड़ी सुरेश चन्नाबासप्पा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सेन्टर फॉर रेलवे इन्फॉरमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॉर रेलवे इन्फॉरमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. याचिका समिति का प्रतिवेदन

महासचिव ने केवड़ा और मैंथा कृषि/तंबाकू उद्योग में नियोजित लाखों तंबाकू किसानों, श्रमिकों की आजीविका बचाने तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 'खाद्य' की परिभाषा को सुसंगत करने के संबंध में श्री संजय बेचन के अभ्यावेदन पर 68वां प्रतिवेदन *प्रस्तुत किया।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अंगड़ी सुरेश चन्नाबासप्पा ने रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल में पुलों का रख-रखाव: एक समीक्षा' विषय पर रेल संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

---

*अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अनुसार याचिका समिति के तत्कालीन सभापति ने सभा के विघटन से पहले 9.3.2019 को अध्यक्ष, 16वीं लोक सभा को 68वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और अध्यक्ष ने 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

6. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हान्स), बंगलौर के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान (निम्हान्स), बंगलौर अधिनियम, 2012 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिका-विज्ञान संस्थान (निम्हान्स), बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. रबर बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि रबर नियम, 1955 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित रबर अधिनियम 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, रबर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. तंबाकू बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री पीयूष गोयल निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि तंबाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4 के साथ पठित तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, तंबाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने कार्य मंत्रणा समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

*अपराह्न 12.05 बजे

10. सभापति तालिका

अध्यक्ष ने घोषणा की कि उन्होंने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 9 के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नामनिर्दिष्ट किया है:—

1. श्री ए॰ राजा
2. श्री पी॰वी॰ मिधुन रेड्डी
3. श्री भर्तृहरि महताब

(*लोक सभा अपराह्न* 2.31 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 3.02 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 3.02 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्रीमती रमा देवी ने बिहार में मुज्जफ्फरपुर जिले और इसके आस-पास के जिलों में जापनी एन्सेफलाइटिस का उन्मूलन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) डॉ॰ भारती प्रवीण पवार ने महाराष्ट्र के दिन्डोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वजल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु सहायता उपलब्ध किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री अर्जुन लाल मीणा ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 ई के निर्माण के वजह से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में मामला उठाया।

(4) श्री हिबी इडन ने केरल में चेल्लानम, वाईपिन और कुझुप्पिल्ली के तटीय क्षेत्रों के किनारे एक पत्थर की दीवार का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

---

* अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 2.31 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(5) एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने केरल में ईडुक्की जिले के बाढ़ पीड़ितों को समुचित मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) श्री हनुमान बैनिवाल ने राजस्थान के नागौर जिले में रेलवे पुल के निर्माण हेतु समुचित धनराशि दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री दिलीप साईकिया ने असम के मंगलदाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) डॉ॰ सुजय विखे पाटील ने महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग-222 पर दो एनएचएआई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सेना विभाग की भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) डॉ॰ ढालसिंह बिसेन ने आवासहीन लोगों के लिए आवासीय योजना के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 03.17 बजे

#12. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय: 2 घंटे 42 मिनट

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 12) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात् संकल्प पर मतदान हुआ और वह अस्वीकृत हुआ।

#13. सरकारी विधेयक—पारित

विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री पीयूष गोयल ने विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया।

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन सांविधिक संकल्प पर बोले।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री राजीव प्रताप रूडी

#एक साथ चर्चा की गई।

2. डॉ॰ शशि थरूर
3. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
4. श्री डी॰एन॰वी॰ सेंथिलकुमार एस॰
5. श्रीमती गीताविश्वनाथ वांगा
6. श्री विनायक राऊत
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्रीमती सुप्रिय सुले
10. श्री जयदेव गल्ला
11. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
12. श्रीमती अनुप्रिया पटेल

श्री पीयूष गोयल ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पीयूष गोयल ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 5.59 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 27 जून, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—906LS(S3)—26-06-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 9

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सोलहवीं लोक सभा के सदस्य श्री एस॰ राजेन्द्रन; दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री विश्वनाथ शास्त्री; पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री परिपूर्णानंद पैन्युली; पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य श्री के॰जे॰के॰ रितीश शिवकुमार; चौदहवीं से सोलहवीं लोक सभाओं के सदस्य श्री एस॰पी॰वाई॰ रेड्डी; चौथी लोक सभा के सदस्य श्री वी॰ विश्वनाथ मेनन; छठी, सातवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री आर॰एन॰ राकेश; सोलहवीं लोक सभा के सदस्य श्री हरिओम सिंह राठौर; बारहवीं से चौदहवीं लोक सभाओं के सदस्य श्री एम॰के॰ सुब्बा; पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य श्री कमलेश बाल्मीकि और दसवीं से तेरहवीं लोक सभाओं की सदस्य श्रीमती शीला गौतम के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तपश्चात्, दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81—83, 84 (89 के साथ युग्मित) और 85 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 86—88 और 90—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 882—1111 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रत्न लाल कटारिया ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वैपकोस लिमिटेड तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रहलाद जोशी के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 26 जून, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019

7. अध्यादेश के बारे में विवरण–सभा पटल पर रखा गया

केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 13) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

8. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019

9. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 5) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.05 बजे

10. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

दन्त-चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019

@11. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के नि:शक्त सैनिकों पर कर लगाए जाने के संबंध में निवेदन किया।

श्री राजनाथ सिंह* ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 2.07 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 3.02 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

@अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 2.07 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

*रक्षा मंत्री

अपराह्न 03.02 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

1. श्रीमती अपराजिता सारंगी ने स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा के प्रदर्शन के बारे में मामला उठाया।
2. श्री (डॉ॰) एम॰के॰ विष्णु प्रसाद ने आरणी, तमिलनाडु में एक सिल्क पार्क की स्थापना किए जाने के बारे में मामला उठाया।
3. श्री एच॰ वसंतकुमार ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में नए रेल मंडल के गठन किए जाने के बारे में मामला उठाया।
4. श्री बैन्नी बेहनन ने तटीय बैल्ट के साथ-साथ समुद्र किनारे दीवार का निर्माण किए जाने के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 3.08 बजे

$13. सांवधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय: 2 घंटे 55 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 11) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात्, संकल्प पर मतदान कराया गया और वह अस्वीकृत हुआ।

$14. सरकारी विधेयक—पारित

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री श्रीपाद येसो नाईक ने विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया।

श्री अधीर रंजन चौधरी सांविधिक संकल्प पर बोले।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ मनोज राजोरिया
2. श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आफरीन अली)

$एक साथ चर्चा की गई।

3. डॉ॰ बीसेट्टी वेंकट सत्यावती
4. श्री अनुभव मोहंती
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्री अनुराग शर्मा
7. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे
8. श्री (एडवोकेट) ए॰एम॰ आरिफ
9. श्री हनुमान बैनिवाल
10. श्री कोडिकुन्निल सुरेश
11. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
12. श्री फारूख अबदुल्ला
13. श्री विनायक राऊत
14. श्री अजय भट्ट
15. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
16. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर
17. श्री भगवंत मान
18. श्री तिरुमावलवन थोल

श्री श्रीपाद येसो नाईक ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री श्रीपाद येसो नाईक ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.03 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 28 *जून,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—958LS(S3)—27-06-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 28 जून, 2019/7 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 10

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101—106 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 107—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1112—1341 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

पूर्वाह्न 11.59 बजे

3. *अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने सत्रहवीं लोक सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों के लिए 03 से 04 जुलाई और 09 से 10 जुलाई, 2019 तक होने वाले प्रबोधन कार्यक्रम के संबंध में घोषणा की।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

महिला और बाल विकास मंत्री; वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० का०आ० 797(अ), जो 11 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम

*मूलत: हिन्दी में, विवरण के लिए इस दिन का वाद-विवाद देखें।

के उपबंधों के अध्यधीन संयुक्त सचिव (रेशम), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में 26.02.2019 से तीन वर्ष की समयावधि के लिए कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाईक ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:—

(1) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (मिनिमम स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट ऑफ होम्योपैथी कॉलेजेस एंड अटैच्ड हॉस्पिटल्स) संशोधन विनियम, 2019 जो 27 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-15/2012-सीसीएच (भाग-एक) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (मिनिमम स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट ऑफ होम्योपैथी कॉलेजेस एंड अटैच्ड हॉस्पिटल्स) संशोधन विनियम, 2019 जो 30 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-15/2012-सीसीएच (भाग-एक) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) होम्योपैथी (पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स) एम॰डी॰ (होम्योपैथी) संशोधन विनियम, 2019 जो 11 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-11/2010-सीसीएच (भाग-दो) (1) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अधिसूचना संख्या 12-15/2012-सीसीएच(भाग) जो 9 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा उसका एक शुद्धिपत्र, जो 18 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 515 में प्रकाशित हुआ था।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.02 बजे

5. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सोमवार 1 जुलाई, 2019 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.10 बजे

#6. सांविधिक संकल्प—स्वीकृत

लिया गया समय: 3 घंटे 53 मिनट

श्री अमित शाह ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 की उद्घोषणा के प्रवर्तन को 3 जुलाई, 2019 से और 6 माह की अवधि के लिए आगे जारी रखने का अनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात्, संकल्प स्वीकृत हुआ।

#7. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 1 मार्च, 2019 को प्रख्यापित जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात् संकल्प अस्वीकृत हुआ।

#8. सरकारी विधेयक—पारित

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री अमित शाह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने सांविधिक संकल्प पर बात रखी।

#एक साथ चर्चा हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मनीष तिवारी
2. श्रीमती पूनम महाजन
3. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
4. श्री हसनैन मसूदी
5. डॉ॰ जितेन्द्र सिंह
6. श्री कानुमुरू रघु राम कृष्णराजू
7. श्री राहुल रमेश शेवाले
8. श्री कौशलेन्द्र कुमार
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री कुँवर दानिश अली
11. श्री नामा नागेश्वर राव
12. श्री किंजुरापु राम मोहन नायडु
13. श्री मोहम्मद फैजल पी॰पी॰
14. श्री असादुद्दीन ओवैसी
15. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
16. श्री जसबीर सिंह गिल (डिम्पा)

श्री अमित शाह ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 4 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अमित शाह द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.03 बजे

9. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प—विचाराधीन

श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल द्वारा 21 जून, 2019 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''यह सभा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और पशुओं के चारे की अनुपलब्धता के कारण, क्षेत्र के लोग अपनी गायों को खुले में चरने के लिए छोड़ने पर विवश हैं, जो आमतौर पर ''अन्न प्रथा'' के नाम से जानी जाती है, और जो खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, सरकार से आग्रह करती है कि क्षेत्र में जल संकट की समस्या और *अन्न प्रथा* की परंपरा को समाप्त करने के लिए बांधों और तालाबों के अंतसंयोजन तथा पुनर्भरण के लिए प्रस्तावित केन-बेतवा नदी संपर्क परियोजना से नहरों का संजाल निर्मित करने के लिए कदम उठाए।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री अधीर रंजन चौधरी
3. श्री जगदम्बिका पाल

(*गणपूर्ति के अभाव में, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई*)

सायं 5.56 बजे

(*लोक सभा सोमवार,* 1 *जुलाई,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—1019LS(S3)—28-06-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 11

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121-123, 124 (125 के साथ युग्मित) और 126-130 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 130-140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1342-1571 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने चिकित्सक दिवस के बारे में उल्लेख किया।

अपराह्न 12.04 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2018 जो 10 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 762(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2019 जो 29 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 384(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का अवधारण) संशोधन विनियम, 2019 जो 27 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ पीएनजीआरबी/सीओएम/2-एनजीपीएल टैरिफ (3)/2019 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ) संशोधन विनियम, 2019 जो 24 अप्रैल, 2019

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2019 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (एलपीजी भंडारण, संभाल और बोटलिंग सुविधाओं के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) विनियम, 2019 जो 21 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ पीएनजीआरबी/टेक/6-टी4एसएलपीजी/(1)/2019 में प्रकाशित हुए थे।

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (प्रदाय, संवितरण का विनियमन तथा अनाचार का निवारण) संशोधन आदेश, 2019 जो 31 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 395(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) वी॰वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी॰वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) एम्पलाईज प्रोविडेंट फंड आरगेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2019 जो 4 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 284(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2019 जो 4 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 285(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) एम्पलाईज डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (अमेंडमेंट) स्कीम, 2019 जो 4 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 286(अ) में प्रकाशित हुई थी।

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एण्ड आर्काइब्ज, धर्मशाला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एण्ड आर्काइब्ज, धर्मशाला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एण्ड आर्काइब्ज, धर्मशाला के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) मीकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) डॉ॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सर्व शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) वास्तुकार अधिनियम , 1972 की धारा 45 की उप-धारा (3) के अंतर्गत द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन) (संशोधन) विनियम, 2019, जो 13 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰सं॰ सीए/12/2019/रेगुलेशन्स में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (रेड्रेस ऑफ ग्रिवांसेज ऑफ स्टूडेंट्स) विनियम, 2019, जो 6 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 14-4/2012 (सीपीपी-II) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) पेंशन फंड रेगुलेटरी एण्ड डेवेलपमेन्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेंशन फंड रेगुलेटरी एण्ड डेवेलपमेन्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (2019 का संख्यांक 4) डिपार्टमेन्ट ऑफ रेवन्यू (इनडायरेक्ट टेक्सेस-सेंट्रल एक्साइज एण्ड सर्विस टैक्स) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सिक्कों का निर्माण (जालियांवाला बाग नरसंहार की शताब्दी के अवसर पर स्मरण हेतु निर्मित सिक्का जारी करना) नियम, 2019 जो 9 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 293(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) श्रीमती विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित एक सौ रुपये के सिक्के का निर्माण नियम, 2019 जो 4 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 405(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्कों का निर्माण (पैका विद्रोह की द्विशती के अवसर पर स्मरण हेतु निर्मित सिक्का जारी करना) नियम, 2018 जो 4 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1165(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिक्कों का निर्माण (परमहंस योगानंद के 125वीं जन्म वर्षगांठ के अवसर पर स्मरण हेतु निर्मित सिक्का जारी करना) नियम, 2019 जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 150(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) एक रुपए, दो रुपए, पाँच रुपए, दस रुपए, बीस रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2019 जो 6 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 184(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सिक्कों का निर्माण (पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा पहली बार तिरंगा फहराए जाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मरण हेतु निर्मित

सिक्का जारी करना) नियम, 2018 जो 13 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1107(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विक्रम साराभाई के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मरण हेतु निर्मित एक सौ रुपए के सिक्के का निर्माण नियम, 2019 जो 4 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 406(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सिक्कों का निर्माण (श्री गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर स्मरण हेतु निर्मित सिक्का जारी करना) नियम, 2019 जो 4 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 407(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) श्री सतगुरु राम सिंह जी के दूसरी जन्म शताब्दी के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित दो सौ रुपये और दस रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2019 जो 3 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 401(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सिक्कों का निर्माण (स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म वर्षगांठ के अवसर पर स्मरण हेतु निर्मित सिक्का जारी करना) नियम, 2018 जो 13 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1194(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 21 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/02 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पेमेंट ऑफ फीस) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 22 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2019/03 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कस्टोडियन) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 22 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2019/04 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपोजिटरीज एण्ड पार्टिसिपेन्टस) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 4 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी- एनआरओ/ जीएन/2019/20 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेगुलेशन्स) (स्टॉक एक्सचेंजेस एण्ड क्लियरिंग कारपोरेशंस) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 4 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2019/21 में प्रकाशित हुए थे।

(6) धन-शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो 28 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 381(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) संशोधन नियम, 2019 जो 13 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 108(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 432(अ) जो 18 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 'जूट सैकिंग बैग्स' पर वर्तमान एंटी-डंपिंग डयूटी की प्रवंचना को रोकने के लिए बांग्लादेश में उद्‌भूत और वहां से निर्यातित 'जूट सैकिंग बैग्स' पर वर्तमान एंटी डंपिंग का विस्तार करना है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 72(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय दिनांक 13 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना सं॰ 32/2017- इंटीग्रेटेड टैक्स (रेट) को रद्द करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 563(अ) जो 31 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) दिनांक 31 मई, 2019 की अधिसूचना सं॰ 39/2019-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 882(अ) जो 15 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) दिनांक 6 जून, 2019 की अधिसूचना सं॰ 40/2019-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) दिनांक 16 मई, 2019 की अधिसूचना सं॰ 37/2019-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का॰आ॰ 1066(अ) जो 28 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) दिनांक 2 मई, 2019 की अधिसूचना सं॰ 35/2019–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का॰आ॰ 1385(अ) जो 15 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) दिनांक 4 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना सं॰ 30/2019–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का॰आ॰ 1482(अ) जो 29 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) दिनांक 20 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं॰ 24/2019–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का॰आ॰ 1594(अ) जो 15 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) दिनांक 21 फरवरी, 2019 की अधिसूचना सं॰ 13/2019–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में

संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का॰आ॰ 1668(अ) जो 30 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) दिनांक 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं॰ 21/2019-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का॰आ॰ 1741(अ) जो 15 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) दिनांक 15 फरवरी, 2019 की अधिसूचना सं॰ 11/2019-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का॰आ॰ 1893(अ) जो 31 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) दिनांक 7 फरवरी, 2019 की अधिसूचना सं॰ 9/2019-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) दिनांक 18 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना सं॰ 32/2019–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का॰आ॰ 1965(अ) जो 14 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 236(अ) जो 25 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा॰का॰नि॰ 238(अ) जो 25 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 122 (अ) जो 16 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 95/2018–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 294 (अ) जो 9 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा घरेलू खरीद पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लिए जाने के लिए पेपरलैस मर्चेन्डाइस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम और सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम डयूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स के उपयोग करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1218(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (सम्मिलन) चौथा संशोधन नियम, 2018 जो दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1219(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (संशोधन) नियम, 2019 जो दिनांक 15 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 29(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 22 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 42(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (विवरणिका और प्रतिभूतियों का आबंटन) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 22 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 43(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (महत्वपूर्ण फायदाप्रद स्वामी) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 8 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 100 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (विवरणिका और प्रतिभूतियों का आबंटन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 20 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 130(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 20 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 131(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 143(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) कंपनी (सम्मिलन) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 144(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) कंपनी (सम्मिलन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 6 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 180(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) कंपनी (सम्मिलन) तीसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 275(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 30 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 273(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 30 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 274(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) कंपनी (सम्मिलन) चौथा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 332(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 25 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 329(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 339(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) तीसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 340(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 341(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 342(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाया जाना) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 8 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 350(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 जो दिनांक 8 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 351(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) कंपनी (सम्मिलन) पांचवा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 11 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 357(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 16 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 368(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) कंपनी (विवरणिका और प्रतिभूतियों का आबंटन) तीसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 23 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 376(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (कारबार संव्यवहार के लिए बैठक) नियम, 2019 जो दिनांक 23 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 377(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) कंपनी (सम्मिलन) छठा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 7 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 411(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) उपर्युक्त (11) की मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰ आ॰ 6225 (अ) जो 20 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुई थी तथा जो क्षेत्रीय निदेशकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे माननीय राष्ट्रपति जी से 26 जून, 2019 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

'20 जून, 2019 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं'।''

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 27 जून, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 58वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

%अपराह्न 12.05 बजे

8. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री टी॰आर॰ बालू ने ओएनजीसी को कावेरी डेल्टा में 311 कूप उत्खनन करने की कथित अनुमति प्रदान किए जाने के कारण कृषक समुदाय की कृषि भूमि और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में निवेदन किया।

%अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

श्री बी॰ मणिक्कम टैगोर सहयोजित हुए।

[$]श्री धमेन्द्र प्रधान ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.00 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.02 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.02 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री मितेश रमेशभाई पटेल द्वारा दाल और चावल से जीएसटी हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित आनन्दनगर-महाराजगंज-घुघुली रेल लाइन को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री संतोष पांडेय द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को धन का भुगतान किए जाने के बारे में।

(4) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के रोहतास जिला अंतर्गत डालमिया नगर में रेलवे बैंगन मरम्मत कारखाना जगाने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में स्थित सहजनवां में एक महिला महाविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के पटना स्थित 'एम्स' में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा भोपाल, मध्य प्रदेश में छोटी-छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके हत्या किए जाने की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री मुकेश राजपूत द्वारा फर्रूखाबाद से हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली तक एक नई ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती लॉकेट चटर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में हिंसा के संबंध में।

[$]पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री

(10) डॉ॰ स्वामी साक्षीजी महाराज द्वारा उत्तर प्रदेश के उन्नाव संसदीय क्षेत्र में बूचड़खानों को बंद किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री देवजी पटेल द्वारा राजस्थान के खेजड़ी के वृक्ष का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रमेश चन्द्र कौशिक द्वारा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के संबंध में।

(13) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अमृत (एएमआरयूटी) योजना को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात के भरुच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदिवासी बहुत आरक्षित वन क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा गुजरात में सूरत हवाई अड्डे के टर्मिनल को अद्यतन किए जाने और वहां से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू किए जाने के संबंध में।

(16) श्री पी॰पी॰ चौधरी द्वारा दवा कंपनियों की मनमानी के संबंध में।

(17) श्री राकेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सैनिक/मिलिट्री स्कूल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा बैंकों से शिक्षा ऋण लेने में छात्रों के समक्ष आ रही समस्याओं के संबंध में

(19) श्री सप्तगिरी उलाका द्वारा ओडिशा के केबीके क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सहायता के संबंध में।

(20) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के वेतन को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री रघु राम कृष्णराजू द्वारा समाज में महिलाओं और लड़कियों को बेहतर और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए जाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा महाराष्ट्र में वालधुनि नदी के जीर्णोद्धार के लिए धन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा चक्रवात प्रतिरोधी विद्युत वितरण नेटवर्क स्थापित किए जाने के लिए ओडिशा को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री रितेश पाण्डेय द्वारा प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के संबंध में।

(25) श्री मोहम्मद फैजल पी॰पी॰ द्वारा लक्षद्वीप में दूरसंचार संपर्क विकसित किए जाने और उसमें सुधार लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री के॰ नवसकनी द्वारा तमिलनाडु के रामनाथपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मछुआरों की दयनीय स्थिति के संबंध में।

(27) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा देश के लिए खतरा बन रहे टिकटॉक और इससे जुड़ी अन्य चीजों के संबंध में।

अपराह्न 2.03 बजे

$10. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय : 3 घंटे 57 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 मार्च, 2019 को प्रख्यापित केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 13) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात्, संकल्प पर मतदान कराया गया और वह अस्वीकृत हुआ।

$11. सरकारी विधेयक—पारित

केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री अधीर रंजन चौधरी ने सांविधिक संकल्प और विधेयक पर अपनी बात कही।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री विष्णु दयाल राम
2. श्री ए॰ राजा
3. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
4. श्री एन॰ रेड्डप्पा

$एक साथ चर्चा की गई।

5. श्री विनायक राऊत
6. श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. श्री गणेश सिंह
10. श्री नामा नागेश्वर राव
11. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
12. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
13. श्री हनुमान बैनिवाल
14. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे
15. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर
16. श्री तापिर गाव
17. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन
18. श्री पी॰ आर॰ नटराजन
19. श्री प्रवीन कुमार निषाद
20. श्री अजय भट्ट
21. श्री रितेश पाण्डेय
22. श्री कोडिकुन्निल सुरेश
23. श्री थोल तिरुमावलवन

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 6 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*सायं 6.29 बजे

(*लोक सभा मंगलवार,* 2 *जुलाई,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

*सायं 6.00 बजे से सायं 6.29 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—1072LS(S3)—01-07-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 2 जुलाई, 2019/11 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 12

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141—148 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 149—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1572—1801 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

*अपराह्न 12.03 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ किशन रेड्डी) ने गृह मंत्री (श्री अमित शाह) की ओर से विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी विदेशियों विषयक (अधिकरण) संशोधन आदेश, 2019 जो 4 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 409(अ) प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

---

*अपराह्न 12.05 बजे से 1.31 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ किशन रेड्डी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 तथा 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 तथा 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) आनंद विवाह अधिनियम, 1909 की धारा 6 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) लक्षद्वीप आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 जो 29 जुलाई, 2017 के लक्षद्वीप के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 01/02/2017-सामान्य में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चंडीगढ़ आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 2018 जो 29 मई, 2018 के चंडीगढ़ प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 526-एचआईआईआई (3)-2018/11264 में प्रकाशित हुए थे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (4) और (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 693(अ) जो 5 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ''तहरीक-उल-मुजाहिदीन तथा इसके सभी स्वरूपों'' का नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के क्रम सं॰ 41 पर प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया है।

(दो) का॰आ॰ 1806(अ) जो 24 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ''जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश'' या ''जमात-उल-मुजाहिदीन इंडिया या जमात-उल-मुजाहिदीन हिन्दुस्तान तथा इनके सभी स्वरूपों'' का नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के क्रम सं॰ 42 पर प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया है।

(7) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 53 के अंतर्गत इंवेस्टिगेशन ऑफ हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी ऑफेंसेस (अमेंडमेंट) रुल्स, 2019 जो दिनांक 11.01.2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 22(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रुपाला) ने नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21(4) के अंतर्गत वर्ष 2017 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, अग्निशमन सेवा महानिदेशालय, सिविल डिफेंस और होम गार्ड (फायर एडवाइजर) भर्ती नियम, 2019 जो दिनांक 9 फरवरी, 2019 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 43 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(लोक सभा अपराह्न 1.31 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.31 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.31 बजे

4. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्रीमती रक्षा निखिल खडसे द्वारा आयुष्मान भारत योजना के लाभ अन्य श्रेणियों के लोगों को भी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल के माल्दहा उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एस॰ मुनिस्वामी द्वारा कर्नाटक के श्रीनिवासपुरा में रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किए जाने के बारे में।

(4) श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश में दुबरी संजय टाइगर रिजर्व को विकसित किए जाने के बारे में।

(5) श्री रोड़मल नागर द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आकाशवाणी केन्द्र का प्रचालन आरंभ किए जाने की आवश्यकता बारे में।

(6) डॉ॰ भारती प्रवीण पवार द्वारा महाराष्ट्र के दिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ओझर स्थित हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लड़ाकू विमानों के विनिर्माण के बारे में।

(7) डॉ॰ सुकान्त मजूमदार द्वारा बलूरघाट और सिलीगुड़ी जंक्शन के बीच रेल यात्रा में सुधार किए जाने के बारे में।

(8) श्री रामचरण बोहरा द्वारा राजस्थान के जयपुर में मेट्रो रेल के दूसरे चरण के निर्माण के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती अन्नपुर्णा देवी द्वारा झारखंड के कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के बारे में।

(10) श्री अजय मिश्र टेनी द्वारा देश में जल की बचत करने वाली सिंचाई तकनीक विकसित किए जाने के बारे में।

(11) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ रमापति राम त्रिपाठी द्वारा बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री आर॰के॰ सिंह पटेल द्वारा झांसी–मानिकपुर रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री अजय निषाद द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के उचित कार्यान्वयन के बारे में।

(15) श्री अब्दुल खालेक द्वारा अंतिम एनआरसी के प्रकाशन के बारे में।

(16) श्री गुरजीव सिंह औजला द्वारा सरकारी विद्यालयों की स्थिति के बारे में।

(17) डॉ॰ टी॰आर॰ पारिवेन्धर द्वारा तमिलनाडु में अरियालुर, पेरम्बालुर, तुरैयुर ओर नमक्कल को जोड़ने वाली नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री एस॰ जगतरक्षकन द्वारा पावरलूम बुनाई क्षेत्र की समस्याओं के बारे में।

(19) श्री मारगनी भरत द्वारा आंध्र प्रदेश के राजामुन्दरी में फ्लाईओवरों के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री हेमन्त पाटिल द्वारा महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधीन बीमा के दावों में किसानों को आ रही समस्याओं के बारे में।

(21) श्री महाबली सिंह द्वारा बिहार में बाढ़ नियंत्रण उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री चन्द्र शेखर साहू द्वारा ओडिशा में रंगेलुंडा विमानपत्तन को उड़ान योजना में सम्मिलित किए जाने के बारे में।

(23) एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफ द्वारा नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने के बारे में।

(24) श्री पी॰ रवीन्द्रनाथ कुमार द्वारा तमिलनाडु में मदुरै से बोडीनायाकनूर रेल आमान परिवर्तन योजना को पूर्ण कराए जाने के बारे में।

अपराह्न 2.32 बजे

[$]5. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय : 4 घंटे 06 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश 2019 (2019 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात्, संकल्प पर मतदान कराया गया और यह अस्वीकृत हुआ।

[$]6. सरकारी विधेयक—पारित

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019

डॉ॰ हर्ष वर्धन द्वारा श्री अश्विनी कुमार चौबे की ओर से विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री अधीर रंजन चौधरी ने सांविधिक संकल्प और विधेयक पर अपनी बात कही।

[$]एक साथ चर्चा की गई।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ संजय जायसवाल
2. श्री गौतम सिगामनी पौन
3. डॉ॰ काकोली घोष दस्तीदार
4. डॉ॰ संजीव कुमार आयुष्मान
5. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे
6. श्री अनुभव मोहंती
7. डॉ॰ सुभाष रामराव भामरे
8. कुंवर दानिश अली
9. श्री मोहम्मद आजम खां
10. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
11. श्री श्रीनिवास (नानी) केसिनेनी
12. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत
13. श्री हनुमान बैनिवाल
14. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
15. श्री भगवंत मान
16. श्री बैन्नी बेहनन
17. श्री के॰ सुब्बा राय
18. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार
19. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
20. श्री बदरूद्दीन अजमल
21. श्री मनोज राजोरिया
22. श्री थोल तिरुमावलवन

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ॰ हर्ष वर्धन द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.38 बजे

(लोक सभा बुधवार, 3 *जुलाई,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

सोमवार, 1 जुलाई, 2019 के समाचार भाग - 1,

संख्या 11 का

शुद्धिपत्र

पृष्ठ 1, पंक्ति (4) में तारांकित प्रश्न संख्या 130 ***के स्थान पर*** तारांकित प्रश्न संख्या 131 पढ़ा जाए।

MGIPMRND—1130LS(S3)—02.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 3 जुलाई, 2019/12 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 13

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161—169 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 170—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1802—2031 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभापति तालिका

अध्यक्ष ने घोषणा की कि उन्होंने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 9 के अधीन श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ॰ जितेन्द्र सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 323(1) के

अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का 68वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(2) प्रतिवेदन के अध्याय 9 में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार नहीं किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ मुरलीधरन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 1 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने कार्य मंत्रणा समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर और ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 के साथ पठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956 की धारा 4 (छ) के

अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर और ऋषिकेश स्थित दस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), में से प्रत्येक के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 के नियम 3 के साथ पठित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.10 बजे

9. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र विधेयक, 2019

डॉ॰ शशि थरूर ने विधेयक पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की।

विधि और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

10. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 10) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

*अपराह्न 12.19 बजे

11. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री टी॰आर॰ बालू ने पुदुचेरी की उपराज्यपाल द्वारा तमिलों के विरुद्ध की गई तथाकथित अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में निवेदन किया।

$श्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर दिया।

%श्री राजनाथ सिंह ने भी उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 2.36 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.32 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 3.32 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण उपायों के बारे में।

(2) डॉ॰ निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड के गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लंबित परियोजनाओं के बारे में।

(3) श्री भगीरथ चौधरी द्वारा राजस्थान के अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के केकड़ी में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा राजस्थान के झुंझुनु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेय जल की समस्या के बारे में।

(5) श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में प्रधान डाक घर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री अनुराग शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अमृत योजना के क्रियान्वयन की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.10 बजे से अपराह्न 2.36 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

$संसदीय कार्य मंत्री

%रक्षा मंत्री

(7) श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और भदोही जिलों के बीच गंगा नदी पर पक्का पुल निर्मित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री भगवंत खुबा द्वारा किसानों को मुआवजा दिए जाने के बारे में।

(9) श्रीमती दिया कुमारी द्वारा राजस्थान के राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेय जल की समस्या के बारे में।

(10) डॉ॰ (प्रो॰) किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा देश में आदिवासी स्वास्थ्य देखभाल के बारे में।

(11) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे द्वारा गुलबर्गा और लातूर के बीच शीघ्र नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री अजय भट्ट द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्ट्री की बंदी के बारे में।

(13) श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा बिहार में छपरा और मुजफ्फरपुर के बीच रेल लाइन के निर्माण किए जाने के बारे में।

(14) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के जमदेशपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धालभुगढ़ में हवाई अड्डे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री मनोज कोटक द्वारा मुंबई में बेघर लोगों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराए जाने के बारे में।

(16) प्रो॰ (डॉ॰) रामशंकर कठेरिया द्वारा उत्तर प्रदेश में पचनदा परियोजना के अंतर्गत बांध बनाए जाने के बारे मे।

(17) श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर हंसपाल में फ्लाइओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा के आस-पास औपचारिक सीमा व्यापार के बारे में।

(19) डॉ॰ एम॰के॰ विष्णु प्रसाद द्वारा तमिलनाडु में टिंडीवनम से नागरी और टिंडीवनम से तिरुवन्नामलई के बीच रेल लाइन का निर्माण किए जाने के बारे में।

(20) श्री गौरव गोगोई द्वारा असम के नागावों में बिलगांव और जुमुगुड़ी के बीच संपर्क हेतु सड़क बनाए जाने के बारे में।

(21) श्री ए॰ गणेशमूर्ति द्वारा तमिलनाडु में कोडुमुडी रेलवे स्टेशन पर पार पथ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पश्चिम बंगाल में चांदखाली हॉल्ट स्टेशन के एक तरफ रेलवे प्लेटफार्म का निर्माण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री श्रीधर कोटागिरी द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष आर्थिक दर्जा दिए जाने के बारे में।

(24) श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) की स्थापना के बारे में।

(25) श्री सुनील कुमार पिंटू द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार बिहार में सीतामढ़ी और सुरसंड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 104 को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री के॰ सुब्बारायण द्वारा तमिलनाडु में पावर ग्रीड कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा हाई बोल्टेज वाले बिजली की लाइन के लिए खम्भे लगाने के बदले भूमिगत केबल बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 3.33 बजे

13. सरकारी विधेयक—पारित

दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019

लिया गया समय : 2 घंटे 31 मिनट

डॉ॰ हर्ष वर्धन द्वारा श्री अश्विनी कुमार चौबे की ओर से विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ एम॰के॰ विष्णु प्रसाद
2. श्री निहाल चन्द
3. डॉ॰ पारिवेन्धर टी॰आर॰
4. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
5. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे
6. श्रीमती सुप्रिया सुले
7. श्री राजीव प्रताप रूडी
8. श्री चंद्र शेखर साहू

9. श्री जयदेव गल्ला
10. श्रीमती गीता विश्वनाथ वांगा
11. डॉ॰ सुभाष सरकार
12. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
13. श्री संतोष पांडेय
14. श्री बदरुद्दीन अज़मल
15. श्री भगवंत मान
16. डॉ॰ भारती प्रवीण पवार
17. श्री थोल तिरुमावलवन
18. श्री अधीर रंजन चौधरी

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ॰ हर्ष वर्धन द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.04 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 4 जुलाई, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव।

MGIPMRND—1192LS(S3)—03-07-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 4 जुलाई, 2019/13 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 14

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181, 182 (187 और 192 के साथ युग्मित) और 183—186 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 188—191 और 193—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2032—2261 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने आर्थिक समीक्षा 2018-19 (खंड 1 और खंड 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री राजकुमार सिंह) ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय संचरण प्रभार और हानि की शेयरिंग) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 जो 8 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/44/2010/-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(2) अधिसूचना संख्या एल-1/(3)/2009/-सीईआरसी में जो 27 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसमें दिनांक 9 जनवरी, 2019 की अधिसूचना सं॰ एल-1/(3)/2009/- सीईआरसी का शुद्धिपत्र शामिल है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एअरपोर्ट अथॅारिटी ऑफ इंडिया तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) चण्डीगढ़ इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड तथा एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1243(अ) जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो स्पेशल टॉस्क फोर्स के गठन से संबंधित है।

(दो) का॰आ॰ 1244(अ) जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमियों पर फ्यूल स्टेशन्स स्थापित करने से संबंधित है।

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल॰ मांडविया) ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी—

(1) सा॰का॰नि॰ 234(अ) जो 25 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट एम्पलाईज (रिक्रूटमेंट, सीनियोरिटी एण्ड प्रमोशन) अमेंडमेंट रेगुलेशन्स, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

(2) सा०का०नि० 235(अ) जो 25 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पोर्ट ट्रस्ट एम्पलाईज (रिक्रूटमेंट, सीनियोरिटी एण्ड प्रमोशन) अमेंडमेंट रेगुलेशन्स, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

(3) सा०का०नि० 408(अ) जो 4 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट एम्पलाईज (रिक्रूटमेंट, सीनियोरिटी एण्ड प्रमोशन) अमेंडमेंट रेगुलेशन्स, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

(4) सा०का०नि० 417(अ) जो 12 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पोर्ट ट्रस्ट एम्पलाईज (रिक्रूटमेंट, सीनियोरिटी एण्ड प्रमोशन) अमेंडमेंट रेगुलेशन्स, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने [जनरल (सेवानिवृत्त) वी० के० सिंह] की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अंतर्गत नेशनल हाइवेज (मैनर ऑफ डिपोजिटिंग द अमाउंट बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, मेकिंग रिक्विजिट फंड्स एवेलेबल टू द कंपीटेंट अथॉरिटी फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड) रूल्स, 2019 जो 18 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 39(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3छ की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का०आ० 510(अ) जो 30 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, सेवानिवृत्त सचिव, उत्तराखण्ड सरकार की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

(दो) का०आ० 862(अ) जो 14 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का०आ० 510(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 374(अ) जो 23 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राजमार्ग प्रशासन को शक्तियां प्रदान करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 507(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 27 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 30) (इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 801(अ) जो 12 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 479(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 867(अ) जो 14 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 758 (भीलवाड़ा-लड़पुरा खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 868(अ) जो 14 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 128 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 232) और 330 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 232) टांडा-रायबरेली खंड के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(पाँच) का॰आ॰ 869(अ) जो 14 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 222 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 61) (अनेघाट से अहमदनगर बाईपास के प्रारंभ तक खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 980(अ) जो 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 565 (दावुलापल्ली से मरकापुरम खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 981(अ) जो 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 5 (चेन्नई-टाडा खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 982(अ) जो 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 65 (नागौर बाईपास की समाप्ति–नेत्रागांव–मंडोर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 1114(अ) जो 1 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2681(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का॰आ॰ 1132(अ) जो 5 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 211 (येदेशी–औरंगाबाद खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1141(अ) जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 24 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 9) (मुरादाबाद खंड जिसमें हापुड़ बाईपास खंड शामिल है) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 1611(अ) जो 18 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 24 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 29ई) (सोनोली–गोरखपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 1612(अ) जो 18 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 222 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 61) (मलशेज घाट से अनेघाट खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 1613(अ) जो 18 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 1ए (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 44) (श्रीनगर से बनिहाल खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 1667(अ) जो 30 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 65 (नया राष्ट्रीय

राजमार्ग सं॰ 9) (विजयवाड़ा से मछलीपट्टनम खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 1697(अ) जो 6 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 24बी (रायबरेली-इलाहाबाद खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 1725(अ) जो 13 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 78 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 30) (शहडोल से अनूपपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 1890(अ) जो 31 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1217(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रत्न लाल कटारिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केरला लैंड डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरला लैंड डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 2 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 3 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

अपराह्न 12.06 बजे

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कतिपय स्तरों के लिए सीधी भर्ती हेतु परीक्षा के माध्यम के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.07 बजे

6. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रहलाद जोशी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 3 जुलाई, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवदेन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.32 बजे

7. सदस्य द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने तमिलों के विरुद्ध की गई तथाकथित अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में निवेदन किया।

1. श्री टी॰आर॰ बालू
2. श्री अधीर रंजन चौधरी

#श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

%8. सभापति तालिका

अध्यक्ष ने घोषणा की कि उन्होंने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 9 के अधीन डॉ॰ काकोली घोष दस्तीदार को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है।

---

*अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 1.32 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#रक्षा मंत्री।

%अपराह्न 1.28 बजे।

अपराह्न 1.33 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री दिलीप साईकिया द्वारा असम में पाथोरिघाट की लड़ाई के बारे में।

(2) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा मेरठ और दिल्ली के बीच चलने वाली नौचंदी एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस और शटल रेल गाड़ियों को निर्धारित समयसारणी के अनुसार चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की ग्रामीण शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ संजय जायसवाल द्वारा बिहार के पश्चिम चम्पारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बेतिया में मेगा फूड पार्क खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के लातेहर जिले में बरवाडीह में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी द्वारा राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार की विकास संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन किए जाने के बारे में।

(7) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के श्रीनगर और बिहार के पडुका के बीच सोन नदी पर पुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आवारा पशुओं द्वारा फसलों को पहुंचाई गई क्षति के बारे में।

(9) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के माधवगढ़ में अर्द्धसैनिक बलों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग के बारे में।

(11) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद जिले में नदियों से बालू के अवैध खनन के बारे में।

(12) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा महाराष्ट्र में वर्धा-नागपुर बड़ी लाइन मेट्रो रेल परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा देश में तेज गति से घटते भू-जल संसाधनों के बारे में।

(14) श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा दिल्ली में नशीली दवाओं के खतरे के बारे में।

(15) श्री हरीश द्विवेदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संत रविदास वन बिहार पार्क का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ शशि थरूर द्वारा तिरूवनन्तपुरम में पर्यटन संबंधी अवसंरचना में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा केरल में तिरुवल्ला रेलवे स्टेशन की अवसंरचना का स्तरोन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री हिबी इडन द्वारा केरल के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66) के एडापिल्ली-मुटाकुन्नम खंड के विकास के बारे में।

(19) श्री ए॰के॰पी॰ चिनराज द्वारा कुक्कुट कृषकों के लिए बिना किसी शुल्क के फीड ग्रेड मक्के का आयात किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव द्वारा महाराष्ट्र के बुलधना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नालंदा स्थित मानद विश्वविद्यालय नव नालंदा महाविहार में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा समुद्री अपरदन से प्रभावित केरल के तटीय क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 1.34 बजे

$10. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय : 4 घंटे 32 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है।''

सम्मिलित चर्चा के पश्चात्, संकल्प पर मतदान कराया गया और वह अस्वीकृत हुआ।

$एक साथ चर्चा हुई।

[$]11. सरकारी विधेयक—पारित

आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री अधीर रंजन चौधरी ने सांविधिक संकल्प और विधेयक पर अपनी बात रखी।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री पी॰पी॰ चौधरी
2. श्री डी॰ रविकुमार
3. श्रीमती महुआ मोइत्रा
4. श्री कोटागिरी श्रीधर
5. श्री पिनाकी मिश्रा
6. श्री रितेश पाण्डेय
7. श्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी'
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. श्री पी॰के॰ कुनहलिकुट्टी
10. श्री मनोज तिवारी
11. श्री कौशलेन्द्र कुमार
12. श्री पी॰आर॰ नटराजन
13. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
14. श्री संजय काका पाटील
15. श्री मनीष तिवारी
16. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे
17. श्री एम॰ सेल्वराज
18. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार
19. श्री असादुद्दीन ओवैसी

[$]एक साथ चर्चा हुई।

20. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू

21. श्री रमेश बिधूड़ी

22. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

23. श्री हनुमान बैनिवाल

24. श्री थोल तिरुमावलवन

25. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट

श्री रवि शंकर प्रसाद ने संयुक्त वाद–विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड–वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री रवि शंकर प्रसाद ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को; जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 की सरकारी संशोधन संख्या 36 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 2क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 2क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

श्री रवि शंकर प्रसाद ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को; जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा

और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 की सरकारी संशोधन संख्या 37 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 5क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 5क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 और 8 स्वीकृत हुए।

खंड 9 और 10 स्वीकृत हुए।

खंड 11 और 12 स्वीकृत हुए।

खंड 13 से 15 स्वीकृत हुए।

खंड 16 से 23 स्वीकृत हुए।

खंड 24 स्वीकृत हुआ।

खंड 25 से 28 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक, यथासंशोधित को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

सायं 6.06 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 5 जुलाई, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—1245LS(S3)—04-07-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 5 जुलाई, 2019/14 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 15

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. केन्द्रीय बजट — 2019-2020

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019-2020 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 1.07 बजे

2. राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभा पटल रखे गए विवरण

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:—

(1) मध्यम—अवधि राजवित्तीय नीति सह राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण; और

(2) वृहत—आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण।

3. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019

अपराह्न 1.10 बजे

(लोक सभा सोमवार, 8 *जुलाई,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—1277LS(S3)—05-07-2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 16

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201, 202 (215 के साथ युग्मित), 203 (218 के साथ युग्मित), 204, (207 के साथ युग्मित) और 205 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 206, 208—214, 216, 217, 219 और 220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2262—2491 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) ने तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) का॰आ॰ 367(अ), जो 22 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डीएसएफ बोली चरण-एक, डीएसएफ बोली चरण-दो और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण

और लाइसेंसिंग नीति के लिए लागू रॉयल्टी के दरों के बारे में है तथा उसका शुद्धिपत्र 31 मई, 2019 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1887(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) का॰आ॰ 1597(अ), जो 16 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम की अनुसूची में संशोधन के बारे में है तथा जिसके द्वारा हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत प्रदत्त अनुबंध क्षेत्रों से कच्चे तेल, संघनित और प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन के समय पूर्व आरंभ की स्थिति में देय रियायती दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) केआईओसीएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2019 का संख्यांक 5) (निष्पादन लेखापरीक्षा) - एनएमडीसी लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय का प्रचालनात्मक निष्पादन के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) असम सर्व शिक्षा अभियान, गुवाहाटी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) असम सर्व शिक्षा अभियान, गुवाहाटी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, की धारा 50 की उप-धारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 2019 जो 1 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआर/पीपीजी/पीए/19-20/112 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 98(अ) जो 7 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत दिनांक 5 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 8/2016-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 2019, जो 30 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 76(अ) में प्रकाशित हुए

थे और जिसका शुद्धिपत्र 5 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 93(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2019, जो 12 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 304(अ) में प्रकाशित हुए थे और जिसका शुद्धिपत्र 3 मई, 2019 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 347(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2019, जो 22 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 375(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 69 के अंतर्गत बेनामी सम्पत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध (अधिनिर्णयन अथारिटी के सदस्यों की सेवा शर्तें) नियम, 2019 जो 27 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 379(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) वर्ष 2018-2019 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार से ली गयी उधारी के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (2019 का प्रतिवेदन संख्यांक 1) (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर) — मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितियों का निर्धारण।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2019 का प्रतिवेदन संख्यांक 8) (नीति आयोग)—सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए तैयारी की लेखापरीक्षा।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरूता) ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 4 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'इस्पात पीएसयू में सीएसआर गतिविधियां' (2018-19) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 302वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर समिति के 307वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.05 बजे

6. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सोमवार, 8 जुलाई, 2019 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.10 बजे

7. सांविधिक संकल्प

(एक) श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क (1) के अनुसरण में, यह सभा एतद्द्वारा 16.02.2019 की अधिसूचना सं॰ 5/2019-सीशु [सा॰का॰नि॰ 124(अ) दिनांक 16 फरवरी, 2019] जिसका आशय पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं पर 200 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने हेतु सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय-98 के अंतर्गत नए टैरिफ मद 9806 00 00 का समावेश करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना है, का अनुमोदन करती है।''

सांविधिक संकल्प स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क (1) के अनुसरण में, यह सभा एतद्द्वारा 15.06.2019 की अधिसूचना सं॰ 16/2019-सीशु [सा॰का॰नि॰ 425(अ) दिनांक 15 जून, 2019] जिसका आशय निम्नलिखित वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क में वृद्धि करना है, का अनुमोदन करती है:—

(क) दालें (मसूर) (0713 40 00) 40% से 50%,

(ख) बोरिक एसिड (2810 00 20) 17.5% से 27.5%, और

(ग) अन्य डायग्नोस्टिक तथा लेबोरेटरी रिजेन्ट्स (3822 00 90) 20% से 30%।''

सांविधिक संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.11 बजे

8. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2019

*सर्वश्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, श्री अधीर रंजन चौधरी और डॉ॰ शशि थरूर ने विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ॰ हर्ष वर्धन) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 12.21 बजे

9. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, डॉ॰ शशि थरूर, श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर और श्री पी॰के॰ कुनहलिकुट्टी ने विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ किशन रेड्डी) ने गृह मंत्री (श्री अमित शाह) की ओर से सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 12.37 बजे

10. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री पी॰के॰ कुनहलिकुट्टी और डॉ॰ शशि थरूर ने विधयेक को पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ किशन रेड्डी) ने गृह मंत्री (श्री अमित शाह) की ओर से सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकाकर प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 12.43 बजे

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

---

* वे विधेयक के पुर:स्थापन के पश्चात् बोले।

श्री अधीर रंजन चौधरी और डॉ॰ शशि थरूर ने विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकररण मांगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ किशन रेड्डी) ने गृह मंत्री (श्री अमित शाह) की ओर से सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

12. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019

(दो) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019

13. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019

डॉ॰ शशि थरूर ने विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

संस्कृति मंत्रालय ने राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्न का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

14. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

[#]अपराह्न 12.58 बजे

15. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने संसदीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक तथाकथित दल-बदल कराए जाने के संबंध में निवेदन किया।

[&]श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।)

[#]अपराह्न 12.58 बजे से अपराह्न 1.09 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।
[&]रक्षा मंत्री।

अपराह्न 2.02 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल उपरि पुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 का चौड़ीकरण किए जाने के बारे में।

(3) श्री एल॰एस॰ तेजस्वी सूर्या द्वारा केपीएससी की रिक्तियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रत्याशियों को सम्मिलित किए जाने संबंधी डीओपीटी की अधिसूचना में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री उपेन्द्र सिंह रावत द्वारा उत्तर प्रदेश में बाराबंकी रेलवे स्टेशन के नजदीक रेल उपरि पुल या भूमिगत पार पथ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती रीती पाठक द्वारा गाड़ी संख्या 22165/66 (सिंगरौली–भोपाल एक्सप्रेस) और गाड़ी संख्या 22167/68 (सिंगरौली–निजामुद्दीन एक्सप्रेस) को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ ढालसिंह बिसेन द्वारा नागपुर से जबलपुर तथा रामटेक से गोटेगांव या शिकारा के बीच रेल सम्पर्क प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश में धसान नदी पर ककरवाह पिकअप विअर परियोजना का निर्माण कराए जाने के बारे में।

(8) श्रीमती क्वीन ओझा द्वारा असम के बाढ़ प्रवण जिलों में बाढ़ सुरक्षा के उपाय किए जाने के बारे में।

(9) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत संयंत्र और खनिज आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के बरवाडीह रेलवे स्टेशन पर रांची–दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12877/78) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री देवजी पटेल द्वारा डेयरी क्षेत्र से होने वाली आय को कृषि आय घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री चुन्नी लाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ में किसानों को बीज और उर्वरक मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा महाराष्ट्र के भिवंडी वस्त्र उद्योग क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने के बारे में।

(14) श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा राजस्थान के उदयपुर विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) प्रवीन कुमार निषाद द्वारा उत्तर प्रदेश की आमी नदी का पुनरूद्धार किए जाने तथा इसे प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर द्वारा बीदर–नांदेड़ रेल लाइन के निर्माण के बारे में।

(17) श्री के॰ मुरलीधरन द्वारा केरल के वडाकरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोट्टाकडेवु अरंगिल रेल समपार पर एक भूमिगत पार–पथ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री वी॰ के॰ श्रीकंदन द्वारा केरल के कांजीकोड में एक रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री हिबी इडन द्वारा कोच्चि 'अपशिष्ट से ऊर्जा' परियोजना के बारे में।

(20) श्री एस॰ रामलिंगम द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों के बारे में।

(21) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा देश में महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार संबंधी समस्या से निपटने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री राहुल शेवले द्वारा 300 मीटर के आगे एपरोच फनेल में एयरोनॉटिकल अध्ययन कराए जाने संबंधी जीएसआर 751 (ङ) दिशा–निर्देशों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद द्वारा बिहार के जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पानी की भारी कमी के बारे में।

(24) श्री महेश साहू द्वारा पत्रकार संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किए जाने के बारें में।

(25) श्री श्याम सिंह यादव द्वारा देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में विद्यमान विधि व्यवस्था की स्थिति के बारे में।

(26) श्री पी॰आर॰ नटराजन द्वारा जॉब वर्क्स पर जीएसटी हटाए जाने के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

17. केन्द्रीय बजट—2019-20

आवंटित समय : 12 घंटे
लिया गया समय : 6 घंटे
शेष : 6 घंटे

वर्ष 2019-20 के लिए केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ शशि थरूर
2. श्री जयन्त सिन्हा
3. श्री टी॰आर॰ बालू
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री विनायक राऊत
6. श्री संतोष कुमार
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री सुखबीर सिंह बादल
9. श्री कानुमुरु रघु राम कृष्णराजू
10. कुंवर दानिश अली
11. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे

12. श्री जगदम्बिका पाल

13. श्री प्रद्युत बोरदोलोई

14. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो

15. श्रीमती अपराजिता सारंगी

16. श्री तोखेहो येपथोमी

17. श्री जुगल किशोर

18. श्री रमेश बिधूड़ी

19. श्री हरीश चन्द्र *उर्फ* हरीश द्विवेदी

20. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे

21. श्रीमती रक्षा निखिल खडसे

22. श्री भगवंत मान

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.02 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 9 जुलाई, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—1360LS(S3)—08.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 9 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 17

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221—226 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 227—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2492—2721 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ किशन रेड्डी) ने गृह मंत्री (श्री अमित शाह) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) वर्ष 2019-2020 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड एक)।

(2) वर्ष 2019-2020 के लिए गृह मंत्रालय (संघ राज्यक्षेत्र) की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड दो)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) ने वर्ष 2019-2020 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल॰ मांडविया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, अहमदाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1705(अ) जो 8 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा खरीफ, 2019 के दौरान घरेलू विनिर्माताओं द्वारा निर्मित यूरिया की राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को की गई आपूर्तियों को इंगित करने वाला आदेश दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(एक) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैब्लिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैब्लिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 42 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (कठिनाई को दूर करना) आदेश, 2019, जो 10 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1557(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) नियम, 2019, जो 29 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 382(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ किशन रेड्डी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 23 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए दिशा-निर्देश (संशोधन) आदेश, 2019 जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 201(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) शत्रु भाग के विक्रय के लिए प्रक्रिया और प्रणाली आदेश, 2019 जो 18 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 885(अ) में प्रकाशित हुआ था।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2019, जो 21 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 941(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2019, जो 13 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1728(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2019, जो 24 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1817(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2019, जो 12 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1954(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 42 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (बोरिक अम्ल के लिए मानक) आदेश, 2019, जो 17 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1766(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1767(अ) जो 17 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कीटनाशी अधिनियम, 1968 की अनुसूची में 25 कीटनाशकों को शामिल किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजीव कुमार बालियान) ने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्, अधिनियम, 1984 की धारा 66 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता दिए जाने और उनकी मान्यता समाप्त किए जाने की प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2019 जो 6 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 197(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड कम्युनिकेशन सर्विस (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019, जो 11 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰नि॰ 74 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) असम राइफल्स नायब सूबेदार (इलैक्ट्रीशियन मोटर यान) समूह 'ख' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 7 जुलाई, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 201 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) असम राइफल्स (समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 36 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) असम राइफल्स नायब सूबेदार (सामान्य डयूटी) समूह 'ख' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 11 अगस्त, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 247 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) असम राइफल्स सिविल स्टाफ समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 11 अगस्त, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 248 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) असम राइफल्स (पैरा मेडिकल संवर्ग) समूह 'ग' गैर–मंत्रालयी, कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 25 अगस्त, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 273 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) असम राइफल्स सूबेदार मेजर स्टोर कीपर टेक्निकल (इंजीनियर्स), समूह 'ख' पद (कम्बैटाइज्ड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 7 जुलाई, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 203 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) असम राइफल्स नायब सूबेदार (धार्मिक अध्यापक) कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 15 सितम्बर, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 295 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) असम राइफल्स नायब सूबेदार (अध्यापक) समूह 'ख' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 7 जुलाई, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 202 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) असम राइफल्स वारंट आफिसर (रेडियो मैकेनिक) समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 18 अगस्त, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 264 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) असम राइफल्स सूबेदार मेजर (भवन और सड़क) (इंजीनियर्स) समूह 'ख' पद (कम्बैटाइज्ड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 7 जुलाई, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 204 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) असम राइफल्स पैरा–मेडिकल स्टाफ (फार्मासिस्ट) समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 37 में प्रकाशित हुए थे।

(3) जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जनगणना (संशोधन) नियम, 2018 जो 20 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 576(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2018 जो 11 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 25(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, (कम्बैटाइज्ड स्टेनोग्राफर्स काडर), समूह 'क' और समूह 'ख' पद नियम, 2019 जो 18 मई, 2019 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 118 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल, कम्बैटाइज्ड सहायक उप-निरीक्षक (स्टेनोग्राफर) तथा हैड कांस्टेबल (मंत्रालयी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019, जो 30 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 75 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, पैरा वेटरिनरी स्टाफ, समूह 'ख' और समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित) पद (कम्बैटाइज्ड) भर्ती नियम, 2019, जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 147 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

अपराह्न 12.04 बजे

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 8 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 8 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने गृह मंत्रालय से संबंधित 'चक्रवात ओक्खी-मछुआरों पर इसका प्रभाव और इससे हुई क्षति' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 216वें प्रतिवेदन के अध्याय-तीन और चार में श्रेणीबद्ध पैरा के संबंध में समिति द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

[@]6. राजभाषा समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री नित्यानन्द राय ने श्री अमित शाह की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गयी प्रगति की समीक्षा करने हेतु राजभाषा समिति के सदस्य बनने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, इसके बारे में सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.16 बजे

7. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने संसदीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक तथाकथित दल-बदल कराए जाने के संबंध में निवेदन किया।

[$]श्री प्रह्लाद जोशी ने उत्तर दिया।

[#]श्री राजनाथ सिंह ने भी उत्तर दिया।

[@]अपराह्न 12.15 बजे।

*अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 1.02 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

[$]संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री।

[#]रक्षा मंत्री।

अपराह्न 12.22 बजे

[&]8. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सभा की गरिमा बनाए रखने के बारे में टिप्पणी की।

(लोक सभा अपराहन् 1.02 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.00 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री कीर्ति वर्धन सिंह द्वारा सरयू नहर परियोजना खंड-2 की नहर टीकरी माइनर से अतिरिक्त जल गोण्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के अरंगा जलाशय में छोड़ दिए जाने के बारे में।

(2) श्री मितेश रमेशभाई पटेल द्वारा गुजरात के आनन्द में स्थित महिसागर नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री देवेन्द्र सिंह *उर्फ* भोले सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में कानपुर मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध लाला लाजपत राय अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर लेवल-I की स्थापना किए जाने के बारे में।

(4) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ निशिकांत दुबे द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश में मझगांय बांध परियोजना का निर्माण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री अजय मिश्र (टेनी) द्वारा जम्मू और कश्मीर के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में।

(8) श्री सत्यदेव पचौरी द्वारा अनुकम्पा आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों के बारे में।

[&]मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया इस दिन का वाद-विवाद देखें।

(9) श्री सुनिल बाबूराव मेंधे द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत गोंदिया से विमान सेवाएं आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री राकेश सिंह द्वारा इटारसी इलाहाबाद रेल मार्ग का विद्युतीकरण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ (प्रो॰) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा एससी/एसटी बैंक की स्थापना हेतु कोष निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा मेरठ और पानीपत के बीच रेल सम्पर्क मार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री अजय निषाद द्वारा बिहार के वैशाली जिले में स्थित गांधी आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री कौशल किशोर द्वारा केन्द्र सरकार के कार्यालयों और विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खाली पड़े पदों के बैकलॉग को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री राजू बिष्ट द्वारा चाय बागान के श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा जंगली जानवरों के खतरों के बारे में।

(18) श्री बैन्नी बेहनन द्वारा पोक्सो अधिनियम लागू किए जाने के बारे में।

(19) डॉ॰ मोहम्मद जावेद द्वारा बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज परिसर हेतु निधियां जारी किए जाने के बारे में।

(20) श्री ए॰के॰ पी॰ चिनराज द्वारा तमिलनाडु में नामक्कल के लिए बेहतर रेल सम्पर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) प्रो॰ सौगत राय द्वारा सरकारी परिसम्पत्तियों का अंतरण निजी हाथों में जाने के बारे में।

(22) श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा आंध्र प्रदेश में वरिकापुदिशाला लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बारे में।

(23) डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा महाराष्ट्र के डोम्बीवली में डाक घर पासपोर्ट सेवा केन्द्र की स्थापना किए जाने के बारे में।

(24) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार में बनमनखी और बिहारीगंज के बीच रेल लाइन के आमान परिवर्तन के बारे में।

(25) डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डी द्वारा तेलंगाना के तंदूर क्षेत्र में लाल चना बोर्ड की स्थापना किए जाने के बारे में।

(26) श्री एम॰ सेल्वराज द्वारा गाजा चक्रवात से बुरी तरह से प्रभावित हुए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के बारे में।

(27) श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल में कोल्लम बाईपास के लिए सुरक्षोपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(28) श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा गिरीडिह स्थित पारसनाथ पहाड़ियों में एक पर्यटन विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने और इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

10. केन्द्रीय बजट—2019-2020

लिया गया समय : 15 घंटे 09 मिनट

वर्ष 2019-2020 के लिए केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा आगे जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री वीरेन्द्र सिंह
2. श्री नामा नागेश्वर राव
3. श्री विनोद कुमार सोनकर
4. श्री रामचन्द्रन पासवान

*5. श्री ए॰ गणेशमूर्ति

*6. श्री एच॰ वसंतकुमार

*7. श्री एस॰आर॰ पार्थिबन

*8. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी

*9. श्रीमती प्रतिमा मण्डल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

10. श्री नंद कुमार सिंह चौहान (नंदू भैया)
*11. श्रीमती रंजनबेन भट्ट
*12. श्री मितेश रमेशभाई पटेल (बांकाभाई)
13. श्रीमती परनीत कौर
*14. श्री अजय मिश्रा टेनी
15. श्रीमती सुनीता दुग्गल
16. श्री ए॰ राजा
*17. श्रीमती रेखा वर्मा
18. श्री के॰ सुब्बारायण
19. श्री शिशिर अधिकारी
*20. श्री नलीन कुमार कटील
21. श्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर
*22. श्री एंटो एन्टोनी
23. श्री मारगनी भरत
*24. श्री पी॰पी॰ चौधरी
*25. श्रीमती सुप्रिया सुले
26. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
*27. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
28. श्री फिरोज वरूण गांधी
29. श्री दिलेश्वर कामैत
30. श्री बी॰बी॰ पाटील
*31. श्रीमती रमा देवी
*32. श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगरे
33. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल'
34. डॉ॰ के॰ जयकुमार
*35. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*36. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित

*37. श्री राजन बाबूराव विचारे

*38. श्री एस॰ ज्ञानतिरावियम

39. श्री भगवंत खुबा

40. श्री गिरीश चन्द्र

41. श्री के॰ नवसकनी

42. श्री अनुभव मोहंती

43. श्री नारणभाई भीखाभाई काछड़िया

44. एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफ

*45. श्री जी॰एम॰ सिद्देश्वरा

46. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

47. श्री असादुद्दीन ओवैसी

48. श्री तीरथ सिंह रावत

49. श्री सप्तगिरी उलाका

50. श्री थॉमस चाछीकादन

*51. श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आफरीन अली)

52. श्री गजानन कीर्तिकर

53. श्री सुनील कुमार पिंटू

*54. श्री असीत कुमार माल

55. डॉ॰ सुभाष सरकार

56. श्रीमती अनुप्रिया पटेल

*57. श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी

*58. श्री एम॰ सेल्वराज

59. श्री हनुमान बेनीवाल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

60. श्री विजय बघेल

61. श्री तालारी रंगैय्या

62. श्री पंकज चौधरी

*63. श्रीमती मीनाक्षी लेखी

64. श्री एम॰ के॰ राघवन

*65. श्रीमती सुमलता अम्बरीश

*66. श्री डी॰ रविकुमार

*67. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

68. श्री निहाल चन्द

*69. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल

*70. श्री अजय भट्ट

71. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार

*72. श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़

73. प्रो॰ सौगत राय

74. श्रीमती लॉकेट चटर्जी

75. श्री बदरूद्दीन अजमल

76. श्रीमती अगाथा के॰ संगमा

77. श्री प्रदीप कुमार

78. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी

79. श्री संजय कुमार बंदी

80. श्रीमती गोड्डेटी माधवी

81. श्री खगेन मुर्मु

82. श्री तिरुमावलवन थोल

*83. श्री रवि किशन

84. श्री प्रताप सिम्हा

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

85. श्रीमती संगीता आजाद
86. श्री संगम लाल गुप्ता
87. श्री तापिर गाव
88. श्री ओम प्रकाश भुपाल सिंह *उर्फ* पवन राजेनिंबालकर
89. श्री मुकेश राजपूत
90. श्री धर्मेन्द्र कश्यप
91. श्री गौरव गोगोई
92. श्री सुशील कुमार सिंह
*93. श्री रामचरण बोहरा
94. डॉ॰ सुभाष रामराव भामरे
95. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
96. श्री अजय टमटा
97. श्री राजू बिष्ट

(चर्चा पूरी नहीं हुई)

रात्रि 11.10 बजे

(लोक सभा बुधवार, 10 *जुलाई,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

MGIPMRND—1413LS(S3)—09.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 10 जुलाई, 2019/19 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 18

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241—247 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 248—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2722—2951 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) ने वर्ष 2019-2020 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विधि और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) संशोधन विनियम, 2018 जो 25 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल/61/10/एनएएलएसए में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) संशोधन विनियम, 2018 जो 25 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल/28/09/एनएएलएसए में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान) ने वर्ष 2019-2020 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रह्लाद जोशी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आणविक खनिज छूट (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 20 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 134(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आणविक खनिज छूट (संशोधन) नियम, 2019 जो 19 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 126(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 135(अ) जो 20 फरवरी 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मैसर्स स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड/विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, जो इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं, के माध्यम से पूर्वेक्षण या खनन प्रचालन करने के लिए खनिज लौह अयस्क हेतु ब्लॉक संख्या 13/1 रमनदुर्गा वन रेंज, संदूर तालुक, बेल्लारी जिला, कर्नाटक में 150 एकड़ का क्षेत्र 10 वर्षों की अवधि के लिए आरक्षित किया गया है।

(चार) सा॰का॰नि॰ 1220(अ) जो 19 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रयोजनार्थ पीएल या एमएल के अंतर्गत पहले से ही रखे गए क्षेत्र के अलावा, राजस्थान राज्य में बांसवाड़ा, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में रॉक फास्फेट और डोलोमाइट खनिजों के संबंध में मैसर्स एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से पूर्वेक्षण या खनन प्रचालन करने के लिए क्षेत्र 10 वर्षों की अवधि के लिए आरक्षित किया गया है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) वर्ष 2019-2020 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) वर्ष 2019-2020 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ॰ जितेन्द्र सिंह) ने सभा पटल पर रखे:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2019-2020 के लिए अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2019-2020 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड तथा अंतरिक्ष विभाग के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) कॉफी बोर्ड, बैंगलोर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बैंगलोर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॉफी बोर्ड, बैंगलोर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अध्यादेश, 2019 जो 21 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ एफडीडीआई/एचओ/एमडीओ/सीओपी(डीपी)/2019/044 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 के अंतर्गत चाय भाण्डागार (लाइसेंसिंग) संशोधन आदेश, 2019 जो 4 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1919 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 6309(अ) जो 24 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चीन से दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के आयात पर निषेध के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 6364(अ) जो 28 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पीला मटर, हरा मटर, दून मटर और कास्पा मटर सहित मटरों की आयात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 128(अ) जो 8 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017 की अनुसूची-एक (आयात नीति) के अंतर्गत इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी वस्तुओं के लिए आयात नीति के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 129(अ) जो 8 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) में एक्जिम कोड 27101219 के अंतर्गत एविएशन गैसोलिन की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 320(अ) जो 15 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अंतर्गत परिशिष्ट-पांच को शामिल करने के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 321(अ) जो 15 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के एचएस कोड 29362920 के अंतर्गत नाइकोटिनिक एसिड और नाइकोटिनामाइड की नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 1478(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एसपीपी विगना मुंगो (आई) हैप्पर, स्पिलिट और अन्य बिन्स की आयात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 1479(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पीला मटर, हरा मटर, दून मटर, कास्पा मटर, स्पिलिट और अन्य सहित मटरों (पिसुम सैटीवुम) की आयात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 1480(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एसपीपी विगना रेडिएटा (एल॰) विल्सजैक, स्पिलिट और अन्य बिन्स की आयात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1481(अ) जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अरहर दाल (काजानुस काजान)/तुअर दाल, स्पिलिट और अन्य की आयात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1428(अ) जो 23 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चीन से दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के आयात के निषेध के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 1701(अ) जो 7 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017 की अनुसूची-एक (आयात नीति) के अंतर्गत इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी वस्तुओं के लिए आयात नीति के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 1818(अ) जो 24 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जैव ईंधन की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 1955(अ) जो 12 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो काजू करनैल्स (टूटे/साबुत) की आयात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।

(6) (एक) फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वर्ष 2019-2020 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया), नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया), नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 116-6/2017-एनएसएल-II/(खंड II) जो 13 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 12.06.2019 के दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अंगड़ी सुरेश चन्नबासप्पा) ने सभा पटल पर रखे:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) कोंकण रेल निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) रेल विकास निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) राईट्स लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दस) कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्यारह) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(बारह) कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) (एक) रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2019-2020 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ मुरलीधरन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उप-धारा (8) के अंतर्गत स्टैटिक एंड मोबाइल प्रेशर वैसल्स (अनफायर्ड) संशोधन नियम, 2019 जो 26 फरवरी, 2019

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 148(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक महानियंत्रक का कार्यालय, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक महानियंत्रक का कार्यालय, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.03 बजे

4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और खान मंत्री (श्री प्रह्लाद जोशी) ने कोयला खदान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री

(स्वतंत्र प्रभार); वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से अनुदानों की मांगों (2018-19) (मांग संख्या 11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 147वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) (मांग संख्या 12) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 141वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति के 148वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. चाय बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री सोम प्रकाश ने श्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि चाय नियमावली, 1954 के नियम 4(1)(ख) और 5(1) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा (4) की उप-धारा (3) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. कॉफी बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री सोम प्रकाश ने श्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि कॉफी नियमावली, 1955 के नियम 3 और 4 के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा (4) की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन कॉफी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. मसाला बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री सोम प्रकाश ने श्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि मसाला बोर्ड नियमावली, 1987 के नियम 4(1) (ख) और 5(1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए निवार्चन हेतु प्रस्ताव

श्री सोम प्रकाश ने श्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4(1) के साथ पठित सामुद्रिक उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा (4) की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#अपराह्न 12.32 बजे

9. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने कर्नाटक में राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में निवेदन किया।

*श्री प्रह्लाद जोशी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 12.59 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन:समवेत हुई।)*

#अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 12.59 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

* संसदीय कार्य मंत्री।

अपराह्न 2.00 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा रेलवे फाटकों पर अंडर-पास में जल भराव की समस्या के बारे में।

(2) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों तथा अन्य लोगों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लाभ तथा संबंधित जानकारी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती लॉकेट चटर्जी द्वारा कोलकाता में सियालदह रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने के बारे में।

(4) श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा राजस्थान के झुनझुनू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में सुधार किए जाने के बारे में।

(5) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल मोबाइल टॉवरों के बारे में।

(6) श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा बिहार में दानापुर-शेरपुर और दिघवारा के बीच गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण किए जाने के बारे में।

(7) श्री खगेन मुर्मु द्वारा दिल्ली और पश्चिम बंगाल के माल्दहा उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बीच सुपरफास्ट ट्रेन चलाए किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री कनकमल कटारा द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री प्रदीप कुमार चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हथनीकुंड लिंक चैनल-2 परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री राजेश वर्मा द्वारा लखनऊ-सीतापुर रेल-लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा राजस्थान के अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टोल रहित आवागमन के बारे में।

(12) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पोटका और पटमदा में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री अर्जुन सिंह द्वारा जूट क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के बारे में।

(14) डॉ॰ सुभाष रामाराव भामरे द्वारा महाराष्ट्र के धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अस्पतालों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत सूचीबद्ध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एकीकृत आयुष अस्पताल स्थापित किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे द्वारा कोल्हापुर-बीदर एक्सप्रेस का विस्तार हैदराबाद तक किए जाने के बारे में।

(17) श्री छेदी पासवान द्वारा पंडुका सोन पुल परियोजना का निर्माण शीघ्र कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा असम में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की पेपर मिलों को पुनरुज्जीवित किए जाने के बारे में।

(19) श्री बी॰ मणिक्कम टैगोर द्वारा तमिलनाडु में पम्बा-अचनकोविल-वइप्पर नदी लिंक परियोजना को शीघ्र पूर्ण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नशीपुर से अजीमगंज रेल पुल को पूरा किए जाने के बारे में।

(21) श्री डी॰ रविकुमार द्वारा आधार डाटा के उपयोग के बारे में।

(22) श्री टी॰आर॰वी॰एस॰ रमेश द्वारा तमिलनाडु के कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एम्स खोले जाने के बारे में।

(23) श्री के॰ रघुराम कृष्णराजू द्वारा सांप्रदायिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिए जाने के बारे में।

(24) श्री प्रताप राव गणपतराव जाधव द्वारा महाराष्ट्र में पेनगंगा और वेणगंगा को आपस में जोड़ने के बारे में।

(25) श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो द्वारा बिहार के पश्चिम चम्पारण जिले के रामनगर खंड में मोबाइल टॉवर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष के विद्यमान मानकों में छूट देकर ओडिशा हाइड्रोपावर कॉरपोरेशन को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री जयदेव गल्ला द्वारा तम्बाकू किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान किए जाने के बारे में।

(28) श्री हनुमान बैनिवाल द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 754के के निर्माण हेतु जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उन्हें पर्याप्त मुआवजा और रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(29) श्री नाबा कुमार सरनीया द्वारा असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् में स्थानीय स्व-शासन प्रणाली लागू किए जाने के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

11. केन्द्रीय बजट—2019-2020

लिया गया समय: 17 घंटे 23 मिनट

वर्ष 2019-2020 के लिए केन्द्रीय बजट पर आगे सामान्य चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट
*2. श्री सुमेधानन्द सरस्वती
*3. श्रीमती शारदाबेन अनिलभाई पटेल
*4. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
*5. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
*6. श्री गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा
*7. श्री भरत सिंहजी डाभी
8. मोहम्मद अकबर लोन

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*9. श्री हंसमुखभाई सोमभाई पटेल

*10. श्री विनोद लखमशी चावड़ा

*11. श्रीमती नुसरत जहां रूही

*12. श्री जनार्दन मिश्र

*13. श्री पी॰आर॰ नटराजन

*14. श्री विद्युत बरन महतो

*15. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

*16. श्री देवुसिंह चौहान

17. श्री एस॰ रामलिंगम

*18. श्रीमती रीती पाठक

*19. श्री पर्वतगौडा चंदनगौडा गद्दीगौदर

*20. डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा

*21. श्री देवजी पटेल

*22. श्री संजय सेठ

*23. श्री विष्णु दयाल राम

*24. सुश्री मिमि चक्रबर्ती

*25. श्री राहुल कस्वां

*26. श्री राकेश सिंह

27. श्री मोहम्मद सादिक

*28. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया

*29. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर

*30. श्री रविन्द्र कुशवाहा

*31. श्री निशिकांत दुबे

32. श्री सी॰ आर॰ पाटिल

*33. श्रीमती संगन्ना अमरप्पा कराडी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*34. डॉ॰ एम॰ के॰ विष्णु प्रसाद

*35. डॉ॰ भारतीबेन धीरूभाई श्याल

*36. श्री दिलीप साईकिया

*37. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी

*38. श्रीमती क्वीन ओझा

*39. डॉ॰ संजय जायसवाल

*40. श्री बी॰ वाई॰ राघवेन्द्र

*41. श्री रामदास चन्द्रभानजी तडस

*42. श्रीमती शोभा कारान्दलाजे

*43. श्री संजय काका पाटील

*44. श्री शंकर लालवानी

*45. श्री नरेन्द्र कुमार

*46. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा

*47. श्री सुनील कुमार सिंह

*48. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी

*49. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे

*50. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत

*51. श्री खलीलुर रहमान

*52. श्री शिव कुमार उदासी

*53. श्री कमलेश पासवान

*54. श्रीमती पूनमबेन हेमंतभाई माडम

*55. डॉ॰ भारती प्रवीण पवार

*56. श्री पशुपति नाथ सिंह

*57. श्री रितेश पांडे

*58. श्री सुदर्शन भगत

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*59. एडवोकेट अदूर प्रकाश

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

अपराह्न 4.15 बजे

[$]12. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय: 2 घंटे 16 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 10) का निरनुमोदन करती है।''

संयुक्त चर्चा के पश्चात्, संकल्प पर मतदान कराया गया और वह अस्वीकृत हुआ।

[$]13. सरकारी विधेयक—पारित

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र विधेयक, 2019

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री अधीर रंजन चौधरी सांविधिक संकल्प और विधेयक पर बोले।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
2. प्रो॰ सौगत राय
3. श्री रघु राम कृष्णराजू कानुमुरू
4. श्री विनायक राऊत
5. श्री पिनाकी मिश्रा
6. श्री जैदेव गल्ला
7. डॉ॰ शशि थरूर
8. श्री असादुद्दीन औवेसी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

[$]एक साथ चर्चा की गई।

9. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

10. श्री एन॰ के प्रेमचन्द्रन

श्री रवि शंकर प्रसाद ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 से 13 स्वीकृत हुए।

खंड 14 से 16 स्वीकृत हुए।

खंड 17 स्वीकृत हुआ।

खंड 18 और 19 स्वीकृत हुए।

खंड 20 से 35 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रवि शंकर प्रसाद ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.31 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 11 जुलाई, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—1451LS(S3)—10.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 11 जुलाई, 2019/20 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 19

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 261 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 261 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 262, 263 (278 के साथ युग्मित), 264 (267 के साथ युग्मित) और 265 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 266, 268—277, 279 और 280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2952—3181 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में (राज्य मंत्री) (श्री किरेन रिजीजू) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2019-2020 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2019-2020 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) फोरम ऑफ रेगुलेटर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 से 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फोरम ऑफ रेगुलेटर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 से 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(6) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण और संबंधित मामलों में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक खुली पहुंच प्रदान करना) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 जो 28 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/(3)/2009-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वर्ष 2019-2020 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) आवासन और शहरी विकास निगम लिमिटेड तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नोएडा मेट्रो रेल लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नोएडा मेट्रो रेल लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2019-2020 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 22 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) नियम, 2018 जो 20 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 133(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल (सेवानिवृत्त) वी॰ के॰ सिंह] ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 6392(अ) जो 31 दिसम्बर 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 6393(अ) जो 31 दिसम्बर 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तीन) का॰आ॰ 6394(अ) जो 31 दिसम्बर 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(चार) का॰आ॰ 07(अ) जो 2 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148ग के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(पाँच) का॰आ॰ 08(अ) जो 2 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के खंडों को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।

(छह) का॰आ॰ 09(अ) जो 2 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का॰आ॰ 301(अ) जो 15 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का॰आ॰ 361(अ) जो 4 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का॰आ॰ 379(अ) जो 24 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 354 के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दस) का॰आ॰ 380(अ) जो 24 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 381(अ) और का॰आ॰ 382(अ) जो 24 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का॰आ॰ 383(अ) जो 24 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 179क के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तेरह) का॰आ॰ 509(अ) जो 30 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148ढक के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(चौदह) का॰आ॰ 694(अ) और का॰आ॰ 695(अ) जो 5 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 886(अ) और का॰आ॰ 887(अ) जो 18 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का॰आ॰ 969(अ) और का॰आ॰ 970(अ) जो 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का॰आ॰ 1891(अ) जो 31 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पंजाब राज्य में नये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 354ख के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(2) वर्ष 2019-2020 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रत्न लाल कटारिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) वर्ष 2019-2020 के लिए जल शक्ति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रताप चंद्र सारंगी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2019-20 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री हरदीप सिंह पुरी ने 'एयर इंडिया का विनिवेश' के बारे में श्री एंटो एन्टोनी, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 87 के 27 जून, 2019 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.03 बजे

6. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री राहुल गांधी ने केरल में घोर विपत्तियों का सामना कर रहे किसानों के बारे में निवेदन किया।

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन सहयोजित हुए।

#श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

#रक्षा मंत्री।

अपराह्न 12.07 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू-कश्मीर के जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ संजय जायसवाल द्वारा महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (बिहार) का विस्तार केन्द्र राज्य के पश्चिम चम्पारण जिले में स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री रवि किशन द्वारा समाज कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कथित भ्रष्ट तत्वों को निर्मूल समाप्त करने के लिए एक निगरानी तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री गणेश सिंह द्वारा देश में बेनामी संपत्ति को ऊजागर करने के लिए तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती अन्नपुर्णा देवी द्वारा मधुपुर-गिरीडीह-कोडरमा रेल मार्ग का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के निवेशकों को बकाया राशि के भुगतान कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ॰ सुजय विखे पाटील द्वारा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में म्रग बहार के लिए पीएमएफबीबाई-डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत बीमा दावे की स्वीकृति और केन्द्रीय सरकार के शेयर का संवितरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केले की खेती को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री आर॰के॰ सिंह पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश में चित्रकूट से विमान सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी द्वारा स्वायत्त निकायों द्वारा सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में।

(12) श्री एस॰ मुनिस्वामी द्वारा कर्नाटक में सोने की खान खोले जाने के बारे में।

(13) श्री अजय भट्ट द्वारा उत्तराखंड में पर्यटन विकसित किए जाने और उसे बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री संजय सेठ द्वारा झारखंड के रांची में रेल का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ॰ भारती प्रवीण पवार द्वारा महाराष्ट्र के दिंडोरी में निफाड में शुष्क पत्तन विकास के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री अब्दुल खालेक द्वारा मृदा अपरदन से उत्पन्न समस्याओं के बारे में।

(17) श्री टी॰एन॰ प्रथापन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा केरल के मावेलीकारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री एस॰ जगतरक्षकन द्वारा चेन्नई-बंगलुरू औद्योगिक कोरिडोर के कार्यान्वयन के बारे में।

(20) श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ द्वारा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सुरक्षा दीवार का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री मारनगनी भरत द्वारा आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में गैस के रिसाव के बारे में।

(22) श्री ओम पवन राजेनिंबालकर द्वारा महाराष्ट्र में तेमभुरनी और लातुर के बीच सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री सुनील कुमार (पिंटू) द्वारा बिहार के सीतामढ़ी से सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री पी॰के॰ कुनहालिकुट्टी द्वारा कुवैत में अध्यवसायियों के समक्ष आ रही समस्या के बारे में।

अपराह्न 12.08 बजे

8. नियम 331छ के निलम्बन के लिए प्रस्ताव

श्री अर्जुन लाल मेघवाल ने श्री प्रह्लाद जोशी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331छ को वर्ष 2019-20 के लिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान पर लागू करने के संबंध में निलम्बित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् अध्यक्ष ने विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों द्वारा अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में टिप्पणी# की।

अपराह्न 12.11 बजे

9. केन्द्रीय बजट—2019-2020—अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 11 घंटे 48 मिनट

रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 82 पर चर्चा आरंभ हुई।

अध्यक्ष ने कटौती प्रस्तावों के पेश किए जाने संबंधी# घोषणा की।

रेल मंत्रालय से संबंधित 21 कटौती प्रस्ताव (संख्यांक 1 से 15 और 21 से 26) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री सुनील कुमार सिंह
3. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
4. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
5. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राव
6. श्री राजन बाबूराव विचारे
7. श्री दिनेश चन्द्र यादव

#मूल हिन्दी में। ब्यौरों के लिए कृपया इस दिन का वाद-विवाद देखें।

8. श्री चन्द्र शेखर साहू
9. श्री हाजी फजलुर रहमान
*10. श्री भर्तृहरि महताब
11. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी
*12. श्री राकेश सिंह
*13. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
*14. श्री पी॰आर॰ नटराजन
*15. श्री के॰ शनमुगा सुंदरम
16. श्री गोपाल शेट्टी
*17. श्री सप्तगिरी उलाका
18. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
19. श्री सुधीर गुप्ता
*20. श्री ए॰ गणेशमूर्ति
*21. श्री अरविन्द कुमार शर्मा
22. श्री राम चन्द्र पासवान
*23. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी
24. श्रीमती रंजनबेन भट्ट
25. श्री थिरूनवुक्करासर सु॰
*26. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट
*27. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा
28. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
*29. श्री नलीन कुमार कटील
*30. डॉ॰ एस॰टी॰ हसन
31. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार
*32. श्रीमती पूनम हेमंतभाई माडम

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

33. श्री पी॰के॰ कुनहलिकुट्टी
34. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
35. श्री रामप्रीत मंडल
36. श्री अशोक महादेवराव नेते
*37. श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़
38. श्रीमती माला राय
39. श्रीमती प्रतिमा भौमिक
40. श्री राहुल रमेश शैवाले
41. श्री एम॰ सेल्वाराज
42. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
*43. श्रीमती केशरी देवी पटेल
44. श्री श्याम सिंह यादव
*45. श्रीमती रंजीता कोली
46. श्री रविन्द्र कुशवाहा
47. एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफ
*48. श्री आर॰के॰ सिंह पटेल
49. श्री विद्युत बरन महतो
50. श्री एन॰ रेडेप्पा
*51. श्री बी॰वाई॰ राघवेन्द्र
*52. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
53. श्री अजय भट्ट
*54. श्री शिव कुमार उदासी
*55. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
*56. श्री गणेश सिंह
57. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*58. श्रीमती शोभा कारान्दलाजे

59. श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या)

*60. श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर

61. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

*62. श्री पी॰सी॰ मोहन

*63. श्री पी॰पी॰ चौधरी

64. श्री मनोज कोटक

*65. श्री ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन राजे निबांलकर

66. श्री इम्तियाज जलील सैयद

*67. श्री मितेश रमेशभाई (बकाभाई) पटेल

68. श्री कमलेश पासवान

69. श्री पोथूगन्टी रमुलु

*70. श्री असीत कुमार भाल

71. श्री हनुमान बैनीवाल

72. श्री अर्जुन सिंह

73. श्री एच॰ वसंतकुमार

*74. श्रीमती रमा देवी

75. श्रीमती अनुप्रिया पटेल

*76. श्री अबू ताहेर खान

77. श्रीमती सुप्रिया सुले

78. श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह

*79. श्री खलीलुर रहमान

80. श्री थोल तिरूमावलवन

81. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

*82. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*83. श्रीमती लॉकेट चटर्जी

84. सुश्री अगाथा के॰ संगमा

*85. श्रीमती प्रतिभा मण्डल

*86. श्री हंसमुखभाई सोमभाई पटेल

*87. डॉ॰ अमर सिंह

*88. श्री गिरीश चन्द्र

89. श्री लल्लू सिंह

*90. श्री मलूक नागर

91. श्री पी॰ रविद्रनाथ कुमार

*92. श्री निहाल चन्द

*93. श्री भगीरथ चौधरी

*94. श्रीमती रक्षा निखिल खडसे

95. श्रीमती रंजीता कोली

*96. डॉ॰ डी॰ रविकुमार

97. श्रीमती रेखा वर्मा

*98. श्री दिलीप साईकिया

*99. श्री सुशील कुमार सिंह

100. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी

101. श्री संजय सेठ

102. श्री कनकमल कटारा

*103. श्री पंकज चौधरी

104. श्री बदरूद्दीन अजमल

105. डॉ॰ भारतीबेन धीरूभाई श्याल

*106. श्री नरेन्द्र कुमार

107. श्री वी॰ के॰ श्रीकंदन

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

108. श्री रामचरण बोहरा
109. श्री विनायक राऊत
110. श्री अक्षयवर लाल
*111. श्री जगदम्बिका पाल
*112. श्रीमती रीती पाठक
113. श्री रितेश पाण्डेय
*114. श्री सुमेधानन्द सरस्वती
115. श्री विजय कुमार दूबे
116. श्रीमती गीता विश्वनाथ वांगा
117. डॉ॰ संजय जायसवाल
118. श्री राज मोहन उन्नीथन
#119. श्री सुरेश सी॰ अंगड़ी
*120. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
*121. श्री अजय मिश्रा
*122. श्री जनार्दन मिश्र
*123. श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी
124. श्रीमती संगीता आजाद
125. श्री अरूण कुमार सागर
126. डॉ॰ बीसेट्टी वेंकट सत्यावती
127. श्री एस॰ मुनिस्वामी
*128. श्री अजय टम्टा
129. एडवोकेट अदूर प्रकाश
130. श्री अर्जनलाल मीणा
131. श्री सुरेश पुजारी
*132. श्री खगेन मुर्मु

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री।

133. श्री गुरजीत सिंह औजला
134. श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी
*135. श्री प्रदीप कुमार
*136. डॉ॰ उमेश जी॰ जाधव
137. डॉ॰ जयंत कुमार राय
138. श्री नायब सिंह
139. डॉ॰ शशि थरूर
140. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
141. श्री सुब्रत पाठक
*142. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
143. श्री विनोद लखमशी चवाड़ा
144. श्री नारण भाई भीखाभाई काछड़िया
145. श्री अब्दुल खालेक
146. श्री अनिल फिरोजिया
147. डॉ॰ के॰सी॰ पटेल
148. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल
149. श्री बैन्नी बेहनन
150. श्री प्रदीप कुमार सिंह
151. श्री निशिकांत दुबे
152. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर
153. डॉ॰ किरिट पी सोलंकी
154. श्री उन्मेश भैय्या साहेब पाटिल
*155. डॉ॰ संघमित्र मौर्या
*156. श्री राजकुमार चाहर
157. श्री गौरव गोगोई

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

158. श्री रमेश चन्द

159. श्री गोपालजी ठाकुर

160. श्री निमिथ प्रामाणिक

161. श्री रमेश बिधूड़ी

*162. श्री जनार्दन सिंह (सीग्रीवाल)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 11.59 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 12 जुलाई, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

MGIPMRND—1494LS(S3)—11.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 12 जुलाई, 2019/21 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 20

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281 (285 के साथ युग्मित) और 282—284 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 286—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3182—3411 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) ने वर्ष 2019-2020 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) ने वर्ष 2019-2020 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखी:—

(1) कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) (एक) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बैंगलुरू के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बैंगलुरू के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2019-2020 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2019-2020 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ॰ हर्ष वर्धन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) वर्ष 2019-2020 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 23 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (सचिव और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन विनियम, 2018 जो 18 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ टीडीबी/64/2017/आरआर/एडमिन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) वर्ष 2019-2020 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) उत्तर पूर्व आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2012-13 से 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2012-13 से 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2019-2020 के लिए आयुष मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) ने वर्ष 2019-2020 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पहला संशोधन विनियम, 2019 जो 31 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 02-01/ईएनएफ-1(1)/एफएसएसएआई-2012 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त तत्व और अवशिष्ट) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 जो 24 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 1-एसपी(पीएआर)-अधिसूचना-कीटनाशक/मानक-एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और पौधरोपण विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और पौधरोपण विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 397 (अ) जो 31 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चूना-भट्टों में पेटकोक के विक्रय और उपयोग के बारे में हैं।

(दो) का॰आ॰ 1651(अ) जो 25 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण के संशोधन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 6314(अ) जो 26 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आगरा स्थित ताज ट्रापेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण के बारे में है।

(6) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत जोखिमपूर्ण और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) संशोधन नियम, 2019 जो 5 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 178(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7क के अंतर्गत 13 जून, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 419(अ), जिसके द्वारा 16 जून, 2016 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 606(अ) में कतिपय किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 37 (अ) जो 18 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वैश्विक तापन के कारण प्राकृतिक आपदाओं के खतरों और समुद्र स्तर में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए इस बारे में है कि तटीय क्षेत्रों में मछुआरे समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के अलावा तटीय खंडों और समुद्री क्षेत्रों के अनूठे पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित सतत विकास संवर्धन के लिए तटीय और द्वीप विनियम इस मंत्रालय के अधिदेश हैं।

(दो) सा॰का॰नि॰ 1242 (अ) जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वैश्विक तापन के कारण प्राकृतिक आपदाओं के खतरों और समुद्र स्तर में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए इस बारे में है कि तटीय क्षेत्रों में मछुआरे समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के अलावा तटीय खंडों और समुद्री क्षेत्रों के अनूठे पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित सतत विकास संवर्धन के लिए तटीय और द्वीप विनियम इस मंत्रालय के अधिदेश हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) वर्ष 2019-2020 के लिए संसद, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) वर्ष 2019-2020 के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ॰ हर्ष वर्धन ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-2019) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 315वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 323वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-2019) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 309वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 317वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.03 बजे

5. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सोमवार, 15 जुलाई, 2019 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिए।

अपराह्न 12.10 बजे

6. सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (2) के

खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के संस्थान निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर), पुडुचेरी के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5(ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के संस्थान निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (ठ) की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 11 जुलाई, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.14 बजे

11. केंद्रीय बजट—2019-2020—अनुदान की मांग

लिया गया समय: 13 घंटे 06 मिनट

रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 82 पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. श्री विनोद कुमार सोनकर
2. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
3. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
4. श्रीमती शारदा अनिलभाई पटेल
5. श्री राहुल कस्वां
6. श्री देवजी पटेल
7. श्री विष्णु दयाल राम
8. श्री राजू बिष्ट
9. श्री जुगल किशोर

10. श्री पशुपति नाथ सिंह
11. डॉ॰ सुभाष सरकार
12. श्री कृष्ण पाल सिंह ''डॉ॰ के॰पी॰ यादव''
13. प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेल
14. श्री सुभाष रामराव भामरे
15. श्रीमती सुमलता अम्बरीश
16. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत
17. श्री सुदर्शन भगत
18. श्री राजेन्द्र धेड्या गावीत
19. श्रीमती केसरी देवी पटेल
20. श्री मुकेश राजपूत
21. श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा

श्री पीयूष गोयल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखा गया और वे अस्वीकृत हुए।

अनुदान की मांग सं॰ 82 (राजस्व खाता और पूंजीगत खाता दोनों) जिसके लिए रेल मंत्रालय उत्तरदायी है हेतु वर्ष 2019-2020 के लिए अनुदानों की मांग बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के खंड 4 के अंतर्गत दर्शायी गई धनराशि के लिए पूर्ण मतदान किया गया।

(लोक सभा अपराह्न 1.32 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.33 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.33 बजे

12. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 1 घंटा 46 मिनट

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
2. श्री राजीव प्रताप रूडी

3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालू
5. श्री राहुल रमेश शेवाले
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्रीमती सुप्रिया सुले
8. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
9. श्री हनुमान बैनिवाल
10. श्री विनोद कुमार सोनकर
11. श्री अमर सिंह
12. श्री एस॰पी॰ सिंह बघेल
13. श्री जसबीर सिह गिल

श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 4.20 बजे

13. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

1. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का शहीदों के परिवारों को वित्तीय सहायता का संदाय विधेयक, 2019
2. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 2019 *(नए अध्याय II क का अंत:स्थापन)*

3. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 *(धारा 135 का संशोधन, आदि)*

4. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का युवा कौशल प्रशिक्षण विधेयक, 2019

5. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य का हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण (संशोधन) विधेयक, 2019 *(धारा 18 का संशोधन)*

6. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य का मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(धारा 184 का संशोधन)*

7. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य का गलत सिद्धदोष के अधिकारों की रक्षा विधेयक, 2019

8. डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य का अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2019 *(धारा 2 का संशोधन, आदि)*

9. डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य का प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 *(नई धारा 6क का अंत:स्थापन, आदि)*

10. डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य का वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 *(नए अध्याय* IV *घ का अंत:स्थापन, आदि)*

11. श्री निहाल चन्द, संसद सदस्य का राष्ट्रीय कृषि नीति आयोग विधेयक, 2019

12. श्री निहाल चन्द, संसद सदस्य का राष्ट्रीय खेल विकास आयोग विधेयक, 2019

13. श्री निहाल चन्द, संसद सदस्य का राष्ट्रीय कुपोषण नीति आयोग विधेयक, 2019

14. डॉ॰ शशि थरूर, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(अनुच्छेद 9 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन, आदि)*

15. डॉ॰ शशि थरूर, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(नए अनुच्छेद 14क का अंत:स्थापन, आदि)*

16. डॉ॰ शशि थरूर, संसद सदस्य का भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 *(धारा 354 और 509 का लोप)*

17. डॉ॰ शशि थरूर, संसद सदस्य का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र पुनर्गठन आयोग विधेयक, 2019

18. श्री कोडिकुन्नील सुरेश, संसद सदस्य का प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विधेयक, 2019

19. डॉ॰ संजय जायसवाल, संसद सदस्य का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में अभिहित करना विधेयक, 2019

20. डॉ॰ संजय जायसवाल, संसद सदस्य का तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) विधेयक, 2019

21. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019 *(नई धारा 29कक का अंत:स्थापन)*

22. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(तीसरी अनुसूची का संशोधन)*

23. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य का प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 *(धारा 14 का संशोधन)*

24. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(अनुच्छेद 85 का संशोधन)*

25. श्री रवि किशन, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(आठवीं अनुसूची का संशोधन)*

26. श्री रवि किशन, संसद सदस्य का गौ–वध पर पाबंदी विधेयक, 2019

27. श्री रवि किशन, संसद सदस्य का सविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(अनुच्छेद 1 का संशोधन)*

28. श्री रवि किशन, संसद सदस्य का सविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(अनुच्छेद 44 का लोप, आदि)*

29. श्री पी॰पी॰ चौधरी, संसद सदस्य का सविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(अनुच्छेद 370 का संशोधन)*

30. श्री पी॰पी॰ चौधरी, संसद सदस्य का सविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)*

31. श्री पी॰पी॰ चौधरी, संसद सदस्य का सविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(अनुच्छेद 66 का संशोधन)*

32. श्री पी॰पी॰ चौधरी, संसद सदस्य का सविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(नए अनुच्छेद 324क का अंत:स्थापन)*

33. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य का जैव-अवक्रमणीय पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) विधेयक, 2019

34. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 *(धारा 497 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)*

35. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का परीक्षा-पूर्व कोचिंग सेन्टर विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2019

36. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक, 2019

37. श्री अजय मिश्रा 'टेनी', संसद सदस्य का रेल पटरियों, रेल यार्डों के समीप और रेल भूमि पर रहने वाले बेघर व्यक्ति कल्याण विधेयक, 2019

38. श्री अजय मिश्रा 'टेनी', संसद सदस्य का राष्ट्रीय बाढ़ पीड़ित कल्याण बोर्ड विधेयक, 2019

39. श्री अजय मिश्रा 'टेनी', संसद सदस्य का राजकीय महिला महाविद्यालय की अनिवार्य स्थापना विधेयक, 2019

40. श्री अजय मिश्रा 'टेनी', संसद सदस्य का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय (राजभाषाओं का प्रयोग और अन्य उपबंध) विधेयक, 2019

41. श्री रमापति राम त्रिपाठी, संसद सदस्य का लघु और सीमान्त कृषक (कल्याण) विधेयक, 2019

42. श्री रमापति राम त्रिपाठी, संसद सदस्य का कृषकों और कृषि श्रमिकों को निर्वाह भत्ते का संदाय विधेयक, 2019

43. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (*अनुच्छेद 83 का संशोधन, आदि*)

44. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (*अनुच्छेद 48क के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन, आदि*)

अपराह्न 4.47 बजे

14. गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक—विचाराधीन

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019

श्री जनार्दन सिंह ''सीग्रीवाल'' द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अजय मिश्रा

2. श्री निशिकांत दुबे

3. श्री जगदम्बिका पाल (भाषण अधूरा रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 15 *जुलाई,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—1520LS(S3)—12.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 21

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301, 302, 303 (313 और 314 के साथ युग्मित), 304, 305 और 306 (307 और 312 के साथ युग्मित) के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 308—311 और 315—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3412—3641 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

[$]3. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 13 और 14 जुलाई, 2019 को संसद भवन परिसर में स्वच्छता अभियान का उल्लेख किया।

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल निशंक) ने वर्ष 2019-2020 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

[$]मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद **देखें**।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा) ने वर्ष 2019-2020 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ॰ हर्ष वर्धन) ने वर्ष 2019-2020 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री धर्मेन्द प्रधान) ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभारी) (श्री संतोष कुमार गंगवार) ने वर्ष 2019-2020 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2019-2020 के लिए पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2019-2020 के लिए संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुम्बई, मुम्बई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुम्बई, मुम्बई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज, तवांग के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज, तवांग के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (निजामुद्दीन बस्ती स्मारक समूह के लिए धरोहर उपविधियां) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(15) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) ने वर्ष 2019-2020 के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने वर्ष 2019-2020 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो) ने वर्ष 2019-2020 के लिए पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) झारखंड सेकंडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड सेकंडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केरल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2014-2015 से 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2014-2015 से 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) तमिलनाडु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चेन्नई के वर्ष 2014-15, 2015-2016 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चेन्नई के वर्ष 2014-2015, 2015-2016 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) वर्ष 2019-2020 के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 983(अ) जो 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक और कावेरी ग्रामीण बैंक का विलय कर्नाटक ग्रामीण बैंक में किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 984(अ) जो 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सर्व यूपी ग्रामीण बैंक और प्रथमा बैंक का विलय प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 985(अ) जो 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम ग्रामीण विकास बैंक और लंगपी देहांगी रूरल बैंक का विलय असम ग्रामीण विकास बैंक में किए जाने के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 986(अ) जो 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और देना गुजरात ग्रामीण बैंक का विलय बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक में किए जाने के बारे में है।

(3) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 6 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ एचओ/पीईआर/ 2018/3471 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 6 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ एचओ/ पीईआर/2018/3471 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 12 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 488 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 12 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 488 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) मिजोरम रूरल बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 4 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ पीएसएन- एमआरबी/2018-19/01 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) मिजोरम रूरल बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 4 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ जीजेडटी-एमआरबी/पीएसएन/2018-19/01 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) पल्लवन ग्रामा बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 21 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ पीजीबी/सर्विस (अमेंडमेंट) रेगुलेशन/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) पल्लवन ग्रामा बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 21 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ पीजीबी/ पेंशन/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 8 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/ एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2019/15 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/58 में प्रकाशित हुए थे।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इन्वेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (अकाउंटिंग, ऑडिट, ट्रांसफर एण्ड रिफंड) अमेंडमेंट रूल्स, 2019 जो 1 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 343(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इन्वेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (रिक्रूटमेंट, सैलरी एण्ड अदर टर्म्स एण्ड कंडीशन्स ऑफ सर्विस ऑफ जनरल मैनेजर एण्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर) अमेंडमेंट रूल्स, 2018 जो 5 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1175(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) इन्वेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (फॉर्म ऑफ एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स) रूल्स, 2018 जो 11 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1023(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) इन्वेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (फॉर्म एण्ड टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स) रूल्स, 2018 जो 11 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1024(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) इन्वेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (रिक्रूटमेंट, सैलरी एण्ड अदर टर्म्स एण्ड कंडीशन्स ऑफ सर्विस ऑफ डिप्टी जनरल मैनेजर, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एण्ड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए)) रिक्रूटमेंट रूल्स, 2018 जो 21 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 793(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपर्युक्त (5) की मद संख्या (दो) से (पांच) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1350(अ) जो 13 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पदार्थों, तत्संबंधी साल्ट और प्रेपरेशन को विनिर्मित ओषधि के रूप में घोषित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 1351(अ) जो 13 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 1352(अ) जो 13 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में और संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2019 जो 13 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 215(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 1236(अ) जो 27 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं॰ 82/2017-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) द कोरियर इंपोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स (इलेक्ट्रोनिक डिक्लियरेशन एण्ड प्रोसेसिंग) अमेंडमेंट रेगुलेशंस, 2019 जो 27 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 158(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) द कोरियर इंपोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स (क्लियरेंस) अमेंडमेंट रेगुलेशंस, 2019 जो 27 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 159(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) द सी कार्गो मैनिफेस्ट एण्ड ट्रांशिपमेंट (अमेंडमेंट) रेगुलेशंस, 2019 जो 27 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 165(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) द शिपिंग बिल एण्ड बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स (फॉर्म्स) अमेंडमेंट रेगुलेशंस, 2019 जो 25 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 239(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सा॰का॰नि॰ 277(अ) जो 1 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं॰ 12/97-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) द हैंडलिंग ऑफ कार्गो इन कस्टम्स एरियाज (अमेंडमेंट) रेगुलेशंस, 2019 जो 1 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 278(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) द शिपिंग बिल (इलेक्ट्रोनिक इंटीग्रेटेड डिक्लियरेशन एण्ड पेपरलेस प्रोसेसिंग) रेगुलेशंस, 2019 जो 25 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 326(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) द कस्टम्स (सप्लिमेंट्री नोटिस) रेगुलेशंस, 2019 जो 18 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 429 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) का॰आ॰ 1974(अ) जो 18 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें वर्णित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 74 (अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 के उपबंधों के प्रभावी होने की तिथि को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 366(अ) जो 16 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्यक्षेत्र (विधानमंडल रहित) में अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के गठन में संशोधन को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 367(अ) जो 16 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्यक्षेत्र (विधानमंडल रहित) में अग्रिम विनिर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण के गठन को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 463(अ) जो 29 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के प्रस्थान क्षेत्र अप्रवासन काउंटरों के अतिरिक्त, स्थापित किए गए खुदरा आउटलेटों को निर्दिष्ट करना है, जिससे किसी बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को, ऐसे व्यक्ति की श्रेणी के रूप में जो ऐसे माल की आवक आपूर्ति पर संदेय लागू केन्द्रीय कर की वापसी का दावा करने के लिए पात्र है, माल की करमुक्त आपूर्ति की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 460 (अ) जो 29 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई

थी तथा जिसका आशय किसी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के प्रस्थान क्षेत्र, अप्रवासन काउंटरों के अतिरिक्त, स्थापित किए गए खुदरा आउटलेटों को निर्दिष्ट करना है, जिससे किसी बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को, ऐसे व्यक्ति की श्रेणी के रूप में जो ऐसे माल की आवक आपूर्ति पर संदेय लागू केन्द्रीय कर की वापसी का दावा करने के लिए पात्र है, माल की करमुक्त आपूर्ति की जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 461 (अ) जो 29 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय किसी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के प्रस्थान क्षेत्र, अप्रवासन काउंटरों के अतिरिक्त, स्थापित किए गए खुदरा आउटलेटों को निर्दिष्ट करना है, जिससे किसी बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को, ऐसे व्यक्ति की श्रेणी के रूप में जो ऐसे माल की आवक आपूर्ति पर संदेय लागू एकीकृत कर की वापसी का दावा करने के लिए पात्र है, माल की करमुक्त आपूर्ति की जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) प्रतिकर उपकर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 464 (अ) जो 29 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय किसी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के प्रस्थान क्षेत्र, अप्रवासन काउंटरों के अतिरिक्त, स्थापित किए गए खुदरा आउटलेटों द्वारा किसी बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को पूरे माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर में से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 444(अ) जो 23 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 9 अक्तूबर, 2019 तक इस तिथि सहित चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'डक्टाइल आयरन पाइप्स' के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 449(अ) जो 24 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज द्वारा की

गई जांच की संस्तुतियों के आधार पर 5 वर्ष की अवधि के लिए (24.06.2019) से चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित बसों और लॉरी/ट्रकों में उपयोग होने वाले 16 इंच से अधिक नोमिनल रिम डाया कोड वाले ट्यूब्स और या/फ्लैप ऑफ रबर (ट्यूबलैस टायर्स) के साथ या बिना नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर्स के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिकारी शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 450(अ) जो 24 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विशेष सिविल आवेदन सं॰ 5278/2019 के मामले में दिनांक 20.06.2019 के माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पैरासीटामोल' के आयात पर, 09.07.2019 तक प्रतिपाटन शुल्क बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

अपराह्न 12.05 बजे

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की 258वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.08 बजे

6. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रो॰ सौगत राय, श्री अधीर रंजन चौधरी और श्रीमती महुआ मोइत्रा ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकारक प्रश्न पूछे।

सड़क परिवहन, और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 12.20 बजे

7. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019

*अपराह्न 12.23 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री दिलीप साईकिया ने असम में घुसपैठ के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) श्री एस॰ मुनिस्वामी ने कोलार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई परियोजना के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(3) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(4) श्री दुष्यंत सिंह ने झालावाड़ विमानपत्तन की स्वीकृति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(5) श्री विनोद चवाड़ा ने गुजरात के मोरबी जिले में एक पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(6) प्रो॰ (डॉ॰) रामशंकर कठेरिया ने गाड़ी संख्या 64589 और गाड़ी संख्या 64160 का विस्तार क्रमश: इटावा और फफूंद रेलवे स्टेशन तक किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(7) श्री नरेन्द्र कुमार ने राजस्थान के आबुसर, झुंझुनू जिले में एक कृषि महाविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(8) श्री सुदर्शन भगत ने झारखंड के लोहरदगा जिले में स्थित कोयला डम्पिंग यार्ड को बंद किए जाने अथवा वहां से स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

---

*अपराह्न 12.23 बजे से अपराह्न 12.27 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(9) डॉ॰ संजय जायसवाल ने बिहार में सरिसवा नदी को प्रदूषण मुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(10) डॉ॰ सुजय विखे पाटील ने महाराष्ट्र के अहमदनगर के जल संकट और सूखे की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(11) श्री विष्णु दयाल राम ने बरवाडीह (झारखंड) और चिरमिरी (छत्तीसगढ़) के बीच रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(12) श्री देवेन्द्र सिंह *उर्फ* भोले सिंह ने बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्य के प्रति कथित लापरवाही के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(13) प्रो॰ रीता बहुगुणा जोशी ने उत्तर प्रदेश की कोल जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(14) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश ने जल संचयन और सौर ऊर्जा प्रणाली को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(15) श्री देवुसिंह चौहान ने गुजरात के खेड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(16) श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने हुगली नदी को प्रदूषण मुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(17) श्री सुनिल बाबूराव मेंधे ने महाराष्ट्र के भंडारा में एक रेलवे स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(18) श्री के॰ सुधाकरन ने केरल के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लक्ष्य को संशोधित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(19) श्री (एडवोकेट) अदूर प्रकाश ने केरल की समुद्री तट रेखा के साथ-साथ समुद्री दीवार के निर्माण के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(20) श्री ए॰ राजा ने तमिलनाडु के कोरडाइट फैक्ट्री अरावनकाडू के उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाकर इसे बचाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(21) श्री मारगनी भरत ने राजामुन्द्री विमानपत्तन का अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में उन्नयन किए जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(22) श्रीमती अपरूपा पोद्दार ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(23) श्रीमती कृपाल बालाजी तुमाने ने देश में जैनरिक दवाओं को प्रोत्साहित किए जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(24) श्री महाबली सिंह ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(25) श्री भर्तृहरि महताब ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के नियमों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(26) श्री रितेश पाण्डेय ने अपनी भूमि से विस्थापित किए गए लोगों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(27) डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डी ने तेलंगाना में औद्योगिक गलियारे के अनुमोदन के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(28) श्रीमती वीणा देवी ने बिहार के वैशाली में एक विमानपत्तन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(29) श्री मोहम्मद फैजल पी॰पी॰ ने लक्षद्वीप विमानपत्तन पर रात में विमान उतारने की सुविधाओं के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.27 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019

लिया गया समय : 3 घंटे 58 मिनट

श्री जी॰ किशन रेड्डी द्वारा श्री अमित शाह की ओर से विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री एम॰ के॰ प्रेमचन्द्रन और प्रो॰ सौगत राय ने आपत्ति जताते हुए कहा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 220 के अनुसार वित्तीय कार्य पूरा होने से पहले सभा में किसी अन्य विधायी कार्य को न लिया जाए।

इस पर अध्यक्ष ने टिप्पणी@ की।

@मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मनीष तिवारी
2. श्री ए॰ राजा
3. डॉ॰ सत्यपाल सिंह
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री कानुमुरू रघु राम कृष्णराजू
6. श्री राहुल रमेश शेवाले
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. कुँवर दानिश अली
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. श्री केसिनेनी श्रीनिवास (नानी)
11. श्री एडवोकेट ए॰ के॰ आरिफ
12. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन
13. श्री कौशलेन्द्र कुमार
14. श्री रवनीत सिंह बिट्टू
15. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर
16. श्री विष्णु दयाल राम
17. श्री असादुद्दीन ओवैसी
18. श्री हनुमान बैनिवाल
19. श्री के॰ सुब्बारायण
20. श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री जी॰ किशन रेड्डी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री अमित शाह ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मतदान हुआ। पक्ष में 278, विपक्ष में 6 सदस्यों ने मतदान किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडवार विचार शुरू किया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 और 8 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जी॰ किशन रेड्डी द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 4.25 बजे

10. केन्द्रीय बजट—**2019-2020—अनुदान की मांग**

लिया गया समय : 6 घंटे 07 मिनट

वर्ष 2019-20 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग सं॰ 83 पर चर्चा प्रारंभ हुई।

अध्यक्ष ने कटौती प्रस्ताव पेश किए जाने के संबंध में# घोषणा की।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 21 कटौती प्रस्ताव (सं॰ 19 से 39) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री के॰ मुरलीधरन
2. श्री दुष्यंत सिंह
3. श्री सी॰एन॰ अन्नादुरई
4. प्रो॰ सोगत राय

#मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

*5. डॉ॰ संघमित्रा मौर्या
*6. श्रीमती रेखा वर्मा
*7. प्रो॰ गौतम सिगामनी पोन
*8. श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगरे
*9. श्री एस॰ ज्ञानतिरावियम
*10. श्री पी॰आर॰ नटराजन
*11. श्री के॰ सुदरम शनमुगा
*12. श्री के॰ सुब्बारायण
*13. श्रीमती गीताविश्वनाथ वांगा
*14. श्री मुकेश राजपूत
*15. श्रीमती सुप्रिया सुले
16. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे
17. श्री चंद्रेश्वर प्रसाद
*18. श्री नलिन कुमार कटील
*19. श्री राहुल रमेश शेवाले
20. श्री पिनाकी मिश्रा
*21. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
*22. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
23. श्री कुँवर दानिश अली
*24. श्री भर्तृहरि महताब
*25. श्री सुशील कुमार सिंह
*26. श्री सप्तगिरी उलाका
27. श्री जी॰ रणजीत रेड्डी
28. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
*29. श्री राहुल कास्वां
30. श्रीमती किरण खेर
*31. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*32. श्री एच॰ वसंतकुमार

33. श्री टी॰एन॰ प्रथापन

*34. श्री निशिकांत दुबे

*35. श्री राजू बिष्ट

*36. श्री विनोद कुमार सोनकर

*37. सुश्री शोभा कारांदलाजे

*38. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम

39. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

40. श्री पोथूगन्टी रमुलु

*41. श्री बी॰वाई॰ राघवेन्द्र

*42. श्री केसिनेनी श्रीनिवास (नानी)

43. श्री गणेश सिंह

*44. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

*45. श्रीमती रंजनबेन भटट

*46. श्री रवीन्द्र कुशवाहा

*47. श्री चंद्रप्रकाश जोशी

48. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

*49. श्री तीरथ सिंह रावत

*50. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा

51. श्री अजय मिश्रा

52. श्री राजन बाबूराव विचारे

53. श्री बी॰ वैथिलिंगम

54. श्रीमती रमा देवी

55. श्री सुनील कुमार पिंटू

56. श्रीमती रीती पाठक

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

57. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

58. श्री तोखेहो येपथोभी

*59. श्री नाराणभाई भीखाभाई काछड़िया

60. श्री नितेश गंगा देव

*61. श्री कराड़ी संगन्ना अमरप्पा

62. श्री गिरीश चन्द्र

*63. श्रीमती लॉकेट चटर्जी

64. श्रीमती संध्या राय

65. श्री इन्द्रा हांग सुब्बा

66. श्रीमती जसकौर मीणा

67. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार

*68. श्री फजलुर रहमान हाजी

69. श्री हनुमान बैनिवाल

70. श्रीमती क्वीन ओझा

*71. श्री पी॰पी॰ चौधरी

72. श्री विजय कुमार हांसदाक

73. डॉ॰ के॰सी॰ पटेल

74. श्री सुनील कुमार मण्डल

*75. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

*76. श्री कनकमल कतारा

77. डॉ॰ राजदीप राय

78. श्री प्रदयुत बोरदोलोई

*79. डॉ॰ भारती प्रवीण पवार

*80. श्री जुगल किशोर

81. डॉ॰ सुजय राधा कृष्णन विखे पाटील

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

82. श्री विनायक राऊत
83. श्री बैन्नी बेहनन
84. श्री गुमान सिंह दामोर
85. श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या)
*86. डॉ॰ किरीट पी॰ सोलंकी
*87. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा
88. एडवोकेट कुरियाकोसे डीन
89. श्री पशुपति नाथ सिंह
90. श्री रमेश बिधूड़ी
91. श्री राजीव प्रताप रूडी:
*92. प्रो॰ रीता बहुगुणा जोशी
93. डॉ॰ ए॰ चेल्लाकुमार
94. श्री जी॰एम॰ सिद्धेश्वर
95. श्री जगदम्बिका पाल
96. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
97. श्री देवजी पटेल
98. श्री ढाल सिंह बिसेन
99. श्रीमती रंजीता कोली
100. श्रीमती रंजनबेन भट्ट
101. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
102. श्री कोडिकुन्निल सुरेश
103. डॉ॰ संजय जायसवाल
104. श्री निशिकांत दुबे
105. डॉ॰ के॰ जयकुमार
*106. डॉ॰ उमेश जी॰ जाधव

चर्चा पूरी नहीं हुई।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

रात्रि 10.32 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 16 *जुलाई,* 2019 *को पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—1608LS(S3)—15.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 16 जुलाई, 2019/25 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 22

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न संख्या 331 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। यद्यपि संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा प्रश्न संख्या 331 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 322 (337 के साथ पठित), 323, 324 (334 के साथ पठित) के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 325—333, 335, 336 और 338—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3642—3871 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) ने वर्ष 2019-2020 के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल॰ मांडवीया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2019-2020 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) द ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (आई) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभ्रदा डैम के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2019-2020 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, मदुरई के वर्ष 2010-2011 से 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, मदुरई के वर्ष 2010-2011 से 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वार समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, सिंकदराबाद के वर्ष 2010-2011, 2013-2014 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, सिंकदराबाद के वर्ष 2010-2011, 2013-2014 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एण्ड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकेप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012, 2013-2014 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एण्ड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकेप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012, 2013-2014 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) सूर्य किरण पैरेन्ट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंटली हैण्डीकेप्ड चिल्ड्रन मचेरला, गुंटूर के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सूर्य किरण पैरेन्ट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंटली हैण्डीकेप्ड चिल्ड्रन मचेरला, गुंटूर के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नेशनल इंस्टीटयूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीटयूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) नेशनल इंस्टीटयूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलैक्चुअल डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन), सिकंदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीटयूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलैक्चुअल डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन), सिकंदराबाद के वर्ष 2017–2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) सोसाइटी ऑफ हैण्डीकैप्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम एण्ड एजुकेशन, कोलकाता के वर्ष 2012–2013 और 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी ऑफ हैण्डीकैप्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम एण्ड एजुकेशन, कोलकाता के वर्ष 2012–2013 और 2013–14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017–2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017–2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन), चेन्नई के वर्ष 2017–2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल

डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन), चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्सन्स विद फिज़िकल डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन), नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्सन्स विद फिज़िकल डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन), नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) आर्टिफीशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) वर्ष 2019-2020 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2135(अ) जो, 26 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं एवं सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत दिनांक 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति।

(3) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पशु चिकित्सा काडर समूह 'ख' और 'ग' (लड़ाकू) पद भर्ती नियम, 2019 जो 16 मार्च, 2019 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 75 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, हेड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2019 जो 2 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 280(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंस्पेक्टर (लाइब्रेरियन), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019, जो 13 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 112(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आर्मर काडर (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2019, जो 4 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 84(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आर्मर काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद), भर्ती नियम, 2019, जो 4 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 85(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पब्लिकेशन एण्ड प्रिंटिंग काडर, समूह 'ख' और 'ग' पद, भर्ती नियम, 2018, जो 16 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1119(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी और सहायक, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2018, जो 16 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1120(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, वाटर विंग (समूह 'क' और 'ख' तकनीकी पद), भर्ती नियम, 2019, जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 248(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास तथा उसके प्रगामी प्रयोग को संवर्धित करने के लिए कार्यक्रम और वर्ष 2017-2018 के लिए इसके क्रियान्वयन के बारे में 49वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रत्न लाल कटारिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने वर्ष 2019-2020 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.03 बजे

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ किशन रेड्डी) ने गृह मंत्रालय से संबंधित ''भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में सुरक्षा की स्थिति'' पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 213वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 219वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

5. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री संतोष कुमार गंगवार ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा (4) के खंड (झ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. भारतीय नर्सिंग परिषद के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री अश्विनी कुमार चौबे ने डॉ॰ हर्षवर्धन की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 की धारा (3) की उप-धारा (1) के खंड (ण) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्ययीन भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री कौशल किशोर द्वारा उत्तर प्रदेश में 'शिक्षा मित्रों' की सेवाओं को विनियमित किए जाने के बारे में।

(2) श्रीमती संध्या राय द्वारा मध्य प्रदेश के दतिया स्थित 'पीताम्बरा देवी' मंदिर में सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के बारे में।

(3) श्री प्रदीप कुमार चौधरी द्वारा दिल्ली-शामली-सहारनपुर रेलमार्ग पर लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में 'आशा' कार्यकर्ताओं की शिकायतों के बारे में।

(5) श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड में जंगली पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान से बचाने के लिए उपचारी उपायों के बारे में।

(6) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा महाराष्ट्र के भिवंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल अंडर ब्रिज संख्या 98/2 को चौड़ा किए जाने के बारे में।

(7) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई के झोपड़पट्टी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सुरेश पुजारी द्वारा ओडिशा के बारगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कैंसर के मामलों में असामान्य वृद्धि के बारे में।

(9) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश में मेरठ के खेल उद्योग के लिए कश्मीर की विलो लकड़ी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में खनन गतिविधियों के कारण हुई क्षति के बारे में।

(11) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा झारखंड के बोकारो इस्पात संयंत्र की खाली पड़ी भूमि पर अवस्थित गांव के बारे में।

(12) श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा मध्य प्रदेश के देवास संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान किए जाने के बारे में।

(13) श्री अजय मिश्र टेनी द्वारा देश के विकास परियोजनाओं के लिए समय पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री मनोज कोटक द्वारा देश में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के लिए नियम और विनियम बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री गुहाराम अजगल्ले द्वारा छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाएं बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित संरक्षित सोहगीबरवा वन्य जीव क्षेत्र को जंगल सफारी के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत द्वारा नन्दुरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आईएसबीआईजी योजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाएं/योजनाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री टी॰ एन॰ प्रथापन द्वारा अखबारी कागजों के सीमा शुल्क में वृद्धि के बारे में।

(19) श्री एच॰ वसंत कुमार द्वारा तमिलनाडु को नय्यर नदी से जलापूर्ति के बारे में।

(20) श्री हिबी इडन द्वारा कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलोजी के उन्नयन के बारे में।

(21) श्री ए॰ गणेशमूर्ति द्वारा सभी किसानों को फसल बीमा योजना के दावे का भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर द्वारा आन्ध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के बारे में।

(23) प्रो॰ सौगत राय द्वारा देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के बारे में।

(24) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एलईडी प्रकाश में मत्स्यन रोकने हेतु कदम उठाए जाने के बारे में।

(25) श्री गिरिधारी यादव द्वारा बिहार के बांका जिले में ब्लड बैंक की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा ओडिशा में सिंचाई परियोजनाओं में जमा हो रही गाद को हटाए जाने के बारे में।

(27) श्री जयदेव गल्ला द्वारा देश में पट्टाधारी किसानों की दुर्दशा के बारे में।

(28) श्री के॰ सुब्बारायण द्वारा तमिलनाडु के तिरुप्पुर में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के बारे में।

(29) श्री पी॰ रविन्द्र नाथ कुमार द्वारा तमिलनाडु के थेनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के बारे में।

(30) श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा एचपीसीएल की सम्पत्ति का उपयोग किए जाने के बारे में।

अपराह्न 12.06 बजे

8. केंद्रीय बजट—2019-2020—अनुदान की मांगें

लिया गया समय: 7 घंटे 44 मिनट

वर्ष 2019-20 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग सं॰ 83 पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री शिवकुमार उदासी
2. श्रीमती गीताबेन वाजेसिंहभाई राठवा
3. श्री रतनसिंह मानसिंह राठौड़
4. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे
5. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत
6. डॉ॰ सुभाष रामराव भामरे
7. श्री संजय सेठ
8. श्रीमती शारदा अनिलभाई पटेल
9. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल'
10. श्री विष्णु दयाल राम
11. डॉ॰ भारतीबेन धीरूभाई शियाल
12. श्री सुनील कुमार सिंह
13. श्री अजय भट्ट
14. श्री सुनील बाबूराम मेंधे
15. श्री अजय टमटा
16. श्री मितेश रमेशभाई पटेल
17. श्री राकेश सिंह

श्री नितिन जयराम गडकरी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए सभी कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

अनुदान की मांग सं॰ 83 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों), जिसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वर्ष 2019-2020 के लिए बजट (सामान्य) की अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए उत्तरदायी है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.43 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.45 *बजे पुनः समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.45 बजे

9. केंद्रीय बजट—2019-2020—अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 9 घंटे 13 मिनट

वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग सं॰ 84 और 85 तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग सं॰ 1 और 2 पर चर्चा शुरू हुई।

अध्यक्ष ने कटौती प्रस्ताव पेश किए जाने के संबंध में #घोषणा की।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन 21 कटौती प्रस्ताव (सं॰ 3 से 19 तथा 26 से 29) पेश किए।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन 28 कटौती प्रस्ताव (सं॰ 10 से 27 तथा 33 से 42) पेश किए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री उत्तम कुमार रेड्डी नलमादा
2. श्री रमापति राम त्रिपाठी
3. श्री एस॰एस॰ पलानीमणिक्कम
4. श्रीमती प्रतिमा मंडल
5. श्री पोचा॰ ब्रह्मानंद रेड्डी

*6. श्री देवेन्द्र सिंह "भोले"

*7. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

*8. श्री नरेन्द्र कुमार

#मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, उस दिन का वाद-विवाद **देखें**।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*9. श्री भगीरथ चौधरी

*10. श्रीमती रंजनबेन भट्ट

*11. श्री के॰ सुब्बारायण

*12. श्री एस॰ ज्ञानतिरावियम

13. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव

14. श्री कौशलेन्द्र कुमार

*15. श्रीमती पूनमबेन हेमंतभाई माडम

16. डॉ॰ राम शंकर कठेरिया

*17. श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगरे

*18. श्री विवेक नारायण शेजवलकर

*19. श्री अनुराग शर्मा

20. श्री रितेश पाण्डेय

*21. श्री जगदंबिका पाल

*22. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी

*23. श्री बी॰वाई॰ राघवेन्द्र

*24. श्रीमती रेखा वर्मा

*25. श्री तालारी रंगैय्या

*26. श्री सप्तगिरी उलाका

27. डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हे

*28. श्री मितेश रमेशभाई पटेल

*29. श्री राजू बिष्ट

*30. डॉ॰ अमर सिंह

31. श्री उदय प्रताप सिंह

*32. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

33. श्री हसनैन मसूदी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*34. श्री अशाक महादेवराव नेते

35. डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा

*36. श्रीमती शोभा कारान्दलाजे

37. श्री जैदेव गल्ला

38. श्री चंद्र प्रकाश जोशी

*39. श्री राकेश सिंह

*40. श्री भर्तृहरि महताब

*41. श्री गणेश सिंह

*42. श्री तीरथ सिंह रावत

43. श्री रमेश चंद्र मांझी

44. श्री संजयकाका पाटील

45. डॉ॰ टी॰आर॰ पारिवेन्धर

46. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

*47. श्री अजय मिश्रा टेनी

*48. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

*49. श्री जसवंत सिंह भामरे

50. एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफ

51. डॉ॰ संघमित्रा मौर्या

*52. श्री पी॰पी॰ चौधरी

*53. डॉ॰ डी॰ रविकुमार

54. श्रीमती एस॰ जोतिमणि

55. श्रीमती कविता सिंह

*56. श्रीमती सुप्रिया सुले

57. श्री सुनील कुमार मंडल

*58. श्री संतोख सिंह चौधरी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

59. श्री देवजी एम॰ पटेल

60. श्री जी॰एम॰ सिद्धेश्वर

61. श्री इम्तियाज जलील सैयद

*62. डॉ॰ सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील

63. श्री हनुमान बैनिवाल

*64. श्री निशिकांत दुबे

*65. श्री खगेन मुर्मु

66. श्री एन॰के॰ प्रेमचंद्रन

*67. श्री नारनभाई भीखाभाई काछड़िया

*68. श्रीमती रीती पाठक

69. श्री कास्मे फ्रांसिस्को कोईटानो सर्दिन्हा

70. श्रीमती नवनीत रवि राणा

*71. श्री मुकेश राजपूत

*72. श्री दुष्यंत सिंह

73. श्रीमती चिंता अनुराधा

*74. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया

*75. श्री बैन्नी बेहनन

*76. श्री जुगल किशोर

*77. श्री वी॰ वैथिलिंगम

*78. श्रीमती गीताविश्वनाथ वांगा

79. श्री नलीन कुमार कटील

80. श्री सुनील कुमार सोनी

*81. श्री बिद्युत बरण महतो

*82. श्रीमती रमा देवी

83. श्री पी॰ रवीन्द्रनाथ कुमार

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

84. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी
*85. श्री एंटो एंटोनी
86. श्री बदरुद्दीन अजमल
87. श्री जनार्दन मिश्र
88. सुश्री अगाथा के॰ संगमा
89. श्री राहुल कास्वां
90. श्री जसबीर सिंह गिल
91. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
92. श्री थोल तिरूमालवन
93. श्री देवु सिंह चौहान
*94. श्री रतन मगन सिंह राठौर
*95. श्री फजलुर रहमान हाजी
96. श्री आर॰के॰ सिंह पटेल
*97. श्री टी॰एन॰ प्रथापन
98. श्री कुरूवा गोरांतला माधव
99. श्री पल्लव लोचन दास
*100. श्री राज कुमार चहर
101. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
*102. डॉ॰ किरीट पी॰ सोलंकी
*103. श्रीमती रंजीता कोली
104. डॉ॰ भारती प्रवीण पवार
105. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
106. श्री भोला सिंह
107. श्री रघु राम कृष्ण राजू कानुमुरू
108. श्री संतोष पांडेय

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

109. श्री वी॰के॰ श्रीकंदन
110. श्री सुरेश कुमार कश्यप
*111. डॉ॰ ए॰ चेल्ला कुमार
112. श्री प्रभातभाई सवाभाई पटेल
113. श्री संगीता आजाद
114. श्री राजवीर सिंह (राजू भैया)
115. श्री रोडमल नागर
116. श्री गुरजीत सिंह औजला
117. डॉ॰ सुकांत मजूमदार
118. श्री धर्मवीर सिंह
119. श्री बसंत कुमार पांडा
120. श्री गुहाराम अजगल्ले
121. श्री राजीव प्रताप रूडी
122. प्रो॰ रीता बहुगुणा जोशी
123. श्री एच॰ वसंतकुमार
124. श्री राम कृपाल यादव
125. श्री अजय भट्ट
126. श्री सुशील कुमार सिंह
127. श्री रवनीत सिंह बिट्टू
*128. श्री एस॰ मुनिस्वामी
129. श्री उमेश भैया साहेब पाटील
*130. डॉ॰ उमेश जी॰ जाधव
*131. श्री राम शिरोमणि

चर्चा पूरी नहीं हुई।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#10. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

रात्रि 11.58 बजे

(लोक सभा बुधवार, 17 *जुलाई,* 2019 *को पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

#सायं 7.37 बजे।

MGIPMRND—1720LS(S3)—16.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 23

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341 (356 के साथ पठित), 342—346, 347 (353 के साथ पठित), 348 के मौखिक उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 349—352, 354-355 और 357—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3872—4101 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने रक्षा मंत्री (श्री रामनाथ सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2019-2020 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2019-2020 के लिए रक्षा सेवा आकलन।

(2) (एक) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंट्री स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंट्री स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आईटीआई लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2019-2020 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नोटरी (संशोधन) नियम, 2019 जो 11 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 26(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 30 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 77(अ) में प्रकाशित हुए थे।

विदेश मंत्री (डॉ॰ सुब्रह्मण्यम जयशंकर) ने वर्ष 2019–2020 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ॰ हर्ष वर्धन) ने वर्ष 2019–2020 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में मैरीन लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन्स के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक–संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2019 का संख्यांक 7)–निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान (श्री प्रह्लाद जोशी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, खान मंत्रालय के रिफाइनरी और स्मेलटर प्लांट्स के कार्यात्मक प्रदर्शन और उत्पादकता के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक–संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2019 का संख्यांक 6)–निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(2) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2019–2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2019–2020 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2019–2020 के लिए कोयला मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2019–2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ॰ जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2019-2020 के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2019-2020 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) (एक) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड) तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नॉर्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(2) (एक) नोएडा स्पेशल इकोनोमिक जोन अथॉरिटी, जी॰बी॰ नगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नोएडा स्पेशल इकोनोमिक जोन अथॉरिटी, जी॰बी॰ नगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) फाल्टा स्पेशल इकोनोमिक जोन अथॉरिटी, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फाल्टा स्पेशल इकोनोमिक जोन अथॉरिटी, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) विशाखापटनम स्पेशल इकोनोमिक जोन अथॉरिटी, विशाखापटनम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापटनम स्पेशल इकोनोमिक जोन अथॉरिटी, विशाखापटनम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) कोचीन स्पेशल इकोनोमिक जोन अथॉरिटी, कोचीन के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोचीन स्पेशल इकोनोमिक जोन अथॉरिटी, कोचीन के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) एसईईपीजेड एसईजेड अथॉरिटी, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एसईईपीजेड एसईजेड अथॉरिटी, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2019 जो 6 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 95(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विशेष आर्थिक जोन (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 200(अ) में प्रकाशित हुए थे।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) ने वर्ष 2019-2010 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2019-2020 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2019-2020 के लिए डाक विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वर्ष 2019-2020 के लिए इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) टेलिकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अंगड़ी सुरेश चन्नबसप्पा) ने रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत कोलकाता मेट्रो रेलवे जनरल रूल्स, 2019 जो 1 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 465(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ मुरलीधरन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) वर्ष 2011-2012 से 2017-2018 के लिए इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज इंडियन्स, नई दिल्ली के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एण्ड इम्प्लीमेन्टेशन ट्रस्ट (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन ट्रस्ट फंड), नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एण्ड इम्प्लीमेन्टेशन ट्रस्ट (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन ट्रस्ट फंड), नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित छह संदेशों की सूचना दी:—

(एक) राज्य सभा से सात सदस्यों को लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के बारे में।

(दो) राज्य सभा से दस सदस्यों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के बारे में।

(तीन) राज्य सभा से सात सदस्यों को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के बारे में।

(चार) राज्य सभा से दस सदस्यों को अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के बारे में।

(पांच) कि राज्य सभा ने 16 जुलाई, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया।

(छह) कि राज्य सभा 16 जुलाई, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथा पारित केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय, खरीद नीति और रक्षा आयोजना (मांग सं॰ 21) के संबंध में अनुदानों की मांगों (2017-18) पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ॰ जितेन्द्र सिंह) ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 210वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 218वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय उद्योग पर चीनी सामानों का प्रभाव' पर वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 145वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

7. नारियल विकास बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि नारियल विकास बोर्ड नियमावली, 1981 के नियम 4 के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 4 के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 16 जुलाई, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.13 बजे

9. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री अधीन रंजन चौधरी ने भारत-चीन सीमा पर तनाव के बारे में निवेदन किया।

$श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.21 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री रमेशभाई एल० धडुक द्वारा पोरबंदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय वाहनों का टोल मुक्त आवागमन के बारे में।

#अपराह्न 12.10 बजे से अपराह्न 12.20 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

$रक्षा मंत्री।

(2) सुश्री प्रतिभा भौमिक द्वारा रबड़ के न्यूतनम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिले के औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय लागों को रोजगार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री छतरसिंह दरबार द्वारा मक्सी–गोधरा तथा छोटा उदयपुर–धार रेल लाइन परियोजना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री रमेश चन्द्र कौशिक द्वारा स्ट्रीट वेंडरों के बारे में।

(6) श्री राहुल कस्वां द्वारा इन्दिरा गांधी नहर में प्रदूषित जल छोड़े जाने पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री कुनार हेम्ब्रम द्वारा पश्चिम बंगाल के झारग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संथाली माध्यम वाले एकलव्य विद्यालय तथा जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री आर॰के॰ सिंह पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा–माणिकपुर रेल मार्ग पर ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रामचरण बोहरा द्वारा राजस्थान के जयपुर में पानी की समस्या के बारे में।

(10) श्री कनकमल कटारा द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा दिल्ली की सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे मस्जिदों एवं कब्रगाहों के बारे में।

(12) डॉ॰ जयंत कुमार राय द्वारा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में कूड़ा डालने के मैदान के बारे में।

(13) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा राजस्थान के सीकर जिले से होते हुए लम्बी दूरी की रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण के बारे में।

(15) श्री एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा देश में 60 वर्ष से अधिक पुराने बांधों को बंद किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा केरल की सबरी रेल लाइन परियोजना के बारे में।

(17) श्री बैन्नी बेहनन द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण एवं भ्रामक विज्ञापनों में वृद्धि के बारे में।

(18) श्री के॰ शनमुगा सुंदरम द्वारा करुर से कोयम्बटूर तक की सड़क को छह लेन वाली बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री टी॰आर॰वी॰एस॰ रमेश द्वारा तमिलनाडु के कुड्डालुर में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के बारे में।

(20) श्री सुदीप बन्दोपाध्याय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश किए जाने के बारे में।

(21) श्री संतोष कुमार द्वारा बिहार के पूर्णिया को बेहतर रेल सम्पर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री हाजी फजलुर रहमान द्वारा उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के काष्ठ कला उद्योग के लिए मेगा क्लस्टर स्थापित किए जाने के बारे में।

(23) श्री रमुलु पोथूगन्टी द्वारा तेलंगाना के नगरकुरनूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने के बारे में।

(24) श्री के॰ नवासखनी द्वारा तमिलनाडु के रामनाथपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जाने के बारे में।

(25) श्री हनुमान बैनिवाल द्वारा राजस्थान के किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.22 बजे

11. **केन्द्रीय बजट—2019-2020—अनुदानों की मांगें**

लिया गया समय : 10 घंटे 36 मिनट

वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग सं॰ 84 और 85 तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग सं॰ 1 और 2 पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों के लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए:—

1. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
2. श्री पी॰ रवीन्द्रनाथ कुमार

3. डॉ॰ भारतीबेन धीरूभाई शियाल

4. श्री बालूभाई *उर्फ* सुरेश नारायण धानोरकर

5. डॉ॰ सुभाष रामराव भामरे

6. श्री जनार्दन सिंह ''सीग्रीवाल''

7. श्री जी॰ एम॰ सिद्देश्वर

8. श्री सुनील कुमार सिंह

9. श्री शिव कुमार उदासी

10. श्री विष्णु दयाल राम

11. श्रीमती शारदाबेन अनिलभाई पटेल

12. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे

13. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल

14. श्रीमती वीणा देवी

15. श्रीमती गीताबेन वाजेसिंहभाई राठवा

16. डॉ॰ हिना विजय कुमार गावीत

17. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा

18. श्री अजय टम्टा

19. श्री राहुल रमेश शेवाले

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

माँग संख्या 84 और 85 के संबंध में पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 3 से 19, सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

माँग संख्या 1 और 2 के संबंध में कटौती प्रस्ताव सं॰ 10 से 27 तथा 33 से 42 पेश किए गए ता इन पर सभा में मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

अनुदानों की मांग सं॰ 84 और 85 तथा अनुदानों की मांग सं॰ 1 और 2 पर पेश किए गए शेष सभी कटौती प्रस्ताव पेश किए गए तथा इन पर सभा में मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

अनुदानों की मांग सं॰ 84 और 85 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों), जिसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्ष 2019-2020 के लिए बजट (सामान्य) की अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए उत्तरदायी है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अनुदानों की मांग सं॰ 1 और 2 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों), जिसके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष 2019-2020 के लिए बजट (सामान्य) की अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए उत्तरदायी है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अपराह्न 1.46 बजे

12. केंद्रीय बजट—2019-2020—अनुदानों की मांगें

लिया गया समय : 4 घंटे 14 मिनट

वर्ष 2019-20 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग सं॰ 100 पर चर्चा आरंभ हुई।

अध्यक्ष ने पेश किए गए कटौती प्रस्तावों के संबंध में# घोषणा की।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन 41 कटौती प्रस्ताव (सं॰ 6 से 36 तथा 41 से 50) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री बी॰ मनिक्कम टैगोर
2. श्री बृजभूषण शरण सिंह
3. डॉ॰ कलानिधि वीरासामी
4. श्री प्रसून बनर्जी
5. श्रीमती माधवी गोदेट्टी
6. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
7. श्री विजय कुमार
8. श्री अच्युतानंद सामंत
9. श्री कुँवर दानिश अली
10. कर्नल राज्यवर्धन राठौर

#मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद **देखें**।

11. मोहम्मद पी॰पी॰ फैजल

*12. श्री टी॰एन॰ प्रथापन

*13. श्री सुनील कुमार सिंह

*14. श्री बी॰वाई॰ राघवेन्द्र

*15. श्री के॰ श्यामसुंदरम

*16. श्री एस॰आर॰ पार्थिबन

*17. श्री के॰ सुब्बारायण

*18. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

*19. श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगरे

*20. श्रीमती रंजनाबेन भट्ट

21. श्री मनोज तिवारी

*22. श्री सप्तगिरी उलाका

*23. श्रीमती सुप्रिया सुले

*24. श्रीमती पूनम महाजन

25. श्री हिबी इडन

26. श्री सुमेधानंद सरस्वती

*27. श्री नलीन कुमार कटील

*28. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत

*29. श्रीमती रेखा वर्मा

30. श्री दीपक अधिकारी (देव)

*31. श्रीमती निखिल रक्षा खाडसे

32 एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफ

33. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*34. श्री राजू बिष्ट

35. श्री पी॰के॰ कुन्हालिकुट्टी

36. श्री इम्तियाज जलील सैयद

*37. डॉ॰ संघमित्रा मौर्या

*38. श्री विनोद कुमार सोनकर

*39. श्री गणेश सिंह

*40. श्री रविन्दर कुशवाहा

*41. श्री अजय मिश्रा

42. श्री सौमित्र खान

43. श्री हनुमान बैनिवाल

44. श्री रवि किशन

*45. श्री भर्तृहरि महताब

46. श्री वेंकटेश नेथा बोरलाकुंता

*47. श्री निहाल चंद

*48. श्री राजकुमार चाहर

*49. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

*50. श्रीमती लाकेट चटर्जी

*51. श्री जसवंत सिंह श्रंगरे

*52. श्री पी॰पी॰ चौधरी

*53. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल'

*54. श्री खलीलुर रहमान

55. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू

*56. श्री संजय सेठ

*57. डॉ॰ एम॰के॰ विष्णु प्रसाद

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

58. श्री दिलीप एस॰

*59. श्री देवजी पटेल

*60. श्री राहुल रमेश शेवाले

61. श्रीमती नवनीत रवि राणा

*62. श्री एच॰ वसंतकुमार

63. सुश्री अगाथा के॰ संगमा

*64. श्री राहुल कस्वां

*65. श्री नारणभाई भीखाभाई काछड़िया

*66. श्री रामदास चंद्रभानजी तडस

*67. श्री गौतम गंभीर

*68. डॉ॰ राजदीप राय

*69. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार

*70. श्री विष्णु दत्त शर्मा

*71. सुश्री एस॰ जोतिमणि

*72. श्रीमती हेमा मालिनी

*73. एडवोकेट दीन कुरियाकरी

*74. श्रीमती रंजीता कोली

*75. श्री नरेन्द्र कुमार

*76. श्री जे॰ नामग्याल

*77. श्री चंद्र प्रकाश जोशी

*78. डॉ॰ एस॰ टी॰ हासन

*79. सुश्री राम्या हरिदास

*80. डॉ॰ सत्यपाल सिंह

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*81. डॉ॰ उमेश जी॰ जाधव

*82. डॉ॰ सुभाष रामराव भामरे

*83. डॉ॰ भारती प्रवीण पवार

*84. श्री खगेन मुर्मु

*85. श्री दुष्यंत सिंह

*86. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा

*87. श्री तीरथ सिंह रावत

*88. श्री जगदम्बिका पाल

*89. श्री बिद्युत बरण महतो

*90. श्री थोल तिरुमावलवन

*91. श्री विष्णु दयाल राम

*92. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी

*93. श्री अजय भट्ट

*94. श्री असित कुमार मल

*95. श्री अजय टम्टा

*96. श्रीमती पूनमबेन हेमंतभाई माडम

*97. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर

श्री किरेन रिजीजू ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

अनुदान की मांग सं॰ 100 पर पेश किए गए सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अनुदान की मांग सं॰ 100 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों), जिसके लिए युवा कार्यक्रम मंत्रालय वर्ष 2019-2020 के लिए बजट (सामान्य) की अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए उत्तरदायी है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

सायं 6.00 बजे

13. केन्द्रीय बजट—2019-2020—अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष ने घोषणा की कि वर्ष 2019-2020 के लिए अनुदानों की मांगों पर सभी कटौती प्रस्ताव, जो परिचालित किए गए थे, पेश किए गए माने गए।

सभी कटौती प्रस्ताव पेश किए गए माने गए और अस्वीकृत हुए।

वर्ष 2019-2020 के बजट (सामान्य)—अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तम्भ 4 में दर्शायी गई राशि के लिए निम्नलिखित बकाया अनुदानों की मांगें (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गईं और पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं:—

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग सं॰ 3

(2) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 4

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 5 से 7

(4) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 8

(5) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 9

(6) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 10 और 11

(7) संचार मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 12 और 13

(8) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 14 और 15

(9) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 16

(10) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 17

(11) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 18 से 21

(12) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 22

(13) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 23

(14) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 24

(15) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 25

(16) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 26

(17) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 27 से 34, 37 और 38

(18) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 39 और 40

(19) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 41

(20) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 42 और 43

(21) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 44 और 45

(22) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 46 से 55

(23) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 56

(24) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 57 और 58

(25) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 59

(26) जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 60 और 61

(27) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 62

(28) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 63 और 64

(29) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 66

(30) खान मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 67

(31) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 68

(32) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 69

(33) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 70

(34) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 71

(35) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 72

(36) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 74

(37) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 75

(38) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 76

(39) लोक सभा से संबंधित मांग सं॰ 78

(40) राज्य सभा से संबंधित मांग सं॰ 79

(41) उपराष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग सं॰ 80

(42) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 86 से 88

(43) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 89

(44) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 90

(45) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 91 और 92

(46) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग सं॰ 93

(47) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 94

(48) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 95

(49) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 96

(50) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 97

(51) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 98

(52) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग सं॰ 99

सायं 6.10 बजे

14. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019

15. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.11 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 18 *जुलाई,* 2019 *को पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—1767LS(S3)—17.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 18 जुलाई, 2019/27 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 24

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 361, 362 (380 के साथ पठित), 363, 364 (367, 369, 374 और 379 के साथ पठित), 365 और 366 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 368, 370—373 और 375—378 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4102—4331 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ऊर्जा संरक्षण (निरीक्षण) संशोधन नियम, 2019 जो 7 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 13 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (पर्टिकुलर्स एण्ड मैनर ऑफ दियर डिस्पले ऑन लेबल्स ऑफ सेल्फ बैलेस्टेड एलईडी लैम्स), अमेंडमेंट रेगुलेशंस, 2018 जो 7 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएण्डएल/एलईडी/52/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार सामान्य पूल आवासीय व्यवस्था (संशोधन) नियम, 2019 जो 8 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 99 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मनसुख एल॰ मांडविया ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कामराजर पोर्ट लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत वी॰ओ॰ चिदम्बरानार पोर्ट ट्रस्ट (लाइसेंसिंग ऑफ स्टीविडोरिंग एण्ड शोर हैण्डलिंग एजेन्ट्स) रेगुलेशन्स, 2018 जो 28 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1240 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप चन्द्र सारंगी ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ऑम्निबस इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमण एण्ड दीव एण्ड दादरा एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमण के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑम्निबस इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमण एण्ड दीव एण्ड दादरा एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमण का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.04 बजे

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विदेश मंत्री (डॉ॰ सुब्रह्मण्यम जयशंकर) ने कुलभूषण जाधव मामले पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.10 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा देश में कृषि महाविद्यालयों की निगरानी के बारे में।

(2) श्री सत्यदेव पचौरी द्वारा उत्तर प्रदेश में पनकी को अनवरगंज-मन्धना रेल लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा दांडी विरासत मार्ग को पूरा किया जाने के बारे में।

(4) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के निर्माण कार्य को पूरा किए जाने के बारे में।

(5) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के सीतामढ़ी जिले में नंदवारा और बैरगनिया के बीच सड़क और पुल का निर्माण कराए जाने के बारे में।

(6) श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा स्थानीय लोगों को डाकिया नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ट्रक चालकों के कथित उत्पीड़न के बारे में।

(8) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा झारखंड के 'माल क्षत्रिय' तथा 'दण्डा छत्री' जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री सी॰पी॰ जोशी द्वारा राजस्थान के चितौड़गढ़ में अफीम के किसानों के लाइसेंस के बारे में।

(10) डॉ॰ सुकान्त मजूमदार द्वारा पश्चिम बंगाल के बालूरघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दो प्रखंडों में पेयजल की सुविधा बहाल किए जाने के बारे में।

(11) श्री पी॰पी॰ चौधरी द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ निशिकांत दुबे द्वारा गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की लम्बित सिंचाई परियोजनाओं के बारे में।

(13) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री निहाल चन्द द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित किए जाने के बारे में।

(15) श्री दीपक बैज द्वारा पोलावरम बांध के निर्माण पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) कुमारी राम्या हरिदास द्वारा मन्नुती–वडाकुमचेरी छह लेन सड़क परियोजना के निर्माण के बारे में।

(17) डॉ॰ एम॰ के॰ विष्णु प्रसाद द्वारा तमिलनाडु में प्रसाद योजना के अंतर्गत गिंगी किले का विकास किए जाने के बारे में।

(18) श्री डी॰ रविकुमार द्वारा स्वर्ण आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) डॉ॰ बीसेट्टी वेंकट सत्यावती द्वारा आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोण्डाकरला झील का विकास किए जाने के बारे में।

(20) श्री प्रसून बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल की हुगली नदी का निकर्षण (ड्रिजिंग) किए जाने के बारे में।

(21) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पश्चिम बंगाल में जयनगर से मोईपीठ तक नई रेल लाइन के बारे में।

(22) श्री राहुल रमेश शेवले द्वारा मुंबई में रियल स्टेट के विकास के वित्त पोषण के बारे में।

(23) श्री सुनील कुमार पिंटू द्वारा सीतामढ़ी–मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–77 की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री पी॰आर॰ नटराजन द्वारा चेन्नै पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में स्थानीय अभ्यर्थियों और क्रीमीलेयर के मुद्दे के बारे में।

(25) श्री नाबा कुमार सरनीया द्वारा बोडोलैंड आंदोलन से संबंधित मामलों में प्रगति के बारे में।

अपराह्न 12.11 बजे

6. सरकारी विधेयक—पारित

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019

लिया गया समय: 4 घंटे 49 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 219 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने उत्तर दिया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष* ने श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकृत किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी

(लोक सभा अपराह्न 1.10 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.11 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.11 बजे

2. श्री निशिकांत दुबे
3. श्रीमती टी॰ सुमाथी (ए) तामिझाची थंगापंडियन
4. श्री पी॰वी॰ मिधुन रेड्डी
5. प्रो॰ सौगत राय
6. श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह
7. श्री राहुल रमेश शेवले
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री रितेश पांडेय
10. डॉ॰ संजय जायसवाल
11. डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डी
12. श्रीमती सुप्रिया सुले
13. श्री केसिनेनी श्रीनिवास
14. श्री सुभाष बहेड़िया
15. डॉ॰ एस॰टी॰ हसन
16. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
17. श्री रविन्द्रनाथ कुमार पी॰

---

*मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद **देखें**।

18. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

19. श्री वी॰ वैथिलिंगम

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार शुरू किया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 4 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 7 से 16 स्वीकृत हुआ।

खंड 17 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 18 से 20 स्वीकृत हुआ।

खंड 21 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 22 से 36 स्वीकृत हुआ।

खंड 37 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 38 से 44 स्वीकृत हुआ।

खंड 45 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 46 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 47 से 48 स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

> ''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (सं॰ 2) विधेयक, 2019 की सरकारी संशोधन संख्या 21 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 48क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 48क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 48 से 174 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (सं॰ 2) विधेयक, 2019 की सरकारी संशोधन संख्या 22 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 174क, 174ख और 174ग के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

खंड 175 से 184 स्वीकृत हुए।

खंड 185 और 186 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (सं॰ 2) विधेयक, 2019 की सरकारी संशोधन संख्या 23 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 186क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 186क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 187 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के

खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (सं॰ 2) विधेयक, 2019 की सरकारी संशोधन संख्या 25 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 187क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 187क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 188 स्वीकृत हुआ।

खंड 189 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 190 स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (सं॰ 2) विधेयक, 2019 की सरकारी संशोधन संख्या 28 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 190क, 190ख, 190ग और 190घ के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नए खंड 190क, 190ख, 190ग और 190घ भी स्वीकृत हुए।

खंड 191 से 193 स्वीकृत हुए।

खंड 194 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 195 से 200 स्वीकृत हुए।

खंड 201 और 202 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची स्वीकृत हुई।

दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

तीसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

चौथी अनुसूची स्वीकृत हुई।

पांचवी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव किया कि पेश किया गया विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

*रात्रि 10.50 बजे

(*लोक सभा शुक्रवार,* 19 *जुलाई,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

बुधवार, 17 जुलाई, 2019 के समाचार भाग-1

संख्या 23 का

शुद्धिपत्र

पृष्ठ 9, पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए:—

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वर्ष 2019-2020 के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल॰ मांडविया) ने वर्ष 2019-2020 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

---

*सायं 6,00 बजे से रात्रि 10.50 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—1814LS(S3)—18.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 19 जुलाई, 2019/28 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 25

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 381, 382 (388 और 393 के साथ), 383—385 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 386, 387, 389—392 और 394—400 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4332—4561 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर तथा इसकी आनुषंगिकियों के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर तथा इसकी आनुषंगिकियों का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) एनटीसी लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ॰ हर्ष वर्धन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स) एम॰डी॰ (होम्यो॰) संशोधन विनियम, 2019, जो 20 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-11/2010- सीसीएच(भाग-II)(1) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) होम्योपैथी (डिग्री कोर्स) संशोधन विनियम, 2019, जो 19 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-13/2006-सीसीएच (भाग-VI) में प्रकाशित हुए थे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने वर्ष 2019-2020 के लिए वित्त मंत्रालय के परिणामी बजट (खंड I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 17 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

अपराह्न 12.03 बजे

5. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 17वीं लोक सभा के पहले सत्र के शेष भाग के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.15 बजे

6. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) *उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण)* विधेयक, 2019

(दो) *अधिनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक,* 2019

अपराह्न 12.18 बजे

7. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 7) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.18 बजे

8. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री जितेन्द्र सिंह ने सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 पुर:स्थापित करने की अनुमति मांगी।

श्री अधीर रंजन चौधरी, प्रो॰ सौगत राय, डॉ॰ शशि थरूर और श्री असादुद्दीन ओवैसी ने विधेयक पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में

राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों का उत्तर दिया।

प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ : हां 224; नहीं 9। तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 12.59 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

लिया गया समय : 2 घंटे 32 मिनट

श्री नित्यानन्द राय द्वारा श्री अमित शाह की ओर से विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ शशि थरूर
2. डॉ॰ सत्यपाल सिंह
3. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्रीमती गीता विश्वनाथ वांगा
6. श्री विनायक राऊत
7. श्री पिनाकी मिश्रा
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. श्री सुशील कुमार सिंह
10. श्री पी॰आर॰ नटराजन
11. श्री जयदेव गल्ला
12. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
13. श्री असादुद्दीन ओवैसी

14. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन

15. डॉ० के० जयकुमार

श्री नित्यानन्द राय ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नित्यानन्द राय द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*अपराह्न 4.01 बजे

10. गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प—विचाराधीन

श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा 21 जून, 2019 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा:—

''यह सभा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और पशुओं के चारे की अनुपलब्धता के कारण, क्षेत्र के लोग अपनी गायों को खुले में चरने के लिए छोड़ने पर विवश हैं, जो आम तौर पर 'अन्न प्रथा' के नाम से जानी जाती है, और जो खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, सरकार से आग्रह करती है कि वह क्षेत्र में जल संकट की समस्या और अन्न प्रथा की परम्परा को दूर करने के लिए बांधों और तालाबों के अंतर्संयोजन तथा पुनर्भरण करने के लिए प्रस्तावित केन-बेतवा नदी सम्पर्क परियोजना से नहरों का संजाल निर्मित करने के लिए कदम उठाये।''।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जगदम्बिका पाल (अपना भाषण जारी रखा)

*अपराह्न 3.31 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

2. श्री अनुराग शर्मा

3. श्री विनोद कुमार सोनकर

4. श्री आर॰के॰ सिंह पटेल

5. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

6. श्री नायब सिंह (भाषण अपूर्ण)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 22 जुलाई, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—1860LS(S3)—19.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक)

संख्या 26

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने वर्तमान लोक सभा के सदस्य श्री रामचन्द्र पासवान के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने आठवीं लोक सभा की सदस्य और दिल्ली की पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के निधन के बारे में भी उल्लेख किया।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे, और तत्पश्चात् सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

2. प्रश्न

निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् सभा के अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित होने के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका, इसलिए आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 401-420 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4562-4638 और 4640-4791 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृतांत में मुद्रित किए जायेंगे। श्री रामचन्द्र पासवान, वर्तमान लोक सभा के सदस्य के निधन के कारण अतारांकित प्रश्न संख्या 4639 का लोप कर दिया गया।

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2019 जो 1 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 169(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो 11 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1021(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2019 जो 13 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 423(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्कर्स एण्ड आर्काइव्स, धर्मशाला के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्कर्स एण्ड आर्काइव्स, धर्मशाला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हुमायूं का मकबरा के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण धरोहर उपविधियां-सुंदर नर्सरी-बताशेवाला समूह स्मारक उप-विधियां, 2019 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दाहुंग के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दाहुंग के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूपति, तिरूपति के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूपति, तिरूपति के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूपति, तिरूपति के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखंड, देहरादून के वर्ष 2015-2016 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखंड, देहरादून के वर्ष 2015-2016 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) सर्व शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिहार, मोतिहारी के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), पटना के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), पटना के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसाइटी, शिमला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसाइटी, शिमला के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखंड, देहरादून के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखंड, देहरादून के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, कानपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, कानपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, कानपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अधिसूचना सं॰ 146 जो 9 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिनियम 40 और 41 से संबंधित है।

(दो) अधिसूचना सं॰ सीयूआरएजे/आर/एफ 89/2017/893-94 जो 4 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेशों से संबंधित है।

(46) उपर्युक्त (45) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलौर, बेंगलुरू के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलौर, बेंगलुरू के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पुदुचेरी के वर्ष 2014-2015, 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, पुदुचेरी के वर्ष 2014-2015, 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजॉल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिपणियां।

(64) उपर्युक्त (63) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) सर्व शिक्षा अभियान समिति कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान समिति कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) (एक) यूईई मिशन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूईई मिशन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, नानी दमण के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, नानी दमण के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71क) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) उपर्युक्त (72) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) (एक) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आईजोल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आईजोल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) उपर्युक्त (74) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी सिलचर, सिलचर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी सिलचर, सिलचर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) उपर्युक्त (76) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, राउरकेला के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, राउरकेला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) उपर्युक्त (78) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) (एक) मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आईजोल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आईजोल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) उपर्युक्त (80) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) उपर्युक्त (82) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़, पलक्कड़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़, पलक्कड़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़, पलक्कड़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) उपर्युक्त (84) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) उपर्युक्त (86) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(88) (एक) सर्व शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) उपर्युक्त (88) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) अधिनियम, 2017 की धारा 48 के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) (कोआर्डिनेशन फोरम प्रोसीजर ऑफ मीटिंग्स) नियम, 2019 जो 15 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 496(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पंजाब ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 29 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ एचओ:एचआरडी/2018/6637 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पंजाब ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 29 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ एचओ:एचआरडी/2018/6638 में प्रकाशित हुए थे।

(4) (एक) इन्साल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इन्साल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इन्साल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स, गुड़गांव के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स, गुड़गांव के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सब्स्टैंशियल एक्वीजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 31 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/55 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 31 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/57 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/05 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सब्स्टैंशियल एक्वीजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/06 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/07 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 5 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/08 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भूसंपदा निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 22 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2019/09 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 22 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2019/10 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 26 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2019/11 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 7 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2019/12 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 7 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2019/13 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टीज) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 7 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/14 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 10 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2019/16 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो मैनेजर्स) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 10 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2019/17 में प्रकाशित हुए थे।

(9) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्टस) विनियम, 2019 जो 10 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ आईआरडीए/रेग/7/158/2019 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्टस) विनियम, 2019 जो 10 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ आईआरडीए/रेग/6/157/2019 में प्रकाशित हुए थे।

(10) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 के अंतर्गत केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2016, जो दिनांक 10 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में दिनांक 09.05.2018 की अधिसूचना सं॰ एचआरडब्ल्यू:आईआरएस:124(ग): एसजे:2542:2018 में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) अधिसूचना सं॰ का॰आ॰1040 (अ) जो 27 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 की धारा 6 और 8 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत पंद्रहवें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में श्री अजय नारायण झा की नियुक्ति के बारे में है।

(12) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (बॉरोइंग एंड लेंडिंग) विनियम, 2018 जो 17 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1213(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2019 जो 31 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 78(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (मुद्रा का निर्यात और आयात) (संशोधन)विनियम, 2019 जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 151(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (फारेन एक्सचेंज डेरीवेटिव कांट्रैक्ट्स) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 27 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 161(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) 2019 जो 27 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 160(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (परमिसिबल कैपिटल एकाउंट ट्रांजेक्शन्स) (पहला संशोधन) 2019 जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 198(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें दिनांक 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 422(अ) में प्रकाशित इसका शुद्धिपत्र सम्मिलित है।

(सात) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियम 2019 जो 18 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 312(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) तथा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 179(अ) जो 6 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 और केंद्रीय माल, और सेवा कर की धारा 174(2) (ङ) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11(ग) के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संचालित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा 01.01.2012 से 31.03.2016 की अवधि हेतु, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रमाणीकृत कौशल अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्सों के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं पर देय सेवा कर को वित्त अधिनियम की धारा 66 ख के अधीन छूट प्रदान करना है तथा 22 मई, 2019 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 347(अ) में प्रकाशित इसका शुद्धिपत्र तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 485(अ) जो 6 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 11/2017-सीई में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 486(अ) जो 6 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय उक्त अधिनियम की धारा 5क के अध्याय 24 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर बुनियादी उत्पाद शुल्क में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 487(अ) जो 6 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क के रूप में सड़क एवं अवसंरचना उपकर की प्रभावी दर में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा॰का॰नि॰ 488(अ) जो 6 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 489(अ) जो 6 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत पेश किए गए एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स में अथवा प्रोडक्शन शेयररिंग कांट्रैक्ट्स के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ऑयल फील्ड्स में उत्पादित कच्चे पेट्रोलियम को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 475(अ) जो 6 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क के रूप में, सड़क एवं अवसंरचना उपकर की प्रभावी दरों में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 476(अ) जो 6 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय विशिष्ट रक्षा उपकरणों और उनके पार्ट्स को पाँच वर्ष की अवधि के लिए बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 477(अ) जो 6 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 52/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 478(अ) जो 6 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 25/98-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा॰का॰नि॰ 479(अ) जो 6 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 25/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 480(अ) जो 6 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 25/2005-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 481(अ) जो 6 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 57/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 482(अ) जो 6 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 483(अ) जो 6 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 14/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 484(अ) जो 6 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 443(अ) जो 21 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना संख्या 22/2019-के॰क॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 452(अ) जो 28 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-7 प्ररूप में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 453(अ) जो 28 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1.5 करोड़ रुपए तक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों हेतु जीएसटीआर-1 प्ररूप भरने के लिए अंतिम तिथि को जुलाई, 2019 से बढ़ाकर सितम्बर, 2019 विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 454(अ) जो 28 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1.5 करोड़ रुपए तक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों हेतु जीएसटीआर-1 प्ररूप भरने के लिए अंतिम तिथि को जुलाई, 2019 से बढ़ाकर सितम्बर, 2019 करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा॰का॰नि॰ 455(अ) जो 28 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-3ख प्ररूप जमा करने की अंतिम तिथि को जुलाई, 2019 से बढ़ाकर सितम्बर, 2019 तक विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 456(अ) जो 28 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऑनलाइन इंफार्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सेवाओं के आपूर्तिकर्त्ताओं हेतु वार्षिक/रिटर्न/रिकांसिलेशन स्टेटमेंट जमा करने से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 457(अ) जो 28 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 में बदलाव करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 458(अ) जो 28 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उद्घोषणा फॉर्म जीएसटीआईटीसी-04 को जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (अथॉरिटी के सचिव, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2019 जो 16 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 369(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की रीति तथा अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2019 जो 18 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 125(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(17) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वालन्टरी लिक्वीडेशन प्रोसेस) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 15 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी 039 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 24 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी 040 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 22 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 41(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों को चिकित्सा सुविधा) योजना, 2019 जो 14 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 114(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 1 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 168(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 27 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 378(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) का०आ० 1090(अ) जो 1 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डॉ० राजीव मणि, संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी कार्य विभाग को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करने के बारे में है।

(आठ) का०आ० 1388(अ) जो 19 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के

पूर्णकालिक सदस्य के पद से सुश्री सुमन सक्सेना के त्यागपत्र को 08.10.2018 से स्वीकार किया गया है।

(18) अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 390(अ) जो 30 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 की उप-धारा (3) के अंतर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची 7 के संशोधन के बारे में है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1591(अ) जो 12 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 10क के अंतर्गत उत्पन्न विवादों के निपटान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 30ख के अंतर्गत उसमें उल्लिखित तीन व्यक्तियों वाले अधिकरण की स्थापना की गई है।

(20) अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 170(अ) जो 1 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत उत्पन्न विवादों के निपटान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत उसमें उल्लिखित तीन व्यक्तियों वाले अधिकरण की स्थापना की गई है।

(21) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 171(अ) जो 1 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 नवंबर, 2015 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 833(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा॰का॰नि॰ 413(अ) जो 10 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 नवंबर, 2015 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 835(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 51(अ) जो 28 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 787(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(22) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना सं॰ एफ॰सं॰ 07/19/2012-सीएल॰5 (भाग 6) जो सरकारी कंपनियों को दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना सं॰ 463(अ) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की तीन धाराओं अर्थात् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45),

धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (क) और धारा 188 की उप-धारा (1) से सरकारी कंपनी को छूट प्रदान करने/प्रतिस्थापन करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 की धारा 67 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 17/30/2018-सीएल॰ 5 जिसमें यह बताया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90, 164, 165, 167, धारा 2006 की उपधारा (5), 207 की उपधारा (3), 252 और धारा 439 के प्रावधान लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए ऐसे आशोधनों के साथ, जो उनमें विनिर्दिष्ट हों, तब तक लागू होंगे जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2217(अ) जो 28 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 172 के अंतर्गत फार्म जीएसटीआर-9, फार्म जीएसटीआर-9क और फार्म जीएसटीआर-9ग जमा करने की निश्चित तिथि को बढ़ाना है कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 18 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा ने 18 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019

अपराह्न 2.03 बजे

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-2019) के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 261वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 267वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) की ओर से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और कौशल विकास पहल योजना कल्याण' के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

7. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019

अपराह्न 2.04 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेय जल की समस्या के बारे में।

(2) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सोन नदी द्वारा भूमि कटाव के बारे में।

(3) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा आयुष चिकित्सकों द्वारा एलोपैथी की प्रैक्टिस करने की अनुमति दिए जाने के बारे में।

(4) प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेल द्वारा आगरा, उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री अजय भट्ट द्वारा उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग के बारे में।

(6) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में बुन्देलवीर महाराजा छत्रसाल महाराज के जन्म स्थल को विकसित और संरक्षित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभों का विस्तार झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले तक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सुरेश पुजारी द्वारा ओडिशा के बारगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दो केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री अजय मिश्र (टेनी) द्वारा भारत में भुगतान कंपनियों द्वारा डाटा का संग्रहण किए जाने के बारे में।

(10) श्री प्रदीप कुमार चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के दौलतपुर और लखनैती के बीच यमुना नदी पर निर्मित पुल के लिए संपर्क सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल की कमी के बारे में।

(12) श्री राकेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिहोरा टाउन में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कासिम बाजार रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार किए जाने के बारे में।

(14) श्री एम॰के॰ राघवन द्वारा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने के बारे में।

(15) श्री के॰ शनमुगा सुंदरम द्वारा तमिलनाडु में पोद्दानुर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने के बारे में।

(16) श्रीमती अपरुपा पोद्दार द्वारा देश में बेहतर कूड़ा प्रबंधन के बारे में।

(17) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा मुंबई विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व वाली भूमि पर वर्तमान में रह रहे झुग्गी-झोंपड़ियों के निवासियों के पुनर्वास हेतु उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री गिरिधारी यादव द्वारा बिहार में सुल्तानगंज और बांका के बीच रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा टेलिफोन घनत्व के बारे में।

(20) श्री रितेश पाण्डेय द्वारा सार्वजनिक भवनों और यातायात प्रणाली में दिव्यांग हितैषी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री रमुलु पोथूगन्टी द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के बारे में।

(22) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रीय वयोश्री योजना को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.05 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019

लिया गया समय : 3 घंटे 52 मिनट

डॉ॰ जितेन्द्र सिंह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ शशि थरूर
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री ए॰ राजा
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री रघु राम कृष्णराजू कानुमुरू
6. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री कुंवर दानिश अली

9. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
10. श्री विष्णु दत्त शर्मा
11. श्री कार्ती पी॰ चिदम्बरम
12. श्री जयदेव गल्ला
13. श्रीमती सुनीता दुग्गल
14. श्री पी॰आर॰ नटराजन
15. श्री हसनैन मसूदी
16. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
17. श्री के॰ सुब्बारायण
18. श्री असादुद्दीन ओवैसी
19. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
20. श्री निशिकान्त दुबे
21. श्री दिलेश्वर कामैत
22. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार
23. श्री थोल तिरुमावलवन

डॉ॰ जितेन्द्र सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ: पक्ष में 218; विपक्ष में 79। तदनुसार, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ॰ जितेन्द्र सिंह द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

***10. अध्यक्ष द्वारा बधाई**

अध्यक्ष ने सभा की ओर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सभी वैज्ञानिकों को चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे स्वदेशी मिशन चंद्रयान-2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने पर बधाई दी।

---

*अपराह्न 3.16 बजे।

अपराह्न 5.58 बजे

11. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019

आवंटित समय : 4 घंटे
लिया गया समय : 1 घंटा
शेष समय : 3 घंटे

श्री नितिन जयराम गडकरी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री एंटो एन्टोनी
2. श्री गोपाल शेट्टी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#सायं 7.42 बजे

12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का पांचवा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सायं 7.43 बजे

(लोक सभा मंगलवार 23 *जुलाई,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

#सायं 6.59 बजे से सायं 7.43 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—1899LS(S3)—22.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 23 जुलाई, 2019/1 श्रावण, 1941 (शक)

संख्या 27

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 421—425 और 426 (433 और 434 के साथ लिए गए) के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 427—432 और 435—440 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4792—4990 और 4992—5021 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम' के नियम 47 के अंतर्गत अतारांकित प्रश्न संख्या 4991 विलोपित किया गया (श्री पी०के० कुन्हालीकुट्टी)।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल० मांडविया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी था अंग्रेजी संस्करण)।

(4) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, हाजीपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) एचएमटी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेः—

(1) (एक) निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उपधारा (4) के अंतर्गत विधिक मापविज्ञान (राष्ट्रीय मानक) (संशोधन) नियम, 2019 जो 5 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 474(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ किशन रेड्डी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेः—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) चण्डीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1990-1991 से 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) चण्डीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1990-1991 से 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) रीहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रीहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कृषि उपज (दलहन श्रेणीकरण और चिन्हांकन) नियम, 2019, जो 18 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰36(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मसाले श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 2018, जो 11 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰21(अ) में प्रकाशित हुए थे।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजीव कुमार बालियान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) ऐनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऐनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, पणजिम के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड पणजिम के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउन्डेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउन्डेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 46 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ 16/आरपीसीएयू (वीसी), पूसा, जो 9 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अध्यादेश सं॰ 74 में यथाअंतर्विष्ट स्नातक/स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल डिग्री पाठयक्रमों के लिए छात्रों के प्रवेश तथा नामांकन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 22 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) ने कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल॰ मांडविया) ने भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के संबंध में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 286वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 292वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति गठन के बारे में प्रस्ताव

श्री रवि शंकर प्रसाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि सभाओं की लाभ के पदों संबंधी एक संयुक्त समिति गठित होगी जो पंद्रह सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें दस सदस्य इस सभा से और पांच सदस्य राज्य सभा से होंगे, जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सभा के सदस्यों में से निर्वाचित होंगे:—

संयुक्त समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे—

(एक) सभी मौजूदा ''समितियां'' (उन समितियों को छोड़कर जिनकी जांच उस संयुक्त समिति द्वारा की गई थी जिसे संसद (निरर्हरता निवारण) विधेयक, 1957 भेजा गया था) तथा सभी ''समितियां'' जो एतद्‌पश्चात् गठित की जाएंगी, जिसकी सदस्यता से एक व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत संसद की किसी सभा का सदस्य चुने जाने और होने से निरर्ह हो सकता है, की संरचना और प्रकृति की जांच करना;

(दो) इसके द्वारा जांच की गई ''समितियों'' के संबंध में सिफारिश करना कि किन पदों को निरर्ह किया जाना चाहिए और किन पदों को निरर्ह नहीं किया जाना चाहिए;

(तीन) समय-समय पर संसद की अनुसूची (निरर्हरता निवारण) अधिनियम, 1959 की संवीक्षा करना तथा योग, लोप अथवा अन्यथा किसी माध्यम से उक्त अनुसूची में संशोधनों की सिफारिश करना।

यह कि संयुक्त समिति उपर्युक्त सभी अथवा किसी मामले के संबंध में संसद की दोनों सभाओं को समय पर रिपोर्ट करेगी;

यह कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक लाभ की अवधि तक पद धारण करेंगे;

यह कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति, समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई होगी;

यह कि अन्य मामले में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम इस तरह के अंतर व संशोधन सहित लागू होंगे जैसा कि अध्यक्ष बनाए; और

यह कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त होने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को प्रेषित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री अश्विनी कुमार चौबे ने डॉ॰ हर्ष वर्धन के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 4(छ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. प्रस्ताव

श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 22 जुलाई, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 5वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

9. सरकारी विधेयक—पुर: स्थापित

मजदूरी संहिता, 2019

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन और प्रो॰ सौगत राय ने विधेयक पुर: स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर: स्थापित किया गया।

10. सरकारी विधेयक—पुर: स्थापित

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2019

प्रो॰ सौगत राय ने विधेयक पुर: स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर: स्थापित किया गया।

*अपराह्न 12.20 बजे

11. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्री मनीष तिवारी, प्रो॰ सौगत राय और श्री टी॰आर॰ बालू ने कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कथित वक्तव्य के बारे में निवेदन किया।

#डॉ॰ सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.33 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री संजय सेठ द्वारा देश में जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण हेतु प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री रवि किशन द्वारा कन्या भ्रूणहत्या के विरुद्ध कानून को और सख्त बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री उपेन्द्र सिंह रावत द्वारा उत्तर प्रदेश में हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री आर॰ के॰ सिंह पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिले को बाण सागर नहर परियोजना से सिंचाई सुविधा का लाभ सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जी॰ एम॰ सिद्देश्वरा द्वारा कर्नाटक के दावनगेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती दिया कुमारी द्वारा राजस्थान में महाराणा प्रताप से संबद्ध स्थलों को 'प्रताप सर्किट' के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.21 बजे से अपराह्न 12.33 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।
#विदेश मंत्री।

(7) श्री सुदर्शन भगत द्वारा लोहरदगा, गुमला और जशपुर होकर रांची कोरबा तक रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा राजस्थान के अजमेर शहर की स्मार्ट सिटी परियोजना के बारे में।

(9) डॉ॰ हिना गावीत द्वारा महाराष्ट्र के नंदूरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल टावर स्थापित किए जाने के बारे में।

(10) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों का सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ सुकान्त मजूमदार द्वारा पश्चिम बंगाल के बालूरघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाणगढ़ के पुरातात्विक अवशेष के उत्खनन के बारे में।

(12) श्री महेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (देवास-आगरा) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 (देवास-कानपुर) के किनारे सर्विस रोड बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल समपार संख्या 18सी पर रेल अंडर ब्रिज/अंडर पास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ (प्रो॰) रामशंकर कठेरिया द्वारा उत्तर प्रदेश के इटावा में एक पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ शशि थरूर द्वारा तिरुवनन्तपुरम् में जल की समस्या के बारे में।

(17) श्री दीपक बैज द्वारा छत्तीसगढ़ में बस्तर और राजपुर के मध्य एक सीधी रेल लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री वी॰ वैथिलिंगम द्वारा जवाहर लाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुडुचेरी में गठन संरचना के बारे में।

(19) श्री डी॰ रविकुमार द्वारा पुडुचेरी में अरिकामेडु स्थित पुरातात्विक स्थल में नए सिरे से उत्खनन कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री एस॰ जगतरक्षकन द्वारा टिंडिवनम-नगरी रेल लाइन का कार्य पूरा किए जाने के बारे।

(21) श्री प्रसून बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल के हावड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईस्ट-वेस्ट मेट्रो रेल परियोजना के बारे में।

(22) श्रीमती चिंता अनुराधा द्वारा कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल की खोज के बारे में।

(23) श्री राजन बाबूराव विचारे द्वारा महाराष्ट्र के ठाणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेट्रो रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बाढ़ से पीड़ित बिहार राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री जयदेव गल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश के अमरावती और मंगलागिरी में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने के बारे में।

(26) एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफ द्वारा केरल से खाड़ी देशों की यात्रा के लिए विमान कंपनियों द्वारा अधिक विमान किराया प्रभारित किए जाने के बारे में।

(27) श्री हनुमान बैनिवाल द्वारा देश में विशेष रूप से राजस्थान में उद्योगों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(28) श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ियों को पर्यटक स्थलों की सूची में शामिल किए जाने और बाबा वैद्यनाथ धाम, देवघर के वार्षिक श्रावणी मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.34 बजे

13. सरकारी विधेयक—पारित

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019

लिया गया समय : 5 घंटे 13 मिनट

श्री नितिन जयराम गडकरी द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती करूणानिधि कनिमोझी
2. प्रो॰ सौगत राय

3. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
4. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्रीमती चन्द्राणी मुर्मु
7. श्री कुंवर दानिश अली
8. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. श्री अजय मिश्र
11. श्रीमती जोतिमणि एस॰
12. श्री के॰ नवासखनी
13. श्री श्रीनिवास केसिनेनी
14. श्री पी॰आर॰ नटराजन
15. डॉ॰ मनोज राजोरिया
16. श्री ईमत्याज जलील सय्यद
17. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
18. श्री एम॰ सेल्वराज
19. श्री हनुमान बैनिवाल
20. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
21. श्री रामचरण बोहरा
22. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार
23. श्री दिलीप घोष
24. श्री थोल तिरुमावलवन
25. श्री सुनील कुमार पिंटू
26. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
27. श्री मारगनी भरत

श्री नितिन जयराम गडकरी ने वाद–विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड–वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 से 8 स्वीकृत हुए।

खण्ड 9 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 और 11 स्वीकृत हुए।

खण्ड 12 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 से 16 स्वीकृत हुए।

खण्ड 17 से 20 स्वीकृत हुए।

खण्ड 21 और 22 स्वीकृत हुए।

खण्ड 23 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 24 से 28 स्वीकृत हुए।

खण्ड 29 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 30 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 31 से 33 स्वीकृत हुए।

खण्ड 34 से 37 स्वीकृत हुए।

खण्ड 38 और 39 स्वीकृत हुए।

खण्ड 40 और 41 स्वीकृत हुए।

खण्ड 42 और 43 स्वीकृत हुए।

खण्ड 44 से 46 स्वीकृत हुए।

खण्ड 47 से 50 स्वीकृत हुए।

खण्ड 51 और 52 स्वीकृत हुए।

खण्ड 53 से 56 स्वीकृत हुए।

खण्ड 57 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 58 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 59 और 60 स्वीकृत हुए।

खण्ड 61 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 62 और 63 स्वीकृत हुए।

खण्ड 64 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 65 और 66 स्वीकृत हुए।

खण्ड 67 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 68 से 78 स्वीकृत हुए।

खण्ड 79 से 84 स्वीकृत हुए।

खण्ड 85 से 91 स्वीकृत हुए।

खण्ड 92 और 93 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नितिन जयराम गडकरी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.48 बजे

14. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019

आवंटित समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 1 घंटा 10 मिनट

शेष समय : 50 मिनट

श्री जी॰ किशन रेड्डी द्वारा श्री अमित शाह की ओर से विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मनीष तिवारी
2. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
3. श्री डी॰ रविकुमार
4. श्री कुरुवा गोरांतला माधव

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 5.58 बजे

(लोक सभा बुधवार, 24 जुलाई, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—1932LS(S3)—23.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 24 जुलाई, 2019/2 श्रावण, 1941 (शक)

संख्या 28

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 441—443, 446 और 447 के मौखिक उत्तर दिए गए।

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न सं॰ 444 और 445 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। यद्यपि संबंधित मंत्री ने उनका उत्तर सभा पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 444 और 445 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 448—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5022—5192 और 5194—5251 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। श्री रामचन्द्र पासवान, वर्तमान लोक सभा के सदस्य के निधन के कारण अतारांकित प्रश्न संख्या 5193 का लोप कर दिया गया।

*मध्याह्न 12.00 बजे

3. सदस्यों द्वारा निवेदन

सर्वश्री अधीर रंजन चौधरी और टी॰आर॰ बालू ने कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए वक्तव्य पर प्रधानमंत्री से वक्तव्य और स्पष्टीकरण की मांग के बारे में निवेदन किया।

---

*अपराह्न 12.01 बजे से अपराह्न 12.10 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.11 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) ने नोटरी नियम, 1956 के नियम 4 के उपनियम (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) का॰आ॰ 1622(अ) जो 22 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधिक मामले विभाग के अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया।

(2) का॰आ॰ 2444(अ) जो 9 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधिक मामले विभाग के अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाइक) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(4) भारत डायनैमिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(5) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

#रक्षा मंत्री।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ॰ जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखे:—

(1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 29 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 510(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2018, जो 29 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 511(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2018, जो दिनांक 15 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 565(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2018, जो दिनांक 15 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 566(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो दिनांक 28 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 818(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2018, जो दिनांक 28 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 819(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2018, जो दिनांक 16 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1036(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2018, जो दिनांक 16 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1037(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2018, जो दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1042(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2018, जो दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1041(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2018, जो दिनांक 16 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1123(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2018, जो दिनांक 16 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1124(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2018, जो दिनांक 26 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1137(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2018, जो दिनांक 26 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1138(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2018, जो दिनांक 19 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1221(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2018, जो दिनांक 19 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1222(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2019, जो दिनांक 13 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 217(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2019, जो दिनांक 13 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 218(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2019, जो दिनांक 4 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 288(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2017, जो दिनांक 4 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 289(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (3) में मद संख्या (एक) से (पंद्रह) तक उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2019 जो 4 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 472(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) का॰आ॰ 920(अ) जो 1 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो विदेश व्यापार नीति 2015-2020 को अधिसूचित करता है।

(2) का॰आ॰ 1992(अ) जो 3 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2012, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 48 के एक्जिम कोड 4801 के अंतर्गत आयात नीति शर्त सं॰ 2 में संशोधन के बारे में है।

(3) का॰आ॰ 172(अ) जो 17 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2017 अनुसूची-1 आयात नीति को अधिसूचित करता है।

(4) का॰आ॰ 2490(अ) जो 5 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय के अंतर्गत पिजन पीज (कजानस कजान)/तूर दाल की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(5) का॰आ॰ 2722(अ) जो 21 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 7 के अंतर्गत विगना मुंगो (एल) हेप्पर अथवा विगना रेडिएट (एल) विलजेक प्रजातियों के बीन्स की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(6) का॰आ॰ 1755(अ) जो 25 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 7 के अंतर्गत मटर की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(7) का॰आ॰ 1826(अ) जो 4 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 7 के अंतर्गत विगना मुंगो (एल) हेप्पर अथवा विगना रेडिएट (एल) विलजेक प्रजातियों के बीन्स की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(8) का॰आ॰ 3224(अ) जो 2 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 7 के अंतर्गत मटर की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) चौदहवीं, पंद्रहवीं तथा सोलहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

चौदहवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या 33	तीसरा सत्र, 2004
2.	विवरण संख्या 34	चौथा सत्र, 2005
3.	विवरण संख्या 30	चौदहवां सत्र, 2008
4.	विवरण संख्या 25	पंद्रहवां सत्र, 2009

पंद्रहवीं लोक सभा

2.	विवरण संख्या 35	दूसरा सत्र, 2009
3.	विवरण संख्या 30	चौथा सत्र, 2010
4.	विवरण संख्या 30	पांचवां सत्र, 2010
5.	विवरण संख्या 27	सातवां सत्र, 2011
6.	विवरण संख्या 30	आठवां सत्र, 2011
7.	विवरण संख्या 27	नौवां सत्र, 2011
8.	विवरण संख्या 24	ग्यारहवां सत्र, 2012
9.	विवरण संख्या 23	बारहवां सत्र, 2012
10.	विवरण संख्या 23	तेरहवां सत्र, 2013
11.	विवरण संख्या 19	चौदहवां सत्र, 2013
12.	विवरण संख्या 19	पंद्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

13.	विवरण संख्या 18	दूसरा सत्र, 2014
14.	विवरण संख्या 18	तीसरा सत्र, 2014
15.	विवरण संख्या 17	चौथा सत्र, 2015
16.	विवरण संख्या 15	पांचवां सत्र, 2015
17.	विवरण संख्या 14	छठा सत्र, 2015
18.	विवरण संख्या 12	सातवां सत्र, 2016
19.	विवरण संख्या 12	आठवां सत्र, 2016
20.	विवरण संख्या 11	नौवां सत्र, 2016
21.	विवरण संख्या 9	दसवां सत्र, 2016
22.	विवरण संख्या 9	ग्यारहवां सत्र, 2017
23.	विवरण संख्या 7	बारहवां सत्र, 2017
24.	विवरण संख्या 6	तेरहवां सत्र, 2017-18

25.	विवरण संख्या 5	चौदहवां सत्र, 2018
26.	विवरण संख्या 4	पंद्रहवां सत्र, 2018
27.	विवरण संख्या 2	सोलहवां सत्र, 2018–19
28.	विवरण संख्या 1	सत्रहवां सत्र, 2019

(2) (एक) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2017–2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2017–2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 2019–20 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 2019–20 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अंगड़ी सुरेश चन्नबसप्पा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती एवं पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित रिक्तियों पर उनकी नियुक्ति के संबंध में हुई प्रगति पर प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.12 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री कनकमल कटारा द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि, डेयरी और बागवानी आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री जय प्रकाश द्वारा उत्तर प्रदेश में हरदोई से गुरसहायगंज वाया औहदपुर रेल सम्पर्क प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डॉ॰ निशिकांत दुबे द्वारा गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेय जल समस्या के बारे में।

(4) श्री सी॰पी॰ जोशी द्वारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित 'मृगवन' क्षेत्र को बायोलोजिकल पार्क के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती अन्नपुर्णा देवी द्वारा झारखंड के कोडरमा जिले में लौह उद्योगों द्वारा फैलने वाले प्रदूषण के संबंध में।

(7) डॉ॰ ढालसिंह बिसेन द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में उत्क्रमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री संगम लाल गुप्ता द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीवर लाइन प्रणाली के बारे में।

(9) श्री रोड़मल नागर द्वारा मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल द्वारा जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में दूरभाष संपर्क के बारे में।

(11) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा राजस्थान के टोंक जिले में इसरदा बांध परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री नितेश गंगा देब द्वारा ओडिशा के संबलपुर में एम्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री देवुसिंह चौहान द्वारा बीएसएनएल की सेवा के बारे में।

(14) श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू और कश्मीर में बीएसएनएल सेवा के बारे में।

(15) डॉ॰ संघमित्रा मौर्या द्वारा पाली भाषा को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा गुजरात के हडपति, राठौर, तणविमा और नायका समुदायों को आदिम जनजाति समूहों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री मणिक्कम बी॰ टैगोर द्वारा विमानपत्तनों के निजीकरण के बारे में।

(18) कुमारी राम्या हरिदास द्वारा केरल के वडक्कनचेरी और मूलानकुनातूकावू स्टेशनों पर तीन एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री वी॰के॰ श्रीकंदन द्वारा केरल के पलक्कड़ टाउन रेलवे स्टेशन पर एक पिटलाइन बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्रीमती सुमंथी तामिझाची थंगापंडियन द्वारा तमिलनाडु में पल्लिकरनाई मार्शलैंड के लिए एक जैव विविधता संरक्षण और परिरक्षण परियोजना के बारे में।

(21) प्रो॰ सौगत राय द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के नाम परिवर्तन के बारे में।

(22) श्री रघु राम कृष्णराजू द्वारा आंध्र प्रदेश के गणवरम विमानपत्तन से उड़ानों को रद्द किए जाने के बारे में।

(23) श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ द्वारा जासूसी कैमरों के गैर–कानूनी उपयोग के बारे में।

(24) श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वेस्टर्न कोल फील्ड्स द्वारा संचालित कोयला खदानों में कथित अनियमितताओं के बारे में।

(25) श्री महेश साहू द्वारा माल परिवहन के संबंध में निर्धारित नियमों के पालन के बारे में।

(26) श्री हाजी फ़जलुर रहमान द्वारा उत्तर प्रदेश में शेख उल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज को हायर सेंटर के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री एम॰ सेल्वराज द्वारा नागापट्टनम बंदरगाह के आधुनिकीकरण के बारे में।

(28) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन के द्वारा केरल के वेतान समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.13 बजे

6. सरकारी विधेयक — पारित

विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019

लिया गया समय : 4 घंटे 33 मिनट

श्री जी॰ किशन रेड्डी द्वारा पेश किए विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही। निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री विनायक राऊत
2. श्री पिनाकी मिश्रा
3. श्रीमती महुआ मोइत्रा
4. श्री सुनील कुमार पिंटू
5. कुंवर दानिश अली
6. श्रीमती सुप्रिया सुले
7. श्री वेंकटेश नेता बोरलाकुंता
8. डॉ॰ एस॰टी॰ हसन
9. डॉ॰ मोहम्मद जावेद
10. श्री विष्णु दयाल राम
11. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
12. एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफ
13. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
14. श्री असादुद्दीन ओवैसी
15. श्री के॰ सुब्बारायण
16. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार

17. श्री थोल तिरुमावलवन

18. श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर

19. श्री हनुमान बैनिवाल

20. श्री कार्ती पी॰ चिदम्बरम

21. डॉ॰ सत्यपाल सिंह

22. श्री हसैनन मसूदी

23. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

24. श्री बदरुद्दीन अज़मल

श्री अमित शाह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ: #पक्ष में 287; #विपक्ष में 8 तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 3 के संशोधन संख्या 19 और 20 का प्रस्ताव किया गया। अध्यक्ष ने संशोधनों को मत विभाजन के लिए रखा। प्रश्न पर चुनौती दिए जाने पर अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यों मेरे विचार में मत विभाजन का अनावश्यक दावा किया जा रहा है। इसलिए नियम 367 के उप-नियम (3) के परन्तुक के अंतर्गत, मैं सदस्यों जो 'पक्ष' में हैं और जो 'विपक्ष' में हैं, को निर्देशित करता हूं कि वे अपने स्थान पर खड़े हों, और गिनती किए जाने पर मैं सभा के निर्णय की घोषणा करूंगा। जो सदस्य अपने स्थान पर नहीं हैं, गिनती के प्रयोजन के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

गिनती करने पर परिणाम इस प्रकार था:—

पक्ष में 8, विपक्ष में 288।

तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

#पर्चियों के वितरण द्वारा।

खण्ड 4 स्वीकृत हुआ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 5 के संशोधन संख्या 21 का प्रस्ताव किया गया।

गिनती करने पर परिणाम इस प्रकार था:—

पक्ष में 8, विपक्ष में 288।

तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 और 7 स्वीकृत हुए।

खण्ड 8 से 10 स्वीकृत हुए।

श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 11 के संशोधन संख्या 22 का प्रस्ताव किया गया।

गिनती करने पर परिणाम इस प्रकार था:—

पक्ष में 7, विपक्ष में 288 ।

तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 और 12 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जी॰ किशन रेड्डी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(लोक सभा अपराह्न 3.36 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.17 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 4.17 बजे

%7. सांविधिक संकल्प — वापस लिया गया

लिया गया समय : 3 घंटे 45 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।''

%एक साथ चर्चा हुई।

संयुक्त चर्चा के बाद, सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

%**8. सरकारी विधेयक — पारित**

अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी संशोधन विधेयक, 2019

श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री अधीर रंजन चौधरी ने सांविधिक संकल्प और विधेयक पर अपनी बात रखी।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री शिव कुमार उदासी
2. श्री कल्याण बनर्जी
3. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
4. श्री संजय (बंधु) हरिभाऊ जाधव
5. डॉ॰ एस॰ सेंथिलकुमार डीएनवी
6. श्री सुनील कुमार पिंटू
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. कुंवर दानिश अली
9. श्री नामा नागेश्वर राव
10. श्रीमती सुप्रिया सुले
11. श्री पी॰के॰ कुन्हालीकुट्टी
12. श्री केसिनेनी श्रीनिवास
13. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
14. श्रीमती नवनित रवि राणा
15. श्री ईमत्याज जलील सय्यद
16. श्री सप्तगिरि उलाका

%एक साथ चर्चा हुई।

17. श्री हनुमान बैनिवाल

18. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

19. डॉ॰ निशिकान्त दुबे

20. श्री राजीव प्रताप रूडी

21. श्री वसंतकुमार एच॰

22. श्री सेल्वराज एम॰

23. श्री हेमन्त पाटिल

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 44 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

रात्रि 8.02 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 25 जुलाई, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—1986LS(S3)—24.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 25 जुलाई, 2019/3 श्रावण, 1941 (शक)

संख्या 29

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 461, 462 (477 के साथ लिए गए), 463 (466 और 471 के साथ लिया गया), 464 और 465 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 467—470, 472—476 और 478—480 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5252—5481 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कार्पोरेशन तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) दामोदर वैली कार्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एनटीपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ संबंधी निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 जो 3 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/236/2018/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (रीजनल लोड डिस्पैच केंद्र के शुल्क और प्रभार तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2019 जो 21 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/153/2019/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें) (चौथा संशोधन) विनियम, 2019 जो 14 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-2/2(2)/2011-ईएसटीटी/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) रेलवे संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रेलवे संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1236(अ) जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यूनिफाइड बिल्डिंग बाइ-लॉज फॉर दिल्ली, 2016 में संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 358(अ) जो 21 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जून, 2018 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3173(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 359(अ) जो 21 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आवासीय परिसंपत्तियों, सहकारी ग्रुप हाउसिंग, मिश्रित उपयोग/वाणिज्य गलियों तथा वाणिज्य परिसंपत्तियों (होटल और पार्किंग प्लाट्स को छोड़कर) के लिए एमपीडी 2021 के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई एफएआर पर लागू होने वाली दरों के नियतन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1237(अ) जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 जून, 2018 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3027(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का॰आ॰ 372(अ) जो 23 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो एलएससी के रूप में बाद में अभिहित परिसरों के मिश्रित उपयोग/वाणिज्यिक उपयोग और दुकान-सह आवासीय प्लॉट/परिसरों हेतु उपयोग संपरिवर्तन प्रभारों के नियतन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 373(अ) जो 23 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आवासीय परिसंपत्तियों, सहकारी ग्रुप हाउसिंग, मिश्रित उपयोग/वाणिज्य गलियों तथा वाणिज्य परिसंपत्तियों (होटल और पार्किंग प्लाट्स को छोड़कर) के लिए एमपीडी 2021 के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई एफएआर पर लागू होने वाली दरों के नियतन संबंधी शुद्धिपत्र के बारे में है।

(सात) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, मुख्य अभियंता (सिविल) और मुख्य अभियंता (विद्युत) भर्ती नियम, 2019 जो 22 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 319(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (नायब तहसीलदार के पद हेतु भर्ती विनियमों का निरसन) विनियम, 2019 जो 30 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ के॰-11011/34/2018-डीडी-II में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (नायब तहसीलदार) भर्ती नियम, 2019 जो 30 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 392(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) दिल्ली विकास प्राधिकरण (सर्वे काडर) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 जो 20 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 128(अ) में प्रकाशित हुए थे।

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल॰ मांडविया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना सं॰ आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2018 जो 19 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के प्रशासकीय और शैक्षणिक मामलों को शासित करने वाले अध्यादेशों के बारे में है।

(दो) अधिसूचना सं॰ आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2018/2 जो 12 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के प्रशासकीय और शैक्षणिक मामलों को शासित करने वाले अध्यादेशों के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना सं॰ आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2018/3 जो 13 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के प्रशासकीय और शैक्षणिक मामलों को शासित करने वाले अध्यादेशों के बारे में है।

(3) उपर्युक्त (2) के मद सं॰ (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 473(अ) जो 5 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 को अनुमोदित किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 228(अ) जो 19 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट (लाइसेंसिंग ऑफ स्टीवडोरिंग एंड शोर हैंडलिंग) विनियम, 2019 को स्वीकृति दी गई है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल (सेवानिवृत्त) वी॰के॰ सिंह] की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2224(अ) जो 28 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड (पैकेज-1) पर मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 78 (नया एनएच 43) (कटनी-उमरिया खंड) के प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2225(अ) जो 5 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एनएचडीपी-चार (पैकेज-3) के अंतर्गत ईपीएस मोड पर मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 12ए (नया एनएच 30) (मंडला-चिल्पी खंड) के प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2381(अ) जो 5 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एनएचडीपी फेज-तीन के अंतर्गत ईपीसी मोड पर तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 49 (मदुरै-परमाकुडी-रामनाथपुरम खंड) के प्रयोगकर्ताओं से वसूले जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 2382(अ) जो 5 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो लोक वित्तपोषित परियोजना के तौर पर तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 45बी (त्रिची बाईपास-तोवरमकुर्ची-मदुैरे खंड) के प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 2383(अ) जो 5 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एनएचडीपी-चार के अंतर्गत हाइब्रिड एनयूटी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 56 (नया एनएच 731) (लखनऊ-सुल्तानपुर खंड) के प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 2384(अ) जो 5 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एनएचडीपी-चार के अंतर्गत ईपीसी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 233 (घाघरा पुल से वाराणसी खंड) के प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 17 जुलाई, 2019 को पारित विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 18 जुलाई, 2019 को पारित वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल॰ मांडविया) ने पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 260वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 266वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग में राज्य मंत्री [जनरल (सेवानिवृत्त) वी॰ के॰ सिंह] के स्थान पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 259वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 265वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र सारंगी) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के संबंध में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 293वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.05 बजे

6. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

सर्वश्री अधीर रंजन चौधरी, भर्तृहरि महताब और टी॰ आर॰ बालू ने विधेयक पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 12.16 बजे

7. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

निरसन और संशोधन विधेयक, 2019

डॉ॰ शशि थरूर ने विधेयक पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

विधि और न्याय; संचार मंत्री; इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 12.29 बजे

8. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रो॰ सौगत राय और श्री अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

वित्त मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

9. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 6) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.42 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुसहर जाति के समग्र विकास हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश में झांसी से कानपुर तक रेलवे लाइन को दोहरा किए जाने के कार्य को गति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री राम कृपाल यादव द्वारा बिहार में उर्दू अध्यापकों की भर्ती के लिए अर्हता अंकों को शिथिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी की कथित रूप से धोखाधड़ी वाली योजना के बारे में।

(5) श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल में मालदा विमानपत्तन का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ सुजय विखे पाटील द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अधीन महाराष्ट्र को धनराशि निर्गत किए जाने के बारे में।

(7) श्री राजू बिष्ट द्वारा गोरखा प्रतिनिधियों के साथ बात किए जाने के बारे में।

(8) श्री सुनील बाबूराव मेंढे द्वारा महाराष्ट्र के भंडारान गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चावल अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रामचरण बोहरा द्वारा इलेक्ट्रापैथी को चिकित्सा विज्ञान की शाखा के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अजय निषाद द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एनएच-527सी के निर्माण के लिए जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत हुई है, उन लोगों को उचित प्रतिकर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री सुनील कुमार सिह द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन न्यास को आवंटित निधियों के उपयोग के बारे में।

(12) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में संसद सदस्यों की भागीदारी के बारे में।

(13) डॉ॰ रमापति राम त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के पावानगर को स्वदेश दर्शन योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरोली-चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक मंदिरों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री नंदकुमार सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री हिबी इडन द्वारा वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के बारे में।

(17) एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा केरल के अटिंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सुविधाओं के बारे में।

(18) सुश्री एस॰ जोतिमणि द्वारा तमिलनाडु के करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उपरिपुलों के निर्माण के बारे में।

(19) श्री ए॰ राजा द्वारा तमिलनाडु के प्लांटेशन श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के बारे में।

(20) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पश्चिम बंगाल में कैनिंग रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफार्म शेड के निर्माण के बारे में।

(21) श्री शिशिर कुमार अधिकारी द्वारा मछुआरों के लिए कल्याण आयोग बनाए जाने के बारे में।

(22) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा राष्ट्रीय उद्यानकृषि बोर्ड की राजसहायता योजना के अधीन किसानों को दी जाने वाली राजसहायता के बारे में।

(23) श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो द्वारा बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बगहा में समपार का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा रामायण सर्किट विकसित किए जाने के बारे में।

(25) डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डी द्वारा राष्ट्रीय कारा अकादमी, तेलंगाना की स्थापना के बारे में।

(26) डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा उत्तर प्रदेश में चंदौसी-संभल-गजरौला खंड पर रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री नाबा कुमार सरनीया द्वारा असम के कोकराझार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भू-क्षरण की समस्या के बारे में।

अपराह्न 12.45 बजे

%11. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय : 6 घंटे 03 मिनट

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।''

संयुक्त चर्चा के बाद, सभा की अनुमति से संकल्प अस्वीकृत हुआ।

%12. सरकारी विधेयक—पारित

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन सांविधिक संकल्प और विधेयक पर बोले।

%एक साथ चर्चा की गई।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री पी॰के॰ कुन्हालीकुट्टी
2. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
3. डॉ॰ मोहम्मद जावेद
4. श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि
5. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
6. श्री पी॰ वी॰ मिधुन रेड्डी
7. श्री मुख्तार अब्बास नकवी
8. श्री विनायक राऊत
9. श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह
10. श्री अनुभव मोहंती
11. कुंवर दानिश अली
12. श्री मोहम्मद आजम खां
13. श्रीमती किरण खेर
14. श्री गौरव गोगई
15. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
16. श्री असादुद्दीन ओवैसी
17. श्रीमती पूनम महाजन
18. एडवोकेट ए॰ एम॰ आरिफ
19. श्री जयदेव गल्ला
20. श्रीमती अपराजिता सारंगी
21. श्री ई॰ टी॰ मोहम्म्द बशीर
22. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार
23. श्री एम॰ सेल्वराज
24. श्री हसनैन मसूदी
25. श्री थोल तिरुमावलवन

26. श्री अब्दुल खालेक

27. श्रीमती लॉकेट चटर्जी

28. सुश्री एस॰ जोतिमणि

श्री रवि शंकर प्रसाद ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ: #पक्ष में 303, #विपक्ष में 82।

तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा संशोधन संख्या 12 पेश किया गया। अध्यक्ष ने संशोधन को सभा की स्वीकृति के लिए रखा तथा इसे चुनौती दिए जाने पर अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

> ''माननीय सदस्यगण, मेरे विचार में मत विभाजन का दावा अनावश्यक ही किया जा रहा है। इसलिए, नियम 367 के उप-नियम (3) के परन्तुक के अंतर्गत, मैं उन सदस्यों, जो 'पक्ष' में हैं जो 'विपक्ष' में हैं, को निर्देशित करूंगा कि वे अपने स्थान पर खड़े हों, और गिनती किए जाने पर, मैं सभा के निर्णय की घोषणा करूंगा। जो सदस्य अपने स्थानों पर नहीं है, गिनती के प्रयोजन के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।''

गिनती करने पर, परिणाम इस प्रकार था:—

पक्ष में 11, विपक्ष में 302

तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 पर, सभा में मत विभाजन हुआ। गिनती करने पर, परिणाम इस प्रकार था:—

पक्ष में 303, विपक्ष में 78

खण्ड 4 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 स्वीकृत हुआ।

#पर्चियों के वितरण द्वारा।

खण्ड 6 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 और 8 पर, सभा में मत विभाजन हुआ। गिनती करने पर, परिणाम इस प्रकार था:—

पक्ष में 303, विपक्ष में 8

खण्ड 7 और 8 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

@सायं 6.48 बजे

13. लोक सभा की बैठकों को बढ़ाए जाने के बारे में घोषणा

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा और सभा की सहमति होने पर, लोक सभा की बैठकें 7 अगस्त, 2019 तक बढ़ाई गईं।

रात्रि 8.31 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 26 जुलाई, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

@सायं 6.48 बजे से सायं 8.31 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—2097LS(S3)—25.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 26 जुलाई, 2019/4 श्रावण, 1941 (शक)

संख्या 30

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने सभा की ओर से भारत की विजय की 20वीं वर्षगांठ पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 481, 482 (491, 492, 498 के साथ लिए गए), 483—485 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 486—490, 493—497, 499 और 500 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5482—5514 और 5516—5711 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। श्री रामचन्द्र पासवान, वर्तमान लोक सभा के सदस्य के निधन के कारण अतारांकित प्रश्न संख्या 5515 का लोप कर दिया गया।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

(1) विधान सभा निर्वाचन (सिक्किम) संचालन संशोधन नियम, 2019 जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1022(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) निर्वाचन संचालन (संशोधन) नियम, 2019 जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1023(अ) में प्रकाशित हुए थे।

महिला और बाल विकास मंत्री, वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एण्ड होम्योपैथी, गाजियाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एण्ड होम्योपैथी, गाजियाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(4) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2019 जो 18 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या एफ॰ सं॰ 24-14/2018 (यूजी विनियम) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नार्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नार्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) साउथ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ''पुराना किला, दिल्ली'' के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियां।

(दो) खेर-उल-मंजिल और शेर शाह गेट के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियां।

(18) (एक) इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल॰ मांडविया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, अहमदाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) इंटरनेशनल इंस्टिटयूट ऑफ पापुलेशन साइंसेस, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टि्टयूट ऑफ पापुलेशन साइंसेस, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2017-2018 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:—

(एक) पापुलेशन रिसर्च सेंटर (इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनोमिक चेंज), बंगलौर।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेंटर (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर।

(तीन) पापुलेशन रिसर्च सेंटर (उत्कल विश्वविद्यालय), भुवनेश्वर।

(4) मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 की धारा 47 के अंतर्गत मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) नियम, 2018, जो 17 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 888(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारत नर्स परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 16 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय नर्स परिषद (नर्स पंजीकरण और ट्रैकिंग प्रणाली) विनियम, 2019, जो 7 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 22-10/एनयूआईडी/2014-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2018, जो 13 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 222(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2018, जो 10 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 360(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2018, जो 19 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 385(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवां संशोधन) नियम, 2018, जो 26 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 408(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) औषधि और प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 2018, जो 1 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 521(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) औषधि और प्रसाधन सामग्री (आठवां संशोधन) नियम, 2018, जो 3 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1161(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) औषधि और प्रसाधन सामग्री (नौवां संशोधन) नियम, 2018, जो 7 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1186(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दसवां संशोधन) नियम, 2018, जो 12 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1193(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2019, जो 10 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 20(अ) में प्रकाशित हुए थे।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) मानसिक विकास केन्द्रम, विजयवाड़ा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मानसिक विकास केन्द्रम, विजयवाड़ा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 100 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नि:शक्तजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2019 जो 11 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 209(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ किशन रेड्डी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजीव कुमार बालियान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वेस्ट बंगाल लाइव स्टाक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वेस्ट बंगाल लाइव स्टाक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) यूनियन टेरीटरी मिशन अथॉरिटी दादरा एण्ड नागर हवेली, (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूनियन टेरीटरी मिशन अथॉरिटी दादरा एण्ड नागर हवेली, (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) यूईई मिशन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूईई मिशन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) मध्य प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मध्य प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मेघालय, शिलांग के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मेघालय, शिलांग के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) सर्व शिक्षा अभियान नागालैण्ड, कोहिमा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान नागालैण्ड, कोहिमा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) सर्व शिक्षा अभियान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जम्मू और कश्मीर (नूर सोसाइटी), श्रीनगर के वर्ष 2013–2014 से 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जम्मू और कश्मीर (नूर सोसाइटी), श्रीनगर के वर्ष 2013–2014 से 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, तिरूपति के वर्ष 2017–2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, तिरूपति के वर्ष 2017–2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, तिरूपति के वर्ष 2017–2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2017–2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) जम्मू और कश्मीर सर्व शिक्षा अभियान, जम्मू के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जम्मू और कश्मीर सर्व शिक्षा अभियान, जम्मू के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) झारखंड सकेन्ड्री एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2012-2013 से 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड सकेन्ड्री एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2013-2014 से 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) सर्व शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई, भिलाई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई, भिलाई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई, भिलाई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) सर्व शिक्षण अभियान समिति कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षण अभियान समिति कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) महर्षि संदीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महर्षि संदीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महर्षि संदीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), पटना के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) पटना के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) संघ राज्यक्षेत्र मिशन अथॉरिटी दादरा नागर हवेली राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सिलवासा के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संघ राज्यक्षेत्र मिशन अथॉरिटी दादरा नागर हवेली राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सिलवासा के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड, कोझिकोड के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड, कोझिकोड के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) सर्व शिक्षा अभियान तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चंडीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चंडीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत यूजीसी (इंस्टि्टयूशंस डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटीज) विनियम, 2019 जो 20 फरवरी, 2019 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ 1-2/2018(सीपीपी-I/डीयू) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) स्टॉक मार्केट घोटाले तथा उससे संबंधित विषयों पर संयुक्त संसदीय समिति की जून, 2019 की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्यवाही पर 32वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2019 जो 1 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ ओआरजी/यूकेडी/2018-19/564-(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 25 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ आईआरडीएआई/आईएसी/8/159/2019 जो 16 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी का पुनर्गठन किया गया है और जो 25 जुलाई, 2019 से प्रभावी होगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर नियम, 2017, जो 1 जुलाई 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 820(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा॰का॰नि॰ 700(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2017 की तिथि को उस तिथि के रूप में

अधिसूचित किया गया है, जब माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 के सभी प्रावधान लागू होंगे।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 73(अ) जो 29 जरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 2019 को तिथि को उस तिथि के रूप में अधिसूचित किया गया है, जब माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2018 के सभी प्रावधान लागू होंगे।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) डॉ॰ अंबेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ॰ अंबेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 24 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी) ने (एक) श्री कौशल किशोर, संसद सदस्य द्वारा ''निफ्ट छात्रों का नियोजन'' के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 72 के 21 जून, 2019 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने वाले और (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलंब के कारणों को बताने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विन कुमार चौबे) ने (एक) श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य द्वारा ''कैंसर अनुसंधान पहल संबंधी समझौता ज्ञापन'' के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1196 के 28 जून, 2019 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने वाले और (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलंब के कारणों को बताने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

(3) आयुर्वेद, योग, और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित ''सामान्य निर्वाचनों में रक्षा सेवा कार्मिकों द्वारा प्रॉक्सी और डाक मतदान—एक मूल्यांकन'' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.05 बजे

8. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 17वीं लोक सभा के पहले सत्र के शेष भाग के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.12 बजे

9. राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति में निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री श्रीपाद येसो नाईक ने श्री राजनाथ सिंह के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (एक) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।'' प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.13 बजे

10. मंत्रियों/सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित मंत्रियों/सदस्यों ने एक सदस्य द्वारा महिला सभापति के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां किए जाने के बारे में निवेदन किया:—

1. डॉ॰ संघमित्रा मौर्या

*2. श्रीमती स्मृति ईरानी

**3. श्री रवि शंकर प्रसाद

4. श्री अधीर रंजन चौधरी

5. श्री कल्याण बनर्जी

6. श्रीमती सुप्रिया सुले

7. श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह

8. श्रीमती नवनित रवि राणा

9. श्रीमती नुसरत जहां रूही

10. श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि

11. श्रीमती अनुप्रिया पटेल

@12. श्री अर्जुन राम मेघवाल

13. श्री भर्तृहरि महताब

14. श्री असादुद्दीन ओवैसी

#15. श्री बाबुल सुप्रियो

$16. श्री अनुराग सिंह ठाकुर

%17. श्रीमती निर्मला सीतारमण

&18. श्री प्रहलाद जोशी

---

* महिला और बाल विकास मंत्री; वस्त्र मंत्री

** विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

@ संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री

\# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री

$ वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

% वित्त मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्री

& संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; खान मंत्री

19. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी

20. डॉ॰ निशिकान्त दुबे

21. श्री नामा नागेश्वर राव

(*लोक सभा अपराह्न* 1.00 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.02 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.02 बजे

%11. सांविधिक संकल्प—वापस लिया गया

लिया गया समय: 2 घंटे 08 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।''

संयुक्त चर्चा के बाद, सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

%12. सरकारी विधेयक—पारित

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री अधीर रंजन चौधरी सांविधिक संकल्प और विधेयक पर बोले।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री पी॰ पी॰ चौधरी
2. श्री ए॰ राजा
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ
5. श्री पिनाकी मिश्रा
6. श्रीमती सुप्रिया सुले

%एक साथ चर्चा की गई।

7. श्री मनोज कोटक

8. श्री जयदेव गल्ला

9. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे

10. श्री रितेश पाण्डेय

11. श्री सप्तगिरि उलाका

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 44 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.10 बजे

13. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

1. श्री हिबी इडन, संसद सदस्य का उत्तम सहायक दाता विधेयक, 2019
2. श्री हिबी इडन, संसद सदस्य का कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 135 का संशोधन, आदि)
3. श्री गौतम गंभीर, संसद सदस्य का चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवावृत्तिकों को हमले, आपराधिक बल प्रयोग और अभित्रास से संरक्षण विधेयक, 2019
4. श्री देवजी एम॰ पटेल, संसद सदस्य का दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद (लाभकारी समर्थन मूल्य) विधेयक, 2019
5. श्री देवजी एम॰ पटेल, संसद सदस्य का चारा भाण्डागार बोर्ड विधेयक, 2019
6. श्री देवजी एम॰ पटेल, संसद सदस्य का स्वदेशी गौ संरक्षण बोर्ड विधेयक, 2019

7. श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य का पैकेजिंग सामग्री की आज्ञापक पुन:खरीद और पुन:चक्रण विधेयक, 2019

8. डॉ॰ मनोज राजोरिया, संसद सदस्य का राजस्थान राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2019

9. डॉ॰ मनोज राजोरिया, संसद सदस्य का केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का प्रत्येक जिला मुख्यालय तक विस्तारण विधेयक, 2019

10. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य का राष्ट्र-गौरव-अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

11. श्री भर्तृहरि महताब , संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (उद्देशिका का संशोधन, आदि)

12. श्री भर्तृहरि महताब , संसद सदस्य का सड़क पर पैदल यात्रियों द्वारा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग (विनियमन) विधेयक, 2019

13. श्री भर्तृहरि महताब , संसद सदस्य का दयाभूत प्राणांत (विनियमन) विधेयक, 2019

14. डॉ॰ मनोज राजोरिया, संसद सदस्य का कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2019 *(धारा 4 का संशोधन, आदि)*

15. डॉ॰ मनोज राजोरिया, संसद सदस्य का पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 *(धारा 11 का संशोधन, आदि)*

16. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य का किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2019 *(धारा 56 का संशोधन, आदि)*

17. श्री सुधीर गुप्ता, संसद सदस्य का शैक्षिक संस्थाओं में विधि शिक्षा का अनियार्य शिक्षण विधेयक, 2019

18. श्री नारणभाई काछड़िया, संसद सदस्य का खुले स्थानों पर शौच का प्रतिषेध विधेयक, 2019

19. श्री नारणभाई काछड़िया, संसद सदस्य का जवाबदारी ब्यूरो विधेयक, 2019

20. श्री नारणभाई काछड़िया, संसद सदस्य का शैक्षिक संस्थाओं में आपदा शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2019

21. श्री नारणभाई काछड़िया, संसद सदस्य का शैक्षिक संस्थाओं में मनोविज्ञान का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2019

22. डॉ॰ आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का बिहार राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2019

23. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 30 का संशोधन)

24. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य का नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन)

25. श्री के॰ नवसकनी, संसद सदस्य का अन्तरराज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक, 2019

26. श्री के॰ नवसकनी, संसद सदस्य का राष्ट्रीय कृषि और किसान आयोग विधेयक, 2019

27. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, संसद सदस्य का मृत्यु दंड (उत्सादन) विधेयक, 2019

28. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, संसद सदस्य का दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 228क का संशोधन, आदि)

29. श्री तीरथ सिंह रावत, संसद सदस्य का केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक, 2019

30. श्री तीरथ सिंह रावत, संसद सदस्य का शैक्षिक संस्थाओं में योग का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2019

31. श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य का आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष अवसंरचना विकास विधेयक, 2019

32. श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य का निजी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण विधेयक, 2019

33. श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य का पिडड़े क्षेत्रों में उद्योगों का निर्बाध विद्युत आपूर्ति का उपबंध विधेयक, 2019

34. श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य का मिथ्या समाचार (प्रतिषेध) विधेयक, 2019

35. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का एकल-उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध विधेयक, 2019

36. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का चिकित्सकों, चिकित्सा वृत्तिकों और चिकित्सा संस्थाओं के विरुद्ध हिंसा निवारण विधेयक, 2019

37. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(नए अनुच्छेद 47क का अंत:स्थापन)*

38. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का विवाह-पूर्व नि:शुल्क और अनिवार्य आनुवंशिक परीक्षण विधेयक, 2019

39. श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य का एकीकृत बाल विकास सेवाएं (नियमितीकरण) विधेयक, 2019

40. श्री विनोद कुमार सोनकर, संसद सदस्य का मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 207क का अंत:स्थापन)

41. श्री विनोद कुमार सोनकर, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

42. श्री एच॰ वसंतकुमार, संसद सदस्य का मछुआरा (कल्याण) विधेयक, 2019

43. श्री एच॰ वसंतकुमार, संसद सदस्य का नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विधेयक, 2019

44. डॉ॰ डी॰ रवि कुमार, संसद सदस्य का व्यक्तिगत डाटा और सूचना एकांतता संहिता विधेयक, 2019

अपराह्न 4.36 बजे

14. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—विचाराधीन

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019

श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' द्वारा 12 जुलाई, 2019 को पेश किए विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जगदम्बिका पाल (भाषण पुन: प्रारंभ किया)
2. श्री राजीव प्रताप रूडी

3. श्री निहाल चन्द

4. श्री भर्तृहरि महताब

5. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

6. श्री दुष्यंत सिंह (भाषण अपूर्ण)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.48 बजे

(लोक सभा सोमवार, 29 *जुलाई,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

---

*सायं 6.15 बजे से सायं 6.48 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

दिनांक 17.07.2019 के

समाचार-भाग 1, संख्या 23

का शुद्धिपत्र

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	
1.	3	क्रम संख्या (2) **के पश्चात् जोड़ें,—** श्री खगेन मुर्मु द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाए जाने के बारे में।
2.	4	क्रम संख्या (12) **के पश्चात् जोड़ें,—** श्री एल॰एस॰ तेजस्वी सूर्या द्वारा हाथ से लिखे चिकित्सा नुस्खों के बारे में।
3.	4	क्रम संख्या (13) **के पश्चात् जोड़ें,—** श्री जॉन बर्ला द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में।
4.	5	क्रम संख्या (19) **के पश्चात् जोड़ें,—** श्री रघु राम कृष्णराजू द्वारा एक नई उदय वातानुकूलित डबल डेकर रेलगाड़ी आरंभ करने तथा तडे पल्लीगुडेम रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश में उसे ठहराव दिए जाने के बारे में।

MGIPMRND—2127LS(S3)—26.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 29 जुलाई, 2019/7 श्रावण, 1941 (शक)

संख्या 31

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्य द्वारा खेद व्यक्त

25.07.2019 को महिला सभापति के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणी पर, सदस्य* ने व्यक्तिगत रूप से अपना खेद व्यक्त किया। उस पर, अध्यक्ष ने भी टिप्पणी* की।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

2. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 25 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

3. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

बांध सुरक्षा विधेयक, 2019

श्री गौरव गोगोई, श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, डॉ॰ शशि थरूर, श्री भर्तृहरि महताब, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री ए॰ राजा, प्रो॰ सौगत राय और श्री मनीष तिवारी ने विधेयक पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की।

---

*मूल हिंदी में। विस्तृत विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद **देखें**।

जल शक्ति मंत्री (डॉ॰ गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

पूर्वाह्न 11.36 बजे

4. सरकारी विधेयक—पारित

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019

लिया गया समय : 06 घंटे 07 मिनट

डॉ॰ हर्ष वर्धन द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री विनसेंट एच॰ पाला
2. डॉ॰ महेश शर्मा
3. श्री ए॰ राजा
4. डॉ॰ काकोली घोष दस्तीदार

(लोक सभा अपराह्न 1.07 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.12 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.12 बजे

5. श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालू
6. डॉ॰ आलोक कुमार सुमन
7. श्री अच्युतानंद सामंत
8. श्री श्याम सिंह यादव
9. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे
10. श्री नामा नागेश्वर राव
11. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
12. श्री मनीष तिवारी
13. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी

14. डॉ॰ एस॰टी॰ हसन

15. श्री हसनैन मसूदी

16. डॉ॰ श्री हिना विजयकुमार गावीत

17. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

18. श्री केसिनेनी श्रीनिवास

19. श्री एस॰ वेंकटेशन

20. डॉ॰ राजदीप राय

21. श्रीमती अनुप्रिया पटेल

22. श्री एम॰ सेलवराज

23. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार

24. श्री एम॰के॰ राघवन

25. डॉ॰ सुभाष सरकार

26. डॉ॰ सेंथिलकुमार एस॰

27. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

28. श्री थोल तिरूमावलवन

29. श्री रघुराम कृष्ण राजू कानुमुरू

30. डॉ॰ अमर सिंह

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार करने वाले प्रस्ताव पर, सभा में मत-विभाजन हुआ: पक्ष में 260, विपक्ष में 48 तदनुसार, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्ड-वार विचारण किया गया।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18 से 25 स्वीकृत हुए।

खण्ड 26 और 27 स्वीकृत हुए।

खण्ड 28 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 29 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 30 और 31स्वीकृत हुए।

खण्ड 32 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 33 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 34 से 44 स्वीकृत हुए।

खण्ड 45 से 59 स्वीकृत हुए।

खण्ड 60 और 61 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ॰ हर्ष वर्धन द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.49 बजे

5. सरकारी विधेयक—पारित

निरसन और संशोधन विधेयक, 2019

लिया गया समय : 14 मिनट

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि विधेयक पर विचार किया जाये।

डॉ॰ शशि थरूर ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री रवि शंकर प्रसाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किये जाने वाला प्रस्ताव स्वीकृत किया गया और विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया गया।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

पहली और दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*रात्रि 9.07 बजे

(*लोक सभा मंगलवार,* 30 *जुलाई,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

*सायं 7.04 बजे से रात्रि 9.07 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

MGIPMRND—2200LS(S3)—29.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 30 जुलाई, 2019/8 श्रावण, 1941 (शक)

संख्या 32

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने आठवीं और बारहवीं से पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य श्री एस॰ जयपाल रेड्डी के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डेवेलपमेन्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 से 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डेवेलपमेन्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 से 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क की उपधारा (3) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 जो 19 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ आईआरडीएआई/रेगु॰/2/149/2018 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेगु॰/3/150/2018 जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव प्ररूप) विनियम, 2013 का निरसन किया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (2019 का प्रतिवेदन संख्यांक 9)—राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर।

(दो) मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (2019 का प्रतिवेदन संख्यांक 11)—राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर-माल और सेवा कर)।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 29 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

#(दो) कि राज्य सभा ने 29 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया।

#4. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखे गए

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019

पूर्वाह्न 11.05 बजे

5. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और साथ ही महिलाओं के विरुद्ध अपराध नियंत्रण में उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता के बारे में निवेदन किया।

*श्री प्रह्लाद जोशी ने उत्तर दिया।

%साधवी निरंजन ज्योति ने भी उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

6. सरकारी विधेयक—पारित

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019

लिया गया समय: 3 घंटे 55 मिनट

श्री राम विलास पासवान द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री रावसाहेब दादाराव दानवे ने भी विधेयक पर विचार व्यक्त किया।

#अपराह्न 1.55 बजे

*संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री

%ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
2. श्री दुर्गा प्रसाद रॉव बल्ली
3. डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डी
4. डॉ॰ एम॰के॰ विष्णु प्रसाद
5. डॉ॰ वीरास्वामी कलानिधि
6. श्रीमती प्रतिमा मंडल
7. श्री राहुल रमेश शेवले
8. श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद
9. श्री रमेश चन्द्र माझी
10. श्री गिरीश चन्द्र
11. श्री सप्तगिरी उलाका
12. श्री अजय मिश्रा
13. श्री जयदेव गल्ला
14. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट
15. श्रीमती सुप्रिया सुले
16. श्री हसनैन मसूदी
17. श्रीमती अपराजिता सारंगी
18. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
19. एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफ
20. श्री असादुद्दीन ओवैसी
21. श्री जनार्दन मिश्र
22. श्रीमती अनुप्रिया पटेल

23. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार

24. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

25. श्री थोल तिरुमावलवन

श्री राम विलास पासवान ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 4 और 5 स्वीकृत हुए।

खंड 6 से 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10 से 14 स्वीकृत हुए।

खंड 15 स्वीकृत हुआ।

खंड 16 और 17 स्वीकृत हुए।

खंड 18 से 27 स्वीकृत हुए।

खंड 28 से 38 स्वीकृत हुए।

खंड 39 से 41 स्वीकृत हुए।

खंड 42 स्वीकृत हुआ।

खंड 43 स्वीकृत हुआ।

खंड 44 से 53 स्वीकृत हुए।

खंड 54 स्वीकृत हुआ।

खंड 55 से 99 स्वीकृत हुए।

खंड 100 से 107 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री राम विलास पासवान द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.07 बजे

7. सरकारी विधेयक—पारित

मजदूरी संहिता, 2019

लिया गया समय: 4 घंटे 01 मिनट

श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कोडिकुन्निल सुरेश
2. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार
3. श्री डी॰ रविकुमार
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री एन॰ रेड्डप्पा
6. श्री गजानन कीर्तिकर
7. श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी
8. श्री चंद्र शेखर साहू
9. श्री मलूक नागर
10. श्री नामा नागेश्वर राव
11. श्रीमती सुप्रिया सुले
12. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
13. श्री पल्लब लोचन दास
14. श्री हसनैन मसूदी
15. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
16. श्री पी॰आर॰ नटराजन
17. श्री जयदेव गल्ला
18. श्री राजू बिष्ट
19. श्री थोल तिरुमावलवन

20. श्रीमती जसकौर मीना

21. श्री एम॰ सेल्वराज

22. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

श्री संतोष कुमार गंगवार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 स्वीकृत हुआ।

खंड 9 स्वीकृत हुआ।

खंड 10 स्वीकृत हुआ।

खंड 11 और 12 स्वीकृत हुए।

खंड 13 और 14 स्वीकृत हुए।

खंड 15 और 16 स्वीकृत हुए।

खंड 17 स्वीकृत हुआ।

खंड 18 और 19 स्वीकृत हुए।

खंड 20 से 25 स्वीकृत हुए।

खंड 26 से 30 स्वीकृत हुए।

खंड 31 से 38 स्वीकृत हुए।

खंड 39 से 41 स्वीकृत हुए।

खंड 42 से 50 स्वीकृत हुए।

खंड 51 से 53 स्वीकृत हुए।

खंड 54 से 69 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

*रात्रि 8.10 बजे

(लोक सभा बुधवार, 31 *जुलाई,* 2019 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

---

*सायं 7.09 बजे से रात्रि 8.10 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—2247LS(S3)—30.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 31 जुलाई, 2019/9 श्रावण, 1941 (शक)

संख्या 33

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सभा पटल पर रखे गए पत्र

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली वर्ष 2019-2020 के वित्तीय अनुमान और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. वित्तीय समितियां (2018-19)—एक समीक्षा

महासचिव ने 'वित्तीय समितियां (2018-19)—एक समीक्षा' के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

*पूर्वाह्न 11.02 बजे

3. प्रस्ताव

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 30 जुलाई, 2019 को सभा को प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*पूर्वाह्न 11.03 बजे से पूर्वाह्न 11.59 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाए।

पूर्वाह्न 11.59 बजे

4. सरकारी विधेयक—पारित

अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

लिया गया समय : 4 घंटे 18 मिनट

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मनीष तिवारी
2. डॉ॰ सत्यपाल सिंह
3. श्री दयानिधि मारन
4. श्री कल्याण बनर्जी

(लोक सभा अपराह्न 1.04 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.08 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.08 बजे

5. श्री पी॰वी॰ मिधुन रेड्डी
6. श्री हेमंत तुकाराम गोडसे
7. श्री महाबली सिंह
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री नाम नागेश्वर राव
10. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
11. श्री एच॰ वसंतकुमार
12. श्री फिरोज वरूण गांधी
13. एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफ
14. श्री एम॰ सेल्वाराज
15. श्री राहुल कस्वां
16. श्री हनुमान बैनिवाल

17. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

18. श्री राम मोहन नायडु किंजरापु

19. श्रीमती सुमलता अम्बरीश

20. श्री बृजेन्द्र सिंह

21. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव

22. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार

23. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार शुरू किया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 और 7 स्वीकृत हुए।

खंड 8 और 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10 और 11 स्वीकृत हुए।

खंड 12 स्वीकृत हुआ।

खंड 13 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 5.22 बजे

5. **सरकारी विधेयक—पारित**

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019

लिया गया समय : 2 घंटे 02 मिनट

श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री रघु राम कृष्ण राजू
5. श्री पिनाकी मिश्रा
6. श्री नामा नागेश्वर राव
7. श्रीमती सुप्रिया सुले
8. श्री राजेन्द्र धेडया गावित
9. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
10. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
11. श्री शंकर लालवानी
12. श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन
13. श्री अनिल फिरोजिया
14. श्री राजीव प्रताप रूडी

श्री हरदीप सिंह पुरी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार शुरू किया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*रात्रि 8.29 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 1 अगस्त, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

---

*सायं 7.25 बजे से रात्रि 8.29 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाए।

MGIPMRND—2292LS(S3)—31.07.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 1 अगस्त, 2019/10 श्रावण, 1941 (शक)

संख्या 34

@पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 30 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 30 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

#(तीन) कि राज्य सभा ने 31 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 को संशोधनों के साथ पारित किया और इस निवेदन के साथ विधेयक को वापस लौटा दिया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति राज्य सभा को प्रेषित की जाए।

#2. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित—सभा पटल पर रखे गए

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019

@पूर्वाह्न 11.00 बजे से पूर्वाह्न 11.15 बजे तक और पूर्वाह्न 11.17 बजे से पूर्वाह्न 11.51 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#रात्रि 8.21 बजे।

@पूर्वाह्न 11.51 बजे

***3. अध्यक्ष द्वारा घोषणा**

अध्यक्ष ने पेपरलेस सचिवालय की आवश्यकता पर बल दिया तथा साथ ही संसद भवन संपदा में खान-पान इकाइयों में डिजिटल भुगतान पर भी बल दिया।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सरकारी विधेयक—पारित

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय : 3 घंटे 23 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गौरव गोगोई
2. डॉ॰ संजय जायसवाल
3. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी
6. श्री कृपाल बालाजी तुमाने
7. डॉ॰ आलोक कुमार सुमन
8. श्री बी॰बी॰ पाटील
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. श्री पिनाकी मिश्रा
11. श्री जसबीर सिंह गिल
12. श्री जयंत सिन्हा

@पूर्वाह्न 11.00 बजे से पूर्वाह्न 11.15 बजे तक और पूर्वाह्न 11.17 बजे से पूर्वाह्न 11.51 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

*मूल हिन्दी में। विस्तृत विवरण के लिए, कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

13. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन

14. श्री जयदेव गल्ला

15. श्री पी॰ आर॰ नटराजन

16. श्री अमर सिंह

17. श्री पी॰ पी॰ चौधरी

18. प्रो॰ सौगत राय

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 और 6 स्वीकृत हुए।

खंड 7 से 9 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पारित किया गया।

अपराह्न 3.26 बजे

5. सरकारी विधेयक—पारित

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय : 3 घंटे 52 मिनट

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री सु॰ थिरुनवुक्करासर
2. डॉ॰ रीता बहुगुणा जोशी

3. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
4. श्रीमती शताब्दी राय
5. श्री तालारी रंगैय्या
6. श्री विनायक राऊत
7. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
8. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी
9. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी
10. श्रीमती सुप्रिया सुले
11. कुँवर दानिश अली
12. श्री हसनैन मसूदी
13. श्रीमती एस॰ जोतिमणि
14. श्री निशिकांत दुबे
15. श्री कल्याण बनर्जी
16. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे
17. श्री डी॰ रविकुमार
18. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
19. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
20. श्री असादुद्दीन ओवैसी
21. कुमारी राम्या हरिदास
22. श्री पी॰आर॰ नटराजन
23. श्रीमती सुमलता अम्बरीश
24. श्री हनुमान बैनिवाल
25. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
26. श्री थोल तिरुमावलवन

27. श्रीमती किरण खेर

28. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार

29. श्रीमती जसकौर मीना

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 और 4 स्वीकृत हुए।

खंड 5 से 11 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पारित किया गया।

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ने कार्य मंत्रणा समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सायं 7.18 बजे

7. सरकारी विधेयक—पारित

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय : 1 घंटा 48 मिनट

श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कोडिकुन्नील सुरेश

2. श्रीमती मीनाक्षी लेखी

3. श्री ए॰ राजा

4. श्री कल्याण बनर्जी

5. श्री रघु राम कृष्ण राजू कनुमुरू

6. श्री कौशलेन्द्र कुमार

7. श्री पिनाकी मिश्रा

8. श्री नामा नागेश्वर राव

9. श्रीमती सुप्रिया सुले

10. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु

11. श्री अजय मिश्रा

12. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन

श्री रविशंकर प्रसाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10 से 13 स्वीकृत हुए।

खंड 14 से 16 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पारित किया गया।

रात्रि 9.09 बजे

(लोक सभा शुक्रवार 2 अगस्त, 2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—2334LS(S3)—01.08.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 2 अगस्त, 2019/11 श्रावण, 1941 (शक)

संख्या 35

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सभा पटल पर रखे गए पत्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) (संशोधन) नियम, 2019 जो 5 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 176(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 3क की उप-धारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1119(अ) जो 5 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. प्रस्ताव

श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 1 अगस्त, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*पूर्वाह्न 11.55 बजे

%3. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने खाद्य पोषण कार्यक्रम पर जनभागीदारी और इसमें सदस्यों की सहभागिता के संबंध में घोषणा की।

अपराह्न 12.06 बजे

4. सरकारी विधेयक—पारित

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019

लिया गया समय: 3 घंटे 25 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गुरजीत सिंह औजला
2. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
3. श्री दयानिधि मारन
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री रघु राम कृष्णराजू कानुमुरु
6. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
7. श्री विनायक राऊत

---

*पूर्वाह्न 11.02 बजे से अपराह्न 12.04 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

%मूल हिन्दी में। विस्तृत विवरण के लिए कृपया इस दिन का वाद-विवाद देखें।

8. कुँवर दानिश अली
9. श्री रामप्रीत मंडल
10. श्री भर्तृहरि महताब
11. श्रीमती सुप्रिया सुले
12. श्री बेन्नी बहनन
13. श्री सुमेधानन्द सरस्वती
14. श्री एस॰ सेंथिल कुमार डीएनवी
15. श्री हरीश द्विवेदी
16. श्री राहुल शेवले
17. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
18. श्री जसबीर सिंह गिल
19. श्री रमेश बिधूड़ी
20. श्री भगवंत मान
21. श्री वीरेन्द्र सिंह

श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: पक्ष में #214, विपक्ष में #30। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 पर पेश किए गए संशोधन सं॰ 1 पर सभा में मत विभाजन हुआ और विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: पक्ष में #33, विपक्ष में #156 । तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

प्रो॰ सौगत राय द्वारा खंड 2 पर पेश किए गए संशोधन सं॰ 3 पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: पक्ष में #28, विपक्ष में #199। तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

#शुद्धि के अध्यधीन।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

#5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 1 अगस्त, 2019 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019 को संशोधनों के साथ पारित किया और इस निवेदन के साथ विधेयक को वापस लौटा दिया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति राज्य सभा को प्रेषित की जाए।

#6. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक — सभा पटल पर रखे गए

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, *2019*

अपराह्न 3.32 बजे

7. सरकारी विधयेक — पारित

बांध सुरक्षा विधेयक, 2019

लिया गया समय: 4 घंटे 37 मिनट

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
3. श्री ए॰ राजा
4. श्री पी॰पी॰ चौधरी
5. श्रीमती महुआ मोइत्रा
6. श्री भरत मारगनी
7. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे

#अपराह्न 1.00 बजे

8. श्री रामप्रीत मंडल
9. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
10. श्री भर्तृहरि महताब
11. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी
12. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
13. श्री तापिर गाव
14. श्री थोल तिरुमावलवन
15. श्री पी॰ रविन्द्र नाथ कुमार
16. श्री हनुमान बैनिवाल
17. श्रीमती रमा देवी
18. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
19. श्रीमती नवनीत रवि राणा
20. श्री जयदेव गल्ला
21. श्री हाजी फजलुर रहमान
22. श्री पी॰ आर॰ नटराजन
23. श्रीमती सुमलता अम्बरीश
24. श्री तेजस्वी सूर्या
25. श्री सुरेश पुजारी
26. श्री विजय कुमार हांसदाक
27. श्री गुमान सिंह दामोर
28. श्री बालक नाथ
29. श्री अर्जुन लाल मीणा
30. श्री उदय प्रताप सिंह
31. श्री धर्मवीर सिंह

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 से 56 स्वीकृत हुए।

पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूचियां स्वीकृत हुईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

रात्रि 8.10 बजे

8. सरकारी विधेयक—पारित

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय: 2 घंटे 07 मिनट

श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ के॰ जयकुमार
2. श्रीमती सुप्रिया सुले
3. श्री राजीव प्रताप रूडी
4. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद रॉव
5. श्री राहुल रमेश शेवले
6. श्रीमती नवनीत रवि राणा
7. श्री अनुभव मोहंती
8. कुंवर दानिश अली
9. श्री पी॰आर॰ नटराजन

10. श्री सुशील कुमार सिंह

11. प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेल

12. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी

श्री हरदीप सिंह पुरी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री हरदीप सिंह पुरी ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया गया।

रात्रि 10.17 बजे

(लोक सभा सोमवार, 5 अगस्त, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—2413LS(S3)—02.08.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 5 अगस्त, 2019/14 श्रावण, 1941 (शक)

संख्या 36

पूर्वाह्न 11.00 बजे

***1. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

अध्यक्ष ने संसद भवन में अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के बारे में टिप्पणी की।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 2 अगस्त, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 2 अगस्त, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित निरसन और संशोधन विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि राज्य सभा 2 अगस्त, 2019 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित मजदूरी संहिता, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

---

*मूल हिन्दी में। विस्तृत विवरण के लिए कृपया इस दिन का वाद-विवाद देखें।

@(चार) कि राज्य सभा ने 5.08.2019 को हुई अपनी बैठक में जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया।

@(पांच) कि राज्य सभा ने 5.08.2019 को हुई अपनी बैठक में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पारित किया।

@3. राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक—सभा पटल पर रखे गए

(एक) जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019

(दो) जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019

4. अंतर-संसदीय संघ की सांविधिक सभाओं (134वीं से 140वीं सांविधिक सभाओं) में भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों की भागीदारी के संबंध में प्रतिवेदन

महासचिव ने अंतर-संसदीय संघ की 134वीं से 140वीं सांविधिक सभाओं में भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों की भागीदारी के संबंध में सात प्रतिवेदनों के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखे।

5. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 की संविधियों की संविधि 14 के खण्ड 1 के उप-खण्ड (चौबीस) और खण्ड 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

(एक) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2019

(दो) चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019

@सायं 7.55 बजे

7. सरकारी विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन — सहमति दी गई

#राष्ट्रीय आयुर्विज्ञन आयोग विधेयक, 2019

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:—

खण्ड 4

1. कि पृष्ठ संख्या 4 पर पंक्ति संख्या 7 में 'चौदह' शब्द ***के स्थान पर*** 'बाईस' ***प्रतिस्थापित*** किया जाये।

2. कि पृष्ठ संख्या 5 पर पंक्ति संख्या 4 में 'छह' शब्द ***के स्थान पर*** 'दस' शब्द ***प्रतिस्थापित*** किया जाये।

3. कि पृष्ठ संख्या 5 पर पंक्ति संख्या 8 में 'पांच' शब्द ***के स्थान पर*** 'नौ' शब्द ***प्रतिस्थापित*** किया जाये।

खंड 37

4. कि पृष्ठ संख्या 23 पर पंक्ति संख्या 22 में 'ज्येष्ठ रेजिडेंसी' शब्दों के *पश्चात्* 'शिक्षण कार्य के लिए भी' शब्द ***अंत:स्थापित*** किया जाये।

प्रस्ताव विचार किए जाने के लिए स्वीकृत हुआ।

डॉ॰ हर्ष वर्धन द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा संशोधनों पर सहमति हुई।

8. सरकारी विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन — सहमति हुई

**मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019*

जनरल (सेवानिवृत्त) वी॰के॰ सिंह ने श्री नितिन गडकरी की ओर से प्रस्ताव किया कि लोक सभा

विधेयक लोक सभा द्वारा 29 जुलाई, 2019 को पारित किया गया और सहमति के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया। राज्य सभा ने 1 अगस्त, 2019 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों सहित पारित किया और इसे 2 अगस्त, 2019 को लोक सभा को लौटा दिया।

* विधेयक लोक सभा द्वारा 23 जुलाई, 2019 को पारित किया गया और सहमति के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया। राज्य सभा ने 31 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को तीन संशोधनों सहित पारित किया और इसे 1 अगस्त, 2019 को लोक सभा को लौटा दिया।

द्वारा यथापारित विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:—

खण्ड 30

1. कि पृष्ठ 14, पंक्ति 18 पर, शब्द ''के परामर्श'' ***के स्थान पर*** ''की सहमति'' शब्द ***प्रतिस्थापित*** किया जाए।

खण्ड 34

2. कि पृष्ठ 17, पंक्ति 23 पर, शब्द ''परामर्श करेगी'' ***के स्थान पर*** ''सहमति लेगी'' शब्द ***प्रतिस्थापित*** किया जाए।

खण्ड 77

3. कि पृष्ठ 47, पंक्ति 22 पर, शब्द कोष्ठक और संख्या ''उपधारा (4)'', ***के स्थान पर*** ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठक और संख्या ***प्रतिस्थापित*** किया जाए।

प्रस्ताव विचार किए जाने के लिए स्वीकृत हुआ।

जनरल (सेवानिवृत्त) वी॰के॰ सिंह द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा संशोधनों पर सहमति हुई।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

9. सरकारी विधेयक — पारित

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019

लिया गया समय: 3 घंटे 52 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री कृष्ण पाल द्वारा श्री थावर चन्द गहलौत की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती अपराजिता सारंगी
2. श्रीमती शताब्दी राय

3. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ

4. श्री अच्युतानंद सामंत

5. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव

6. श्री जयदेव गल्ला

7. श्रीमती किरण खेर

8. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार

9. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

10. श्री कल्याण बनर्जी

11. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी

12. श्री कौशलेन्द्र कुमार

13. श्री अजय मिश्रा

#14. डॉ॰ संजय जायसवाल

(लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.02 बजे

15. श्री मनोज तिवारी

16. श्री विनायक राऊत

17. प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेल

18. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल'

19. श्रीमती क्वीन ओझा

श्री रतन लाल कटारिया ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

#सभा के पुन: समवेत होने के पश्चात् उन्होंने अपना भाषण जारी रखा।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 स्वीकृत हुआ।

खंड 9 से 11 स्वीकृत हुए।

खंड 12 स्वीकृत हुआ।

खंड 13 स्वीकृत हुआ।

खंड 14 स्वीकृत हुआ।

खंड 15 स्वीकृत हुआ।

खंड 16 और 17 स्वीकृत हुए।

खंड 18 से 23 स्वीकृत हुए।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रतन लाल कटारिया ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.06 बजे

10. सरकारी विधेयक — पारित

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019

लिया गया समय: 2 घंटे 18 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए डॉ॰ हर्ष वर्धन द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ काकोली घोष दस्तीदार
2. श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी

3. डॉ॰ बीसेट्टी वेंकट सत्यावती

4. डॉ॰ सुभाष सरकार

5. श्री केसिनेनी श्रीनिवास

6. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार

7. श्री कृष्णा देवरायालु

8. श्री रवि किशन

9. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव

10. श्री सैय्यद इम्तियाज जलील

11. श्रीमती हेमा मालिनी

12. श्री अनुभव मोहंती

13. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल

14. श्री गजानन कीर्तिकर

15. डॉ॰ सुकान्त मजूमदार

16. श्री पौन सिगामनी पौन

17. डॉ॰ भारती प्रवीण पवार

18. श्रीमती जसकौर मीना

19. डॉ॰ संजय जायसवाल

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 से 8 स्वीकृत हुए।

खंड 9 और 10 स्वीकृत हुए।

खंड 11 से 13 स्वीकृत हुए।

खंड 14 स्वीकृत हुआ।

खंड 15 स्वीकृत हुआ।

खंड 16 और 17 स्वीकृत हुए।

खंड 18 से 23 स्वीकृत हुए।

खंड 24 स्वीकृत हुआ।

खंड 25 स्वीकृत हुआ।

खंड 26 से 31 स्वीकृत हुए।

खंड 32 और 33 स्वीकृत हुए।

खंड 34 और 35 स्वीकृत हुए।

खंड 36 स्वीकृत हुआ।

खंड 37 से 40 स्वीकृत हुए।

खंड 41 से 43 स्वीकृत हुए।

खंड 44 से 51 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ॰ हर्ष वर्धन ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*अपराह्न 5.24 बजे

11. सांविधिक संकल्प — स्वीकृत

श्री अमित शाह ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के परतुंक के अंतर्गत इस सभा को उसकी राय के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 संदर्भित किया है

* अपराह्न 5.28 बजे से अपराह्न 5.55 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

क्योंकि भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 की उद्घोषणा के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमंडल की शक्तियां इस सभा में निहित हैं। यह सभा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को स्वीकार करने के लिए राय अभिव्यक्त करने का संकल्प लेती है।''

संकल्प मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.56 बजे

12. सरकारी विधेयक — पारित

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2019

लिया गया समय: 2 घंटे 33 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री पी॰पी॰ चौधरी
2. श्री ए॰ राजा
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ
5. श्री विनायक राऊत
6. श्री पिनाकी मिश्रा
7. श्री एम॰ सेल्वराज
8. कुंवर दानिश अली
9. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी
10. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
11. श्री के॰ नवासकनी
12. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
13. श्री गोपाल शेट्टी

14. श्री थोल तिरुमावलवन

15. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार

श्री रवि शंकर प्रसाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रवि शंकर प्रसाद ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

#रात्रि 10.19 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 6 अगस्त, 2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

#रात्रि 8.30 बजे से रात्रि 10.19 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—2453LS(S3)—05.08.2019.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 6 अगस्त, 2019/15 श्रावण, 1941 (शक)

संख्या 37

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 6 और 9 अगस्त, 1945 को क्रमश: जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने की 74वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्य पीड़ितों की स्मृति में कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी) ने सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी) ने मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखे।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टिट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन, पासीघाट के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टिट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन, पासीघाट के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने एमएमटीसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नवीन औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 जो 19 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 227(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (सातवां संशोधन) नियम, 2019 जो 11 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 213(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) चिकित्सकीय उपकरण (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 22 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 318(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2019 जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 153(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) चिकित्सकीय उपकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 19 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 224(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) औषधि और प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 2019 जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 205(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवां संशोधन) नियम, 2019 जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 186(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) मानसिक विकास केन्द्रम, विजयवाड़ा के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मानसिक विकास केन्द्रम, विजयवाड़ा के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तेलंगाना के वर्ष 2014–2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तेलंगाना के वर्ष 2014–2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) श्री रमण महर्षि एकेडमी फॉर द ब्लाइंड, बैंगलोर के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री रमण महर्षि एकेडमी फॉर द ब्लाइंड, बैंगलोर के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी (उमा मनोविकास केन्द्रम), काकीनाड़ा के वर्ष 2014–2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी (उमा मनोविकास केन्द्रम), काकीनाड़ा के वर्ष 2014–2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) ने नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवां संशोधन) आदेश, 2019, जो 15 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2525(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो

19 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2603(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेः—

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरिंग कैडर, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2019, जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 203(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जज अटॉर्नी जनरल, एडिशनल जज अटॉर्नी जनरल, डिप्टी जज अटॉर्नी जनरल और जज अटॉर्नी समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2019, जो 16 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 308(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के खंड 2 के उप-खंड (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 6391(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 31.12.2018 से पुलिस अधीक्षक, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र की 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 3676(अ) जो 27 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से बाहर जाने के लिए तमिलनाडु राज्य के कट्टुपल्ली समुद्रीपत्तन को एक प्राधिकृत आप्रवासन चैक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 3677(अ) जो 27 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 13.07.2018 से पुलिस अधीक्षक, तिरूवल्लूर जिला, तमिलनाडु की 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 4154(अ) जो 25 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से बाहर जाने के लिए मिजोरम राज्य की जोखावथार भूमि चैक पोस्ट को एक प्राधिकृत आप्रवासन चैक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है।

(पांच) का॰आ॰ 4155(अ) जो 25 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 13.08.2018 से पुलिस अधीक्षक, चम्फई जिला, मिजोरम की 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 5346(अ) जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आप्रवासन अधिकारी, बोल कन्नूर, केरल को विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 15.10.2018 से 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्त किया गया है।

(3) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 6390(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से बाहर जाने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र के पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन को एक प्राधिकृत आप्रवासन चैक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

(1) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. मंत्री द्वारा वक्तव्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने (i) डॉ॰ सुभाष रामराव भामरे और डॉ॰ हिना गावीत, संसद सदस्यों द्वारा 'ब्लड बैंक' के बारे में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 397 के संबंध में 19 जुलाई, 2019 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) दिया।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

4. **(एक) सांविधिक संकल्प — स्वीकृत**

(दो) जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019, राज्य सभा द्वारा यथापारित—पारित;

(तीन) जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय: 8 घंटे 22 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गयीं:—

(एक) सांविधिक संकल्प

(दो) जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019, राज्य सभा द्वारा यथापारित

(तीन) जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019, राज्य सभा द्वारा यथापारित

श्री अमित शाह ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना की सिफारिश करता है:

'भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि, वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा, इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं रहेंगे, सिवाय खंड (1) के, जिसे नामत: निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—

''संविधान के समय-समय पर संशोधित, सभी उपबंध, बिना किसी संशोधन और अपवाद के, जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे, इस बात के सिवाय, कि अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित, किसी अपवाद, अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद, अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानून, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उप-नियम, नियम, विनियम, अधिसूचना, रीति-रिवाज, अथवा भारत के भू-भाग में कानून के प्रवर्तन, अथवा कोई अन्य लिखित संधि, अथवा समझौता, जैसा अनुच्छेद-363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा अन्यथा न हो''।' ''

श्री अमित शाह द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री अमित शाह द्वारा जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव भी पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लियाः—

1. श्री मनीष तिवारी
2. श्री जुगल किशोर
3. श्री टी॰आर॰ बालू
4. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
5. [@] डॉ॰ जितेन्द्र सिंह
6. रघु रामकृष्ण राजू कनुमुरू
7. श्री अरविन्द गणपत सावंत
8. श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह
9. श्री पिनाकी मिश्रा
10. [$] श्री प्रह्लाद जोशी
11. श्री गिरीश चन्द्र
12. श्री नामा नागेश्वर राव
13. श्रीमती सुप्रिया सुले

@ उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री।

$ संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; खान मंत्री।

14. श्री अखिलेश यादव
15. श्री हसनैन मसूदी
16. श्री पी॰के॰ कुनहलिकुट्टी
17. श्री त्सेरिंग नामग्याल जामयांग
18. श्री चिराग कुमार पासवान
19. डॉ॰ शशि थरूर
20. श्री जयदेव गल्ला
21. श्री सुखबीर सिंह बादल
22. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
23. श्री एम॰ सेल्वराज
24. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमार
25. एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफ
26. डॉ॰ संजय जायसवाल
27. श्री असादुद्दीन ओवैसी
28. श्री हनुमान बैनिवाल
29. श्रीमती नवनीत रवि राणा
30. श्री रमेश विधूड़ी
31. श्री निशिकांत दुबे
32. श्री विनायक राऊत
33. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन
[%]34. श्री रविशंकर प्रसाद

श्री अमित शाह ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखा गया, सभा में मत विभाजन हुआ:

पक्ष में 374, विपक्ष में 78, तदनुसार, सांविधिक संकल्प स्वीकृत हुआ।

[%]विधि और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री।

(दो) जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिए जाने संबंधी प्रस्ताव पर, सभा में मत विभाजन हुआ:

पक्ष में 379, विपक्ष में, 78, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 से 103 स्वीकृत हुए।

पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं अनुसूचियां स्वीकृत हुईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अमित शाह ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव पर, सभा में मत विभाजन हुआ:

पक्ष में 377, विपक्ष में 77 ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित हुआ।

(तीन) श्री अमित शाह ने यह प्रस्ताव किया कि राज्य सभा से यह निवेदन किया जाए कि वह जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को वापस लेने की अनुमति प्रदान करे, जिस पर सभा सहमत हुई।

सायं 7.27 बजे

5. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सत्रहवीं लोक सभा के पहले सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

सायं 7.38 बजे

6. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

सायं 7.39 बजे

(लोक सभा सायं 7.39 *बजे* अनिश्चितकाल *के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—2478LS(S3)—06.08.2019.